



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed.SE-91

बौद्धिक अक्षमता की पहचान एवं आकलन

खण्ड — एक : बौद्धिक अक्षमता—प्रकृति एवं आवश्यकता 5—31

- इकाई — 1 बौद्धिक अक्षमता की अवधारणा, उसका अर्थ तथा उसकी प्रकृति
- इकाई — 2 बौद्धिक अक्षमता के कारण तथा बचने की युक्तियाँ
- इकाई — 3 बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण, बौद्धिक अक्षम बालकों की पहचान तथा उनके लक्षणों का वर्णन

खण्ड — दो : आँकलन 33—56

- इकाई — 4 आँकलन : अवधारणा, अर्थ, उद्देश्य एवं प्रकार
- इकाई — 5 आँकलन के क्षेत्र
- इकाई — 6 आँकलन की विधियाँ

खण्ड — तीन : स्कूल पूर्व एवं स्कूल स्तर पर आँकलन 57—78

- इकाई — 7 बौद्धिक अक्षमता की अवधारणा, उसका अर्थ तथा उसकी प्रकृति
- इकाई — 8 बौद्धिक अक्षमता के कारण तथा बचने की युक्तियाँ
- इकाई — 9 बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण, बौद्धिक अक्षम बालकों की पहचान तथा उनके लक्षणों का वर्णन

खण्ड — चार : वयस्क तथा व्यावसायिक स्तर का आँकलन 79—112

- इकाई — 10 विद्यालय से रोजगार स्थानान्तरण हेतु आँकलन
- इकाई — 11 बौद्धिक अक्षमता के कारण तथा बचने की युक्तियाँ
- इकाई — 12 बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण, बौद्धिक अक्षम बालकों की पहचान तथा उनके लक्षणों का वर्णन

खण्ड — पाँच : परिवारिक आवश्यकताओं का आँकलन 113—144

- इकाई — 13 बौद्धिक अक्षमता की अवधारणा, उसका अर्थ तथा उसकी प्रकृति
- इकाई — 14 वकालत का संचालन करने हेतु आँकलन तथा कौशल विकास कार्यक्रम
- इकाई — 15 परिवार तथा सामुदायिक संसाधनों का आँकलन



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed.SE-91

बौद्धिक अक्षमता की पहचान एवं आकलन

खण्ड—एक

बौद्धिक अक्षमता—प्रकृति एवं

इकाई—1	01 — 14
बौद्धिक अक्षमता की अवधारणा, उसका अर्थ तथा उसकी प्रकृति	
इकाई—2	15 — 22
बौद्धिक अक्षमता के कारण तथा बचने की युक्तियाँ	
इकाई—3	23 — 32
बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण, ekufld अक्षम बालकों की पहचान तथा उनके लक्षण	

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो० के० एन० सिंह	कुलपति, उ०प्र० राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
--------------------	--

विशेषज्ञ समिति

प्रो० पी० के० पाण्डेय	प्रभारी निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रो० के० एस० मिश्रा	आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रो० पी० के० साहू	आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रो० कल्पलता पाण्डेय	आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी
डॉ० जी० के० द्विवेदी	सहायक-आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
डॉ० दिनेश सिंह	सहायक-आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, प्रयागराज विश्वविद्यालय, प्रयागराज

लेखक

डॉ. अरविंद शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर, डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9)
डॉ. संजय कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 10,11,12,13,14,15)

सम्पादक

डॉ. कमलेश तिवारी	मनोविज्ञानशाला प्रयागराज
------------------	--------------------------

परिभाषक

प्रो० पी० एस० राम	शिक्षा शास्त्र विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
-------------------	---

समन्वयक

डॉ. नीता मिश्रा	परामर्शदाता, (विशेष शिक्षा), शिक्षा विद्याशाखा, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
-----------------	--

प्रकाशक

© उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज 2020

ISBN-

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्यसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मितियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

नोट : पाठ्य सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आकड़ों आदि के प्रति विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं है।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज की ओर से कर्नल विनय कुमार, कुलसचिव द्वारा पुनः मुद्रित एवं प्रकाशित – 2024

मुद्रक : सिग्नस इन्फार्मेशन सल्यूशन प्रा०लि०, लोढा सुप्रीमस साकी विहार रोड, अन्धेरी ईस्ट, मुम्बई।

खण्ड – एक : बौद्धिक अक्षमता–प्रकृति एवं आवश्यकताएँ

यह खण्ड आपको बौद्धिक अक्षमता की विभिन्न प्रकृति, उसकी विशेषताओं एवं उनके प्रकारों के बारे में अवगत करायेगा। जैसे-जैसे आप इस खण्ड का अध्ययन करेंगे आप पाएँगे कि बौद्धिक मंदित बालकों की आवश्यकताएँ सामान्य, बालकों से कितनी भिन्न है। इस खण्ड में कुल तीन इकाइयाँ हैं।

इकाई-1 में बौद्धिक अक्षमता की अवधारणा, उसका अर्थ तथा उसकी प्रकृति की चर्चा की गयी है।

इकाई-2 में बौद्धिक अक्षमता के कारण तथा उनसे बचने की युक्तियों का वर्णन किया गया है।

इकाई-3 में बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण, बौद्धिक अक्षम बालकों की पहचान तथा उनके लक्षणों का वर्णन किया गया है।

इकाई—1 बौद्धिक अक्षमता की अवधारणा, अर्थ एवं प्रकृति

संरचना

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 बौद्धिक अक्षमता की अवधारणा
 - 1.3.1 विभिन्न परिभाषाएँ
- 1.4 बौद्धिक अक्षमता का अर्थ
- 1.5 बौद्धिक अक्षमता की प्रकृति
- 1.6 चर्चा के बिन्दु
- 1.7 अभ्यास के प्रश्न
- 1.8 सारांश
- 1.9 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 1.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.1 प्रस्तावना

इस इकाई में आप बौद्धिक अक्षमता की आधारभूत संकल्पनाओं से परिचित होंगे। जो इस इकाई का मुख्यकेंद्र है बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा में आ रहे क्रमिक परिवर्तन। बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित करने के साथ-साथ इसके अर्थ एवं बौद्धिक अक्षमता की प्रकृति को भी इस इकाई में उजागर किया गया है।

1.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त अधिगमकर्ता

- बौद्धिक अक्षमता की अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे
- बौद्धिक अक्षमता का अर्थ बता सकेंगे
- बौद्धिक अक्षमता की विभिन्न परिभाषाओं को जान सकेंगे

1.3 बौद्धिक अक्षमता की अवधारणा

बौद्धिक अक्षमता एक ऐसा प्रलय है, जिसे व्यक्त करना सरल नहीं है। वास्तव में प्राचीन काल से ही बौद्धिक मंदित व्यक्तियों को बौद्धिक विकलांग, मन्दबुद्धि इत्यादि नामों से पुकारा गया है। अगर हम आपसे बौद्धिक अक्षमता के इतिहास की चर्चा करें तो आप पायेंगे कि यूरोप में 16वीं शताब्दी (पुनर्जागरण काल) से बौद्धिक चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ हुए। सन् 1547 में इंग्लैण्ड में

Badlam नामक बौद्धिक चिकित्सालय की स्थापना की गयी। धीरे-धीरे 20वीं शताब्दी तक विभिन्न मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वैज्ञानिकों इत्यादि ने यह जान लिया कि बौद्धिक अक्षमता भी अन्य शारीरिक व्याधियों की तरह एक रोग (दशा) है।

पूर्व में लोग बौद्धिक अक्षमता को बौद्धिक रुग्णता (Mental Illness) के रूप में ही जानते थे, परन्तु धीरे-धीरे बौद्धिक अक्षमता का क्षेत्र बहुत व्यापक होता चला गया। अमेरिका में 1876 में सेंगुइन के द्वारा Association of Medical Officers of American Institution for Idiotic & Feeble की स्थापना की गयी जिसका मुख्य उद्देश्य बौद्धिक रूप से विक्षिप्त एवं कम बुद्धि वाले व्यक्तियों की चिकित्सा एवं सेवा में कार्यरत डॉक्टरों चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को एक छत के नीचे लाकर इस क्षेत्र का विस्तार करना था। यह संस्था धीरे-धीरे कई नामों के रूप में &AAMD (American Association of Mental Deficiency), AAMR (American Association of Mental Retardation) तथा वर्तमान में प्रचलित AAIDD (American Association of Intellectual & Developmental Disability) अपना सफर पूरा कर रही है। भारतवर्ष में भी सन् 2016 में पारित RPWD act में बौद्धिक अक्षमता का नामकरण बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability) के रूप में किया गया है जिसके अन्तर्गत Specific Learning Disability व Autism Spectrum Disorder को भी रखा गया है।

1.3.1 विभिन्न परिभाषाएँ

अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ़ मेंटल रिटार्डेशन (AAMR 1983)

“बौद्धिक अक्षमता का अर्थ मस्तिष्क की आधारभूत बौद्धिक कार्यक्षमता के औसत स्तर में महत्वपूर्ण कमी का होना है जिसके फलस्वरूप अनुकूलित व्यवहार में कमी हो जाती है और यह भी विकासात्मक अवधि में दिखायी पड़ती है।”

"Mental retardation refers to significantly subaverage general intellectual functioning resulting in or associated with concurrent impairments in adaptive behaviour and manifested during developmental period (AAMR 1983)."

व्यापक रूप में अगर आप इस परिभाषा का अवलोकन करेंगे तो पायेंगे कि बौद्धिक अक्षमता के लिए बुद्धि के साथ-साथ अनुकूलित व्यवहार में कमी का होना भी जरूरी है।

अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ़ मेंटल रिटार्डेशन (AAMR, 1992) के अनुसार

“बौद्धिक अक्षमता से अभिप्राय व्यक्ति विशेष की वर्तमान कार्यात्मक क्षमता में अर्थपूर्ण सीमितता का होना है। यह अर्थपूर्ण सीमितता व्यक्ति विशेष के औसत बौद्धिक कार्यक्षमता के साथ दो या दो से अधिक अनुकूलन क्षेत्रों यथा सम्प्रेषण, स्वयं की देखभाल, घर में रहना, सामाजिक कौशल, सामुदायिक उपयोगों, स्वतः निर्देशित होना, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कार्यात्मक पठन-पाठन, खाली समय का सदुपयोग में 18 वर्ष से पूर्व ही दिखायी पड़ती है।”

Mental retardation refers to substantial limitations in present functioning. It is characterized by significantly subaverage intellectual functioning existing concurrently with related limitations in two or more of the following applicable adaptive skill areas- communication, self-care, home living, social skills, community use, self-direction, health and safety, functional academics, leisure and work. Mental retardation manifests before age 18.

इस परिभाषा की क्रियात्मकता की चार मुख्य मान्यताएँ हैं –

1. सही मूल्यांकन करते समय सांस्कृतिक एवं भाषायी विभिन्नता के साथ-साथ सम्प्रेषण एवं व्यावहारिक तत्वों को भी ध्यान में रखा जाता है।
2. अनुकूलन व्यवहारों की सीमितता को समुदाय के वातावरण के अन्तर्गत विशेषकर उस आयु समूह के व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं सहायता की अनुसूची में देखा जाता है।
3. विशिष्ट अनुकूलन सीमितता के साथ शक्तिशाली अनुकूलन व्यवहार या व्यक्तिगत क्षमताएँ साथ-साथ रहती हैं।
4. बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने हेतु वांछित सहायता देने से जीवन में सुधार आ सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोग एवं उससे सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याओं के अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (आई.सी.डी. -10)- 1992 के अनुसार- “बौद्धिक अक्षमता मस्तिष्क के अवरुद्ध विकास की दशा है जो 18 वर्ष से पूर्व बौद्धिक स्तर की विभिन्न क्रियाओं यथा- संज्ञानात्मक, भाषायी, गामक एवं सामाजिक क्षमताओं के निम्न स्तर के रूप में दिखायी पड़ती है।”

"A condition of arrested or incomplete development of mind which is specially characterized by sub-normality of intelligence in form of Cognitive, language, motor & social abilities & seen to be before the age group of 18 (ICD-10)- 1992"

उपरोक्त परिभाषा के अनुसार बौद्धिक अक्षमता को एक स्थिति बताया गया है जिसमें मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है अथवा पूर्णरूप से विकसित नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप कौशल में क्षति देखा जाता है।

परिभाषा में प्रयुक्त शब्द विकासात्मक काल का अर्थ गर्भाधान से 18 वर्ष तक का समय होता है। गर्भाधान से 18 वर्ष तक के समय में कौशल क्षति विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी होती है। कौशल का तात्पर्य उस कार्य से है जो व्यक्ति के उम्र, लिंग और सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार उससे की गयी अपेक्षा पर निर्भर करता है।

बौद्धिक स्तर की क्षति जैसे संज्ञानात्मक क्षति, किसी 10 वर्ष के बच्चे को अंकों की पहचान, रंगों की पहचान, दायें-बायें का ज्ञान इत्यादि न होना, भाषा विकास का प्रभावित होना तथा गामक विकास प्रभावित होने से बच्चे का उठना,

बैठना, चलना, दौड़ना इत्यादि आयु के हिसाब से नहीं होता है। इसमें सामाजिक योग्यताओं में भी क्षति होती है, जैसे— परिवार एवं समाज के लोगों से सहज रूप से मिलना—जुलना, अभिवादन करना, उचित व्यवहार करना इत्यादि में कमी पायी जाती है।

RPWD Act 2016 के अनुसार—“बौद्धिक अक्षमता(बौद्धिक अक्षमता) एक दशा है जो बौद्धिक कार्यात्मकता (तर्क संगत विचार, अधिगम, समस्या समाधान) एवं अनुकूलित व्यवहार में प्रभावपूर्ण कमी द्वारा परिलक्षित होती है यह कमी प्रतिदिन के सामाजिक एवं क्रियात्मक कौशलों में दिखायी पड़ती है। बौद्धिक अक्षम बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा शारीरिक, बौद्धिक एवं सामाजिक कौशलों में अत्यन्त पिछड़े हुए होते हैं। ये वृद्धि एवं विकास के महत्वपूर्ण पड़ावों को सामान्य बालकों की भाँति प्राप्त नहीं कर पाते। इसके अन्तर्गत Specific Learning Disability व Autism Spectrum Disorder को भी रखा गया है।”

1.4 बौद्धिक अक्षमता का अर्थ

आप अब तक बौद्धिक अक्षमता की अवधारणाओं व विभिन्न परिभाषाओं से परिचित हो चुके हैं। हम बौद्धिक मदता के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे जो विभिन्न परिभाषाओं में परिलक्षित हुआ है।

(क) बौद्धिक अक्षमता एक दशा है —

हम प्रारम्भ से ही इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि बौद्धिक अक्षमता कोई बीमारी या रोग नहीं है। यह एक अवस्था (Condition) है। अतः इसकी कोई औषधि नहीं है। इसे केवल शीघ्र ही पहचान करके इसकी रोकथाम के उपायों को अपनाया जाना चाहिए।

(ख) यह दशा विकासात्मक काल में दिखायी पड़ती है —

यहाँ विकासात्मक काल से अभिप्राय गर्भधारण Conception की अवस्था से 18 वर्ष तक की अवस्था से है।

(ग) बौद्धिक अक्षमता में बौद्धिक क्षमता (बुद्धिलब्धि) एवं अनुकूलित व्यवहार में कमी होती है —

व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का आकलन मात्रात्मक रूप से उसकी बुद्धिलब्धि के आधार पर किया जाता है। विभिन्न बुद्धिलब्धि परीक्षणों ने 90–110 बुद्धिलब्धि की परास range को औसत (Average) माना है। 90 से कम एवं 110 से अधिक बुद्धिलब्धि को सामान्य से कम एवं अधिक माना जाता है। बौद्धिक मंदित बच्चों में IQ की यह परास 20 से कम एवं 70 तक (20–70) तक पायी जाती है। बुद्धिलब्धि के साथ-साथ विशेष अपने आयु वर्ग के अनुरूप सामाजिक वातावरण में विभिन्न व्यवहारों का प्रदर्शन करता है जिसे अनुकूलित व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। जैसे भूख लगने पर खाना माँगना अथवा बनाना, रुपये पैसे का लेन-देन करना, सामाजिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना इत्यादि। बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के अनुकूलित व्यवहार में कमी उनके विभिन्न कौशलों यथा—दैनिक जीवन के कार्यों (शौच, स्नान, कंघी करना, वस्त्र पहनना आदि), घरेलू सामाजिक कार्यों, भाषायी

क्षेत्रों, पठन-पाठन, मुद्रा विनिमय (धन का लेन-देन), व्यावसायिक कौशलों आदि में दिखायी पड़ती है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) – नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये

(ख) – इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. RPWD Act 2016 के अनुसार बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित कीजिए।

.....
.....
.....
.....

2. बौद्धिक अक्षमता के संकल्पनिक (Conceptual) कौशल के उदाहरण दीजिए

.....
.....
.....
.....

1.5 बौद्धिक अक्षमता की प्रकृति

बौद्धिक अक्षमता की प्रकृति को निम्नलिखित दो प्रमुख वर्गों के अन्तर्गत रखकर अध्ययन किया जा सकता है—

1. बौद्धिक अक्षमता – बौद्धिक क्षमता के निम्न स्तर के रूप में।
 2. बौद्धिक अक्षमता – अनुकूलित व्यवहार की सीमितता के रूप में।
1. बौद्धिक अक्षमता – बौद्धिक क्षमता के निम्न स्तर के रूप में -(Sub average Intellectual ability)

बहुत समय तक बौद्धिक अक्षमता एवं बौद्धिक रुग्णता (Mental illness) में कोई अन्तर नहीं समझा जाता था। परन्तु जब इंग्लैण्ड में Mental Deficiency Act बना तब इन दोनों सम्प्रत्यों में अन्तर स्पष्ट हुआ।

2. बौद्धिक अक्षमता – अनुकूलित व्यवहार की सीमितता के रूप में।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहने के लिए समाज के वातावरण के अनुरूप ही कार्यो को करना पड़ता है। प्रायः यह देखा जाता है कि बौद्धिक मंदित बच्चे अपने वातावरण के साथ वांछनीय व्यवहार का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे एक बौद्धिक मंदित बालक जिसकी वास्तविक आयु (Chronological age) 10 साल की है, समावेशित कक्षा में 04 साल के बच्चों के समान विभिन्न कौशलों में व्यवहार प्रदर्शित करता है। अतः स्पष्ट है कि बौद्धिक अक्षमता के निर्धारण में अनुकूलित व्यवहार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एडगर डाल (Edger Doll) ने 1941 में 6 ऐसे आधारों के बारे में बताया है, जो बौद्धिक मंदता की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक है। ये आधार निम्न हैं –

- (a) सामाजिक असामर्थ्य (Social Incometence)
- (b) जो बौद्धिक असामान्यता के कारण हैं (Due to mental subnormality)
- (c) जो विकासात्मक रूप में बाधित हैं (Which has been developmentally arrested)
- (d) जो परिपक्वता के स्तर पर प्राप्त होती है (Which obtains at maturity)
- (e) जो संरचनात्मक मूल का है (Is of constitutional origin)
- (f) आवश्यक रूप से असाध्य है (Is essentially incurable)

1.6 चर्चा के बिन्दु

बौद्धिक अक्षमता की प्रकृति पर प्रकाश डालिए।

1.7 अभ्यास के प्रश्न

बौद्धिक मंदित बालकों के सामाजिक असामर्थ्य को स्पष्ट कीजिए।

1.8 सारांश

बौद्धिक मंदता का भारतीय इतिहास काफी प्राचीन है। अमेरिका में बौद्धिक अक्षमता की अग्रणी संस्था AAMR वर्तमान नाम AAIDD ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। वर्तमान समय में भारत में लागू किये गये RPWD act 2016 में मानसिक मंदता का नाम बदलकर बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability) कर दिया है। बौद्धिक अक्षमता / बौद्धिक सक्षमता से ग्रसित बच्चों में बौद्धिक क्षमता (IQ) एवं अनुकूलित व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण कमी पायी जाती है।

1.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. RPWD Act 2016 के अनुसार—“बौद्धिक अक्षमता (बौद्धिक अक्षमता) एक दशा है जो बौद्धिक कार्यात्मकता (तर्क संगत विचार, अधिगम, समस्या समाधान) एवं अनुकूलित व्यवहार में प्रभावपूर्ण कमी द्वारा परिलक्षित होती है यह कमी प्रतिदिन के सामाजिक एवं क्रियात्मक कौशलों में दिखायी पड़ती है। बौद्धिक अक्षम बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा शारीरिक, बौद्धिक एक सामाजिक कौशलों में अत्यन्त पिछड़े हुए होते हैं। ये वृद्धि एवं विकास के महत्वपूर्ण पड़ावों को सामान्य बालकों की भाँति प्राप्त नहीं कर पाते। इसके अन्तर्गत Specific Learning Disability व Autism Spectrum Disorder को भी रखा गया है। ”

2. बौद्धिक अक्षमा के संकल्पनिक (Conceptual) कौशल के उदाहरण भाषा (अभिव्यक्ति/ग्राह्य), पढ़ना, लिखना, धन संबंधी संकल्पना एवं स्व-निर्देश आदि हैं।

1.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Accardo, P.J., Magnusen, C., and Capute, A.J (2000). Mental retardation: Clinical and Research Issues. York Press, Baltimore.
2. American Psychiatric Association (2014). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th Edition). Washington DC.
3. Disability Status of India (2012). Rehabilitation Council of India, New Delhi.
4. Sharma, Arvind (2014). *A Study on Prevalence of Speech and Language Disorders in Children with Intellectual Disability*, International Journal of Disability Studies, Vol. 1, No. 1.

इकाई-2 बौद्धिक अक्षमता के कारण एवं रोकथाम

संरचना

- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 उद्देश्य
- 3.3 बौद्धिक अक्षमता के कारण
 - 2.3.1 आनुवांशिक कारण (Heredity factor)
 - 2.3.2 वातावरण सम्बन्धी कारण (Environmental factor)
- 3.4 बौद्धिक अक्षमता की रोकथाम
 - 2.4.1 प्रसवपूर्व की अवधि
 - 2.4.2 प्रसव के दौरान की अवधि।
 - 2.4.3 प्रसवोत्तर की अवधि।
- 3.5 चर्चा के बिन्दु
- 3.6 अभ्यास के प्रश्न
- 3.7 सारांश
- 3.8 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 3.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

2.1 प्रस्तावना

बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी अवस्था है जो कई कारणों से जन्म लेती है। व्यापक रूप में इन कारणों को जन्म के पूर्व से लेकर जन्म के पश्चात् के कारणों में विभाजित किया जा सकता है। चिकित्सा विज्ञान ने आज इतनी उन्नति कर ली है कि बालक के जन्म लेने से पूर्व ही उसमें बौद्धिक अक्षमता की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है। प्रस्तुत इकाई में हम बौद्धिक अक्षमता के विभिन्न कारणों व उनसे बचने के उपायों की चर्चा करेंगे।

2.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त अधिगमकर्ता

- बौद्धिक अक्षमता के विभिन्न कारणों को पहचान सकेंगे
- बौद्धिक अक्षमता के विभिन्न कारणों में अन्तर कर सकेंगे
- बौद्धिक अक्षमता के रोकथाम के उपायों की चर्चा कर सकेंगे

2.3 बौद्धिक अक्षमता के कारण

बौद्धिक अक्षमता के समस्त कारणों को आनुवांशिक कारण (Heredity factor) तथा वातावरण सम्बन्धी कारण (Environmental factor) में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है।

2.3.1 आनुवांशिक कारण (Heredity factor)

मानव कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जिन पर कुछ विशिष्ट संरचनाएं पायी जाती हैं जिन्हें जीन (Gene) कहते हैं। इन 46 गुणसूत्रों या 22 जोड़े गुणसूत्रों (Autosomes) में समान जीन पाये जाते हैं पर 23वाँ जोड़े गुणसूत्र (Sex Chromosome) में लिंग निर्धारण जीन X एवं Y होते हैं। सामान्यतया: इन गुणसूत्रों में निम्न तीन प्रकार की विसंगतियाँ देखी जा सकती हैं –

- (1) ट्रायसोमी
- (2) मोसेसिज्म
- (3) ट्रांसलोकेशन

इसमें से 21वें जोड़ी गुणसूत्र में जब एक और गुणसूत्र कोशिका विभाजन के दौरान जुड़ जाता है तब यह दशा ट्रायसोमी कहलाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण डाउन सिण्ड्रोम है। इसके अतिरिक्त Fregile x Syndrome, Turner Syndrome इत्यादि भी बौद्धिक अक्षमता के आनुवांशिक कारणों में आते हैं। जिन व्यक्तियों में इस प्रकार विकृत संरचना वाले गुणसूत्र पाये जाते हैं, बौद्धिक अक्षमता ही हों, यह आवश्यक नहीं। ये व्यक्ति केवल वाहक (Carrier) भी हो सकते हैं। ये जीन उनमें निष्प्रभावी एवं दमित रहते हैं तथा अगली पीढ़ी में प्रभावी एवं सक्रिय होते हैं। माता-पिता में से यदि कोई एक इस विकृत जीन का वाहक है तो सम्भावना होती है कि उसकी आधी संताने दोषपूर्ण होंगी और यदि माता-पिता दोनों वाहक हैं तो तीन चौथाई सन्तानों के दोषपूर्ण होने की संभावना है।

2.3.2 वातावरण सम्बन्धी कारण (Environmental factors)

वातावरण में ऐसे अनेक संभावित कारक हैं, जो बौद्धिक अक्षमता का कारण हो सकते हैं। प्रायः कोई एक कारण बौद्धिक अक्षमता के लिये उत्तरादायी नहीं होता बल्कि अनेक कारण मिलकर बौद्धिक अक्षमता लाते हैं। वातावरण सम्बन्धी कारकों को निम्नलिखित तीन वर्गों में बाँट कर अध्ययन किया जा सकता है।

- (1) जन्म के पूर्व के कारण (Prenatal factors)
- (2) जन्म के समय के कारण (Perinatal factors)
- (3) जन्म के पश्चात के कारण (Post natal factor)

(1) जन्म से पूर्व के कारण

- माता में संक्रमण, विशेषतः गर्भावस्था के पहले तीन महीनों के दौरान होने पर, भ्रूण के मस्तिष्क के विकास को क्षति पहुँचा सकते हैं। कुछ संक्रमण जैसे रूबेला (जर्मन मीजल), हर्पीज और साईटोमिगेली, टोक्सोप्लासमोसिस, सिफलिस और ट्यूबरकुलोसिस से भ्रूण प्रभावित होता है।

- माता को मधुमेह और उच्च रक्तचाप, गुर्दे की चिरकालिक समस्याएँ, कुपोषण बढ़ते हुए भ्रूण को क्षति पहुँचा सकती है। माता में अल्पक्रियता की स्थिति होने से बच्चा बौना पैदा हो सकता है। माता में थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से (अल्पक्रियता) बढ़ते हुए भ्रूण की केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र में दोष उत्पन्न हो सकते हैं जिसके फलस्वरूप बौद्धिक अक्षमता हो सकती है।
- गर्भावस्था के महीनों में एक्स-रे करवाने के कारण, हानिकारक दवाइयाँ (विशेषतः जिन दवाइयों का उपयोग कैंसर के निदान के लिए किया जाता है) लेने से बढ़ते हुए भ्रूण को क्षति पहुँच सकती है। माता को दौरे, जिनका इलाज नहीं किया जा सकता, और गिरने से दुर्घटना, जिससे पेट में चोट लगी हो, से बढ़ते हुए भ्रूण को क्षति पहुँच सकती है और यह बौद्धिक अक्षमता का कारण हो सकती है।
- केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र के जन्मजात दोष जैसे हाईड्रोसिफालस, माइक्रोसिफोली और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में हुए अनेक दोष बौद्धिक अक्षमता से संबद्ध होते हैं।
- आर. एच. फैक्टर, गर्भपात के शीघ्र बाद गर्भधारण करना, अनुवांशिक विकार के फलस्वरूप बौद्धिक अक्षमता हो सकती है।

(2) जन्म के समय के कारण

- विभिन्न कारणों से समयपूर्व जन्म (28 सप्ताह और 34 सप्ताह के बीच जन्म के कारण)
- कम वजन वाला शिशु (2 कि०ग्रा० से कम)
- जन्म के तत्काल बाद सांस न लेना (यदि मस्तिष्क को 4 या 5 मिनट के लिए आक्सीजन नहीं दी जाती है तो उसकी क्षति हो सकती है)।
- भ्रूण के सिर और जनन मार्ग के बीच असंगति या दीर्घ प्रसव अथवा अनुपयुक्त उपकरणों के प्रयोग द्वारा प्रसव के फलस्वरूप अतिरिक्त जैसे कारणों के कारण नवजात के सिर में चोट।
- गर्भाशय में भ्रूण की असामान्य स्थिति।
- भ्रूण के चारों और नाभिनाल का अत्यधिक कुण्डलीकरण।
- गर्भनाल की असामान्य स्थिति।
- माता में उच्च रक्तचाप और दौरा पड़ने के कारण गर्भावस्था में जीव विषरक्तता।
- नवजात शिशु के सिर में विभिन्न कारणों से रक्तस्राव।
- नवजात शिशु को विभिन्न कारणों से तीव्र पीलिया।
- माता को दी गई दवाइयाँ जैसे – बेहोशी की और पीड़नाशक दवाइयाँ।

(3) जन्म के पश्चात के कारण

- बच्चे में कुपोषण: जब स्नायु कोशिकाओं (Nerve Cells) का गुणन अत्यधिक सक्रिय होता है तब बच्चे का दिमाग गर्भायु के 12–18 सप्ताह के दौरान और बच्चे के पैदा होने से 2 वर्ष का होने तक कुपोषण के लिए नाजुक है। इस अवधि के दौरान अपर्याप्त प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेना बौद्धिक अक्षमता का कारण हो सकता है।
- बच्चे में संक्रमण जैसे तानिकशोथ (मेनिन्जाइटिस) या मस्तिष्क ज्वर (एन्सिफेलाइटिस) बौद्धिक अक्षमता का कारण हो सकता है।
- बच्चे को बार-बार दौरा पड़ने से दिमाग क्षतिग्रस्त हो सकता है और बौद्धिक अक्षमता का कारण हो सकता है।
- नवजात शिशु में पीलिया होने से।
- दुर्घटना या गिरने से मस्तिष्क में कोई चोट लगना बौद्धिक अक्षमता का कारण हो सकता है।

स्रोत: बौद्धिक मंदन – मनोवैज्ञानिकों के लिए नियम पुस्तिका, NIMH

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) – नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये

(ख) – इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. बौद्धिक अक्षमता के जन्म से पूर्व के वातावरणीय कारणों की सूची बनाइये।

.....

.....

.....

.....

2. ट्रायसोमी से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

2.4 बौद्धिक अक्षमता की रोकथाम

सामान्य तौर पर कहा जाता है कि थोड़ी सी रोक-थाम बड़े उपचार से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए बौद्धिक अक्षमता से बचने के लिए विभिन्न स्थितियों में तरह-तरह की सावधानी बरतने हेतु सुझाव दिया जाता है। विभिन्न अवस्थाओं में यह सावधानियाँ अलग-अलग तरीके से रखनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण अवस्थाएं इस प्रकार हैं –

2.4.1 प्रसवपूर्व की अवधि

2.4.2 प्रसव के दौरान की अवधि।

2.4.3 प्रसवोत्तर की अवधि।

2.4.1 प्रसवपूर्व की अवधि

- (क) गर्भवती महिला की समय-समय पर डाक्टरी जांच महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिला को पर्याप्त आहार देना चाहिए। यदि पहले हुई प्रसूतियों में कोई विकृति हो या कई बार गर्भपात हुए हों तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए तथा उसे अतिरिक्त जांच के लिए सम्पूर्ण सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँ।
- (ख) गर्भवती महिला को डाक्टरी सलाह के बिना दवाईयाँ नहीं लेनी चाहिए।
- (ग) यदि गर्भवती महिला गर्भपात कराना चाहती है तो उसे गर्भपात किसी योग्य डॉक्टर से करवाना चाहिए और गर्भपात के लिए स्थानीय तरीकों का सहारा नहीं लेना चाहिए।
- (घ) गर्भवती महिला को विशेषतः गर्भावस्था की प्रारम्भिक अवस्थाओं में एक्स-रे नहीं करवाने चाहिए।
- (ङ) गर्भवती महिला को खसरा और टेटनस जैसे रोगों से बचाव के लिए टीके लगवाये जाने चाहिए।
- (च) यदि गर्भवती महिला को उच्च रक्तचाप है या उसे बार-बार दौरे पड़ते हों तो उसकी निरन्तर किसी योग्य डॉक्टर से अवश्य जांच करवाते रहना चाहिए।
- (छ) गर्भावस्था के दौरान मेहनत वाले काम जैसे भारी वजन उठाना, विशेषतः खेतों में, और अन्य कार्य जिनसे दुर्घटना होने की सम्भावना हो जैसे फिसलन वाली जगह पर चलना, छोटे स्टूलों और कुर्सियों पर चढ़ने से बचना चाहिए।
- (ज) यदि बच्चे में आनुवांशिक समस्या है तो गर्भवती महिला को ऐसे स्थान पर भेजा जाए जहाँ गर्भ में ऐसी असामान्यताओं का पता लगाने के परीक्षण उपलब्ध हों।

2.4.2 प्रसव के दौरान की अवधि

- (क) प्रसव के दौरान मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने से बौद्धिक मन्दता के कारण होते हैं। बच्चे के जन्म के दौरान होने वाली कठिनाइयाँ भारत जैसे विकासशील देशों में बौद्धिक मंदन के सामान्य कारणों में से एक कारण है क्योंकि विशेषज्ञों की सुविधा सर्वदा उपलब्ध नहीं होती। प्रसव के दौरान उचित देखभाल बौद्धिक मंदन की रोकथाम में सहायक हो सकती है।
- (ख) प्रसव प्रशिक्षित चिकित्सकों से करवाना चाहिए। विषमताओं का प्रारम्भिक अवस्था में अवश्य पता लगा लेना चाहिए और डॉक्टर को उस स्थिति के बारे में बता देना चाहिए।
- (ग) गर्भाशय में गर्भ की असामान्य स्थिति के मामले में, प्रसव किसी योग्य डॉक्टर से अवश्य करवाया जाना चाहिए।

- (घ) जन्म के समय यदि बच्चा नीला है या बच्चा देर से रोता है तो बच्चे को तत्काल आक्सीजन अवश्य देनी चाहिए। यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बच्चा ठीक तरह से सांस ले रहा है।
- (ङ.) यदि कोई जन्मजात असामान्यता दिखाई पड़ती है तो बच्चे को देख-रेख के लिए विशेषज्ञ के पास भेजा जाना चाहिए।

2.4.3 प्रसवोत्तर अवधि

- (क) बच्चे को डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनस, खसरा, तपेदिक और कुकुरखांसी जैसे सभी संक्रामक रोंगों से बचाव के टीके लगवाए जाएं।
- (ख) यदि बच्चे को बहुत तेज बुखार है तो उस पर ठण्डे पानी की पट्टी रखें तथा बुखार द्वारा तापमान को तत्काल कम किया जाना चाहिए।
- (ग) यदि बच्चे को दौरे पड़ते हों तो दौरे को नियंत्रित किया जाए और आगे दौरे न पड़े जिसके लिए दवाई अवश्य दी जाए।
- (घ) महामारियों, विशेष रूप से जो मस्तिष्क ज्वर (मस्तिष्कशोध) से होती हैं, के मामले में बच्चे की उचित देखभाल करनी चाहिए और मस्तिष्कशोध के अन्य रोगियों के प्रभाव में नहीं लाया जाना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आहार और जल प्रदूषित न हो।
- (ङ.) बच्चे को पर्याप्त पोषक आहार दिया जाए क्योंकि, विकासात्मक अवधि के दौरान कुपोषण मस्तिष्क विकास के लिए हानिकारक माना जाता है।
- (घ) यदि बच्चा छोटे या बड़े सिर वाला अथवा ँंठे हुए अंग वाला पैदा होता है तो उसे आगे होने वाली अशक्तताओं से बचाव के लिए डॉक्टर के पास ले जाया जाना चाहिए।
- (छ) यदि बच्चे को पहले छः माह के दौरान उचित अवस्था प्राप्त करने में काफी विलम्ब होता है तो बच्चे की विकासात्मक अशक्तताओं के संपूर्ण मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ से जांच करवाई जाए।

उल्लिखित बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित बातें भी ध्यान में रखी जाएँ।

- (क) 18 वर्ष की आयु से पूर्व और 35 वर्ष की आयु के बाद गर्भधारण से बचना चाहिए।
- (ख) सगोत्र विवाह से बचना अपेक्षित है अर्थात् चचेरे भाई बहनों के बीच विवाह, विशेष रूप से जब परिवार में बौद्धिक मंद व्यक्ति हो।
- (ग) यदि परिवार में वंशानुगत कारण से कोई बौद्धिक मंद व्यक्ति है तो माता पिता को समझाया जाना चाहिए कि, भविष्य में उन्हें बौद्धिक मंद संतान होने का खतरा हो सकता है।

स्रोत: बौद्धिक मंदन – मनोवैज्ञानिकों के लिए नियम पुस्तिका, NIMH

2.5 चर्चा के बिन्दु

बौद्धिक अक्षमता के आनुवांशिक कारणों की व्याख्या कीजिए।

2.6 अभ्यास के प्रश्न

भावी बालक को बौद्धिक अक्षमता से बचाने हेतु माता को कौन-कौन सी सावधानियाँ अपनानी चाहिए।

2.7 सारांश

बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। यह अवस्था विकासात्मक अवधि (0–18 वर्ष) में परिलक्षित होती है। बौद्धिक अक्षमता के लगभग 80 प्रतिशत कारक आनुवांशिक होते हैं। (Sharma, 2015) अर्थात् यदि माता-पिता में से कोई एक भी बौद्धिक अक्षम होता है तो उसकी होने वाली संतान भी बौद्धिक अक्षम हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान यदि माता की उपापचय क्रिया अव्यवस्थित हो जाये तो भी बच्चा बौद्धिक अक्षम हो सकता है। इसके अतिरिक्त बौद्धिक अक्षमता के कई अन्य कारक भी हैं। अतः बच्चे को बौद्धिक अक्षमता से बचाने हेतु प्रसव के पूर्व से लेकर प्रसव के पश्चात् के उपायों को अपनाया जाना चाहिए।

2.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. बौद्धिक अक्षमता के जन्म से पूर्व के वातावरणीय कारण निम्न हैं—

- गर्भवती महिला को प्रथम तीन महीनों में ऐसे संक्रमक रोगों का होना जो भ्रूण के मस्तिष्क विकास पर प्रभाव डालते हैं, जैसे सिफलिस, रूबेला टॉक्सोप्लाज्मासिस, सी.एम.बी. इत्यादि।
- गर्भावस्था में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाइपोथाइरॉयडिज्म और हाइपर थाइरॉयडिज्म जैसे रोग होने पर।
- मदिरा, धूम्रपान, शराब, अनावश्यक दवाइयों एवं अन्य मादक द्रव्यों के सेवन से।
- कुपोषण से।
- गर्भावस्था के दौरान माँ को चोट लगने एवं भारी वजन उठाने से।
- गर्भावस्था के प्रारम्भिक महीनों में एक्स-रे करवाने के कारण।
- गर्भावस्था के दौरान हानिकारक दवाइयों के सेवन से।
- आर. एच. फैक्टर के कारण।
- गर्भपात के शीघ्र बाद गर्भधारण करने से।
- आनुवांशिक विकार।

- प्रसव के समय से पूर्व श्वेत पदार्थ या रक्तस्राव होने से।
- गुण-सूत्र सम्बन्धित विकार से।

2. **ट्रायसोमी** – गुणसूत्र की यह विकृति बालकों में बौद्धिक अक्षमता का सबसे प्रमुख कारण है। इस प्रकार की विकृति वाले बालकों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्रों में 21 वां जोड़ा वास्तव में दो का न होकर तीन गुणसूत्रों का होता है।

2.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Accardo,P.J., Magnusen,C., and Capute,A.J (2000).Mental retardation: Clinical and Research Issues. York Press, Baltimore.
2. American Psychiatric Association (2014). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th Edition). Washington DC.
3. Disability Status of India (2012). Rehabilitation Council of India, New Delhi.
4. Robert M.K.,Jenson H.B., Behrman R.B., Stanton,B.F (2007). *Nelson Textbook of Pediatrics*, 18th edition, New Delhi:Saunders Elsevier.
5. Sharma, Arvind (2014). *A Study on Prevalence of Speech and Language Disorders in Children with Intellectual Disability*, International Journal of Disability Studies, Vol. 1, No. 1.
6. Smith M.B, Patton J.R, Kin S.H (2006). *Mental Retardation:An Introduction to Intellectual disabilities*, New Jersey:Pearson Education,Inc.

इकाई-3 बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण, पहचान एवं विशेषतायें

संरचना

- 6.1 प्रस्तावना
- 6.2 उद्देश्य
- 6.3 बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण
 - 3.3.1 चिकित्सकीय
 - 3.3.2 मनोवैज्ञानिक
 - 3.3.3 शैक्षणिक
 - 3.3.4 नवीनतम वर्गीकरण
- 6.4 बौद्धिक अक्षमता की पहचान
- 6.5 बौद्धिक अक्षम बालकों की विशेषताएँ
- 6.6 चर्चा के बिन्दु
- 6.7 अभ्यास के प्रश्न
- 6.8 सारांश
- 6.9 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 6.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

3.1 प्रस्तावना

प्रत्येक दिव्यांग बालक अपनी दिव्यांगता के आधार पर अन्य बालकों से भिन्न होता है। बौद्धिक अक्षम बालक भी अपनी बुद्धिलब्धि, शैक्षणिक कार्यक्षमता, इत्यादि के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं। इन बालकों की पहचान इनके विभिन्न विकासात्मक मापदण्डों (Developmental milestones) के आधार पर की जा सकती है। प्रस्तुत इकाई में अधिगमकर्ता बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण, इसकी पहचान व इन बालकों की विशेषताओं का गहन अध्ययन करेंगे।

3.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त अधिगमकर्ता

- बौद्धिक अक्षम बालकों का वर्गीकरण कर सकेंगे।
- बौद्धिक अक्षम बालकों की शीघ्र पहचान कर सकेंगे।

- बौद्धिक अक्षम बालकों की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे।

3.3 बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण

बौद्धिक अक्षमता के वर्गीकरण हेतु विद्वानों ने समय-समय पर विभिन्न आधारों की चर्चा की है। कुछ मनोवैज्ञानिक ने बुद्धिमत्ति को आधार मानकर बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण किया है तो वहीं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण का आधार शैक्षणिक रखा है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमें बौद्धिक अक्षमता के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी ? आइये इसका उत्तर निम्नलिखित पंक्तियों में खोजें –

- सम्पूर्ण विश्व में बौद्धिक अक्षमता के वर्गीकरण का एक मानक निर्धारित करना।
- बौद्धिक अक्षमता के समस्त कारणों को सूचीबद्ध करके उन्हें मानकीकृत करना।
- वर्गीकरण के द्वारा बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र में नैदानिक (Diagnostic) एवं उपचारात्मक (Remedial) शोधों (Researches) को बढ़ावा देना।
- विभिन्न देशों में कार्यरत बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक छत (Single Umbrella) के नीचे लाना एवं उनमें आपस में सहयोग द्वारा बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र की जटिलताओं का गुणात्मक (Qualitative) हल ढूँढना।

3.3.1 चिकित्सकीय वर्गीकरण

बौद्धिक अक्षमता के विभिन्न चिकित्सीय (Medical) कारणों को ध्यान में रख कर यह वर्गीकरण किया गया है:—

1. जन्म से पूर्व के समस्त कारक (अनुवंशिक एवं गैर आनुवंशिक)।
2. जन्म के दौरान के समस्त कारक जैसे –Anoxia, Rubella Virus का संक्रमण, गर्भ का गर्भाशय के बाहर विकसित होना (atrophic pregnancy) आदि।
3. जन्म के पश्चात् के समस्त कारक जैसे – बच्चे का जन्म के पश्चात् तुरन्त न रोना, बच्चे में पीलिया का होना, बच्चे का वजन अत्यधिक कम होना इत्यादि।
4. समस्त प्रकार के पर्यावरणीय कारक।
5. अन्य समस्त कारक।

3.3.2 मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण

इस प्रकार के वर्गीकरण का आधार बालक की बुद्धिमत्ति (IQ) को ध्यान में रखकर दिया जाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने (IQ) के विभिन्न स्केलों का वर्णन किया है जिसके आधार पर हम निम्नानुसार वर्गीकरण कर सकते हैं –

- (1) स्टैनफोर्ड – बिने परीक्षण (Stainford - Binet test of Intelligence)
- (2) संशोधित वेश्लर बुद्धि परीक्षण (Revised weshler Intelligence test)

Level of Impairment	Descriptive terminology	Standard deviation Ranges	Stainford - Binet (SD=16)	Weshler scale (SD=15)
1-	Borderline (सीमा रैखित)	-1.01 to -2.00	68-83	70-84
2-	Mild (अति अल्प)	-2.01 to -3.00	52-67	55-69
3-	Moderate (अल्प)	-3.01 to -4.00	36-51	40-54
4-	Severe (गम्भीर)	-4.01 to -5.00	20-35	25-39
5-	Profound (अति गम्भीर)	Below - 5.00	Under 20	Under 25

Source : Haber (1961) pp 58-59

यह वर्गीकरण बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के उस स्तर को प्रदर्शित करते हैं। जिस स्तर पर व्यक्ति अपनी आत्मनिर्भरता, अनुकूलित व्यवहार व शैक्षणिक स्तर की सीमा के अनुरूप कार्य करता है।

(1) सीमारेखित बौद्धिक अक्षमता – इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले बच्चे प्रायः शीघ्र पहचान में नहीं आते हैं। जब ये बच्चे विद्यालय जाने लगते हैं तब उनके शैक्षणिक निष्पादन एवं कभी-कभी उग्र व्यवहार के कारण इनकी पहचान हो जाती है। इन बच्चों को विशेष शिक्षण विधियों एवं तकनीकी के प्रयोग से पढ़ाया जा सकता है साथ ही इनके उग्र एवं विनाशक व्यवहार को व्यवहार परिमार्जन की विभिन्न विधियों के प्रयोग से सुधारा जा सकता है।

(2) अति अल्प बौद्धिक अक्षमता – इस वर्गीकरण के अन्तर्गत ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनकी बुद्धिलब्धि 50–70 के मध्य होती है। ऐसे बच्चों के गामक कौशलों, सामाजिक कौशलों एवं कार्यात्मक पठन-पाठन में प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके साथ ही इनको स्वरोजगार हेतु भी तैयार किया जा सकता है परन्तु इसके लिए इनको व्यापक निर्देशन एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता रहती है।

(3) अल्प बौद्धिक अक्षमता – इसके अन्तर्गत उन बच्चों को रखा जाता है जिनकी बुद्धिलब्धि 35 से 50 के मध्य होती है। इन बालकों को दैनिक क्रिया-कलापों का प्रशिक्षण के साथ-साथ सामाजिक एवं व्यवसायिक कौशलों में प्रशिक्षित किया जा सकता है।

(4) गम्भीर बौद्धिक मंदता – इस श्रेणी के अन्तर्गत उन बच्चों को रखा जाता है जिनकी बुद्धिलब्धि 20 से 35 के मध्य होती है। ऐसे बच्चों को उनकी दैनिक

जीवन की आवश्यकताओं हेतु निरन्तर मदद की जरूरत होती है। ऐसे बच्चों को गहन प्रशिक्षण द्वारा कुछ सामान्य सकल गामक क्रियाओं में प्रशिक्षित कर स्वयं से किये जाने वाले कार्यों को सिखाया जा सकता है।

(5) अति गम्भीर बौद्धिक अक्षमता — इस श्रेणी के अन्तर्गत 20 से कम बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को रखा जाता है। इन बालकों को निरन्तर दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अतः इनकी प्रत्येक आवश्यकताएं दूसरों की मदद से ही पूरी होती हैं।

3.3.3 शैक्षणिक वर्गीकरण

इस प्रकार का वर्गीकरण बौद्धिक अक्षम बालकों के क्रिया-कलापों एवं वर्तमान स्तर के निष्पादन पर आधारित होता है। बच्चों के वर्तमान स्तर का आकलन करके निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

(क) शिक्षणीय बौद्धिक अक्षमता — इस श्रेणी के अन्तर्गत अतिअल्प बौद्धिक अक्षम बच्चों को रखा जाता है जिनकी बुद्धिलब्धि 50-70 के मध्य होती है। इन बच्चों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार सामाजिक कौशलों में निपुण किया जा सकता है। इन बच्चों को कक्षा आठ तक समावेशी कक्षाओं में शिक्षित कर आगे की शिक्षा हेतु NIOS की मदद ली जा सकती है। इन बच्चों को खुला रोजगार एवं स्वयं के रोजगार हेतु तैयार करके आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

(ख) प्रशिक्षणीय बौद्धिक मदंता — इस समूह के अन्तर्गत रखे जाने वाले बौद्धिक अक्षम बच्चों को सूक्ष्म गामक एवं सकल गामक क्रियाओं में प्रशिक्षण देकर रोजगार हेतु तैयार किया जा सकता है। ऐसे बच्चे सामाजिक कौशलों को कुछ सीमा तक ही सीख पाते हैं। अतः इन्हें आश्रयदाता (Shelter) रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जहाँ पर ये बच्चे सुपरवाइजर या मेंटर की देखरेख में विभिन्न कार्यों का सम्पादन कर सकते हैं।

(ग) अभिरक्षणीय बौद्धिक मदंता — इस श्रेणी के अन्तर्गत उन सभी बच्चों को रखा जाता है जिन्हें निरन्तर देख रेख की आवश्यकता पड़ती है। अतः ऐसे बच्चों को कुछ विशिष्ट गामक कौशलों में ही प्रशिक्षित किया जा सकता है।

3.3.4 आधुनिक वर्गीकरण

जैसे कि आप अभी तक परिचित हो चुके हैं कि बौद्धिक अक्षमता कोई रुग्णता न होकर एक अवस्था है जिसमें बच्चे की बुद्धिलब्धि सामान्य से कम होती है तथा उसके अनुकूलित व्यवहार में भी कमी पायी जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि बौद्धिक अक्षमता को स्पष्ट करने हेतु बुद्धिलब्धि एवं अनुकूलित व्यवहार के माध्यम से कौन सा मानक सहसम्बन्ध स्थापित किया जाये जिससे इसके वर्गीकरण को एक नवीन आयाम प्राप्त हो। उदाहरण के लिए यदि एक 45 बुद्धिलब्धि (IQ) वर्गीकरण का आधार होता है परन्तु ऐसा करना इस बच्चे के साथ न्यायसंगत नहीं होगा क्योंकि इसका अनुकूलित व्यवहार अति अल्प श्रेणी के बौद्धिक अक्षम बच्चे से भी उच्च कोटि का है। अतः इस प्रकार की चुनौतियों को देखते हुए अमेरिका की

अग्रणी संस्था AAIDD ने कार्यक्षमता को आधार बनाकर एक नवीन वर्गीकरण दिया है, जो निम्न है –

क्रम सं०	नामकरण	सहायता का स्तर
1.	आंतरायिक (Intermittent)	बीच-बीच में दी जाने वाली सहायता, आवश्यकतानुरूप, सहायता तत्पश्चात् सहायता में कमी करना, केवल कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही सहायता, स्वयं से जीवन जीने योग्य कौशल उपस्थित।
2.	संकुचित (Limited)	प्रथम श्रेणी (आंतरायिक) से अधिक सहायता की आवश्यकता, सहायता का क्षेत्र थोड़ा अधिक व्यापक, बच्चा थोड़ी सहायता से स्वयं से जीवन जीने योग्य।
3.	व्यापक सहायता (Extensive)	अधिकतर क्षेत्रों में लगातार सहायता की आवश्यकता, सहायता का स्तर थोड़ा गम्भीर, कुछ क्षेत्रों (सामाजिक, मनोरंजनात्मक, स्वयं से निर्णय लेना) में निरन्तर एवं आजीवन सहायता की आवश्यकता
4.	अति व्यापक (Pervasive)	कौशलों के सभी क्षेत्रों में निरन्तर एवं गम्भीर सहायता की आवश्यकता, जीवन पर्यन्त सहायता की आवश्यकता

Translated and adopted directly from Intellectual Disability : Definition, Classification & support system, 2002 10th manual, AAMR

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) – नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये

(ख) – इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. अति अल्प बौद्धिक अक्षमता को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2. ए.ए.आई.डी.डी. द्वारा सुझाया गया 'आंतरायिक सहायता' से आप क्या समझते हो।

.....

.....

.....

.....

3.4 बौद्धिक अक्षमता की पहचान

किसी भी स्थिति का बेहतर हल ढूँढने के लिए उसका शीघ्र पहचान पहला कदम है। यदि बौद्धिक अक्षमता की भी शीघ्र पहचान हो जाती है तो उनकी समस्याओं के समाधान एवं लाभ के लिए कुछ किया जा सकता है।

शीघ्र पहचान के लिए जाँच अनुसूची (Check list for Early Identification) (जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए)

नीचे अलग-अलग उम्र के बच्चों के लिए अलग-अलग अनुसूची दी जा रही है। जिसके अनुसार बौद्धिक निःशक्तता की शीघ्र पहचान की जा सकती है।

प्रतिक्रिया	आयु
आवाज देकर बुलाने पर बच्चा प्रतिक्रिया व्यक्त करता है	1-3 माह
किसी को देखकर मुस्कराता है।	4 माह
सिर को स्थिर रखता है।	4 माह
बिना सहारे बैठता है।	6-8 माह
ठीक से चलता है।	12-15 माह
2-3 शब्दों के वाक्य बोलता है।	16-30 माह
अपने आप खा-पी लेता है।	2-3 वर्ष
अपना नाम बताता है।	2-3 वर्ष
शौच पर नियंत्रण करता है।	3 वर्ष
सामान्य खतरों से दूर रहता है।	3 वर्ष
दौरे पड़ते हैं?	हाँ / नहीं
शारीरिक असमर्थता हैं?	हाँ / नहीं

स्रोत: बौद्धिक मंदन – मनोवैज्ञानिकों के लिए नियम पुस्तिका, NIMH

3-6 वर्ष के बच्चों के लिए जाँच अनुसूची

1.	क्या बच्चे ने दूसरे बच्चों की तुलना में बैठना, खड़े होना और चलना अपेक्षाकृत अधिक देर से शुरू किया	हाँ / नहीं
2.	क्या बच्चे को सुनने में कठिनाई है?	हाँ / नहीं
3.	क्या बच्चे में देखने सम्बन्धी कठिनाई है?	हाँ / नहीं
4.	जब तक आप बच्चे से कुछ करने को कहते हैं तो उसे आपकी बात समझने में परेशानी होती है?	हाँ / नहीं
5.	क्या बच्चे के अंगों में कमजोरी या ऐंठन है या चलने में	हाँ / नहीं

	परेशानी होती है।	
6.	क्या बच्चे को कभी-कभी दौरे पड़ते हैं? वह उग्र या अचेत हो जाता है।	हाँ / नहीं
7.	क्या बच्चे को अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह कार्य करना सीखने में कठिनाई महसूस होती है?	हाँ / नहीं
8.	क्या बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, नहीं समझ सकता या सार्थक शब्द नहीं बोलता है?	हाँ / नहीं
9.	क्या बच्चा सामान्य बच्चों की तुलना में अलग ढंग से बोलता है?	हाँ / नहीं
10.	क्या बच्चा अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में किसी भी तरह से पिछड़ा, उदासीन या मंद दिखाई देता है।	हाँ / नहीं

स्रोत: बौद्धिक मंदन – मनोवैज्ञानिकों के लिए नियम पुस्तिका, NIMH

जाँच सूची III (7 वर्ष और उससे अधिक)

1.	क्या बच्चे ने दूसरे बच्चों की तुलना में बैठना, खड़े होना या चलना अत्यधिक देर से शुरू किया है?	हाँ / नहीं
2.	क्या बच्चा खाने, कपड़े पहनने, नहाने और तैयार होने जैसे अपने काम नहीं कर सकता है?	हाँ / नहीं
3.	क्या बच्चे को समझने में कठिनाई होती है जब आप कहते हैं कि यह करो या वह करो?	हाँ / नहीं
4.	क्या बच्चे की बोली स्पष्ट नहीं है?	हाँ / नहीं
5.	क्या बच्चे को पूछे बिना स्पष्ट करने में कठिनाई होती है जो कुछ भी उसने सुना या देखा	हाँ / नहीं
6.	क्या बच्चे के अंग कमजोर हैं और/या ऐंठन है और/या अपने बाजू को घुमाने फिराने में कठिनाई होती है?	हाँ / नहीं
7.	क्या बच्चे में कभी कभार दौरे पड़े हैं, उग्र हो जाता है या अचेत हो जाता है?	हाँ / नहीं
8.	अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में, क्या बच्चा किसी भी तरह से पिछड़ा हुआ, उदासीन या मंदबुद्धि दिखाई पड़ता है?	हाँ / नहीं

स्रोत: बौद्धिक मंदन – मनोवैज्ञानिकों के लिए नियम पुस्तिका, NIMH

3.5 बौद्धिक अक्षम बालकों की विशेषताएँ

सामान्यतः बौद्धिक अक्षमता मुक्त बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा शारीरिक, बौद्धिक एक सामाजिक कौशलों में अत्यन्त पिछड़े हुए होते हैं। ये वृद्धि

एवं विकास के महत्वपूर्ण पड़ावों को सामान्य बालकों की भाँति प्राप्त नहीं कर पाते। सम्प्रति आप इनकी विशेषताओं को निम्न प्रकार से समक्ष सकते हैं –

(A) शारीरिक विशेषताएँ (Physical Characteristics)

- (i) इनमें विभिन्न शारीरिक क्रियाओं (स्थूल गामक एवं सूक्ष्म गामक) में बाधाएं देखी जा सकती हैं।
- (ii) इनका संवेदी एवं गामक विकास (Sensory & Motor Development) बहुत धीमी गति से होता है।
- (iii) ये बालक अपनी मूल-भूत आवश्यकताओं यथा-भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना आदि को प्रकट नहीं कर पाते।
- (iv) इन बालकों में विभिन्न मनोवैज्ञानिक सम्प्रत्ययों यथा खुशी, गम, ईर्ष्या, घृणा, प्रतियोगिता इत्यादि का अभाव देखा जा सकता है।
- (v) विशिष्ट कारणों से बौद्धिक निःशक्तता से ग्रसित बालक कभी-कभी कुछ विशिष्ट शारीरिक लक्षण भी प्रकट करते हैं। जैसे-Down Syndrome (डाउन सिंड्रोम) से ग्रसित बालकों की हथेली सपाट, माथा चपटा एवं कर्ण पल्लव (Ear pinna) बड़े-बड़े होते हैं।

(B) बौद्धिक विशेषताएँ (Intellectual Characteristics)

- (i) इन बालकों की बुद्धिलब्धी (IQ) की परास 70 से 20 के मध्य या 20 से कम होती है।
- (ii) इनमें अभूर्त चिंतन (abstract thinking) का अभाव होता है।
- (iii) इनमें लघु ध्यान केन्द्रण (Short attention span) पाया जाता है।
- (iv) इनमें विभिन्न बौद्धिक गुणों यथा-चिंतन, मनन, तर्क करना, सृजनात्मकता, आवेग इत्यादि का अभाव पाया जाता है।
- (v) इनकी स्मरण शक्ति सामान्य बालकों की अपेक्षा बहुत क्षीण होती है।

(C) सामाजिक विशेषताएँ (Social Characteristics)

- (i) अधिकतर बौद्धिक अक्षम बालक (अति अल्प को छोड़कर) अपने दैनिक जीवन की समस्याओं का हल स्वयं से ढूँढ़ नहीं पाते हैं।
- (ii) इनको अधिकर पर्यवेक्षण (Supervision) एवं देख-भाल (Care) की जरूरत होती है।
- (iii) इनमें अपने दोस्तों के संग वस्तुओं को बाँटने (Share), खेलों के नियमों को पहचानने अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करने, खेलों के नियमों की अपने साथियों से चर्चा करने इत्यादि गुणों का अभाव पाया जाता है।

- (iv) ऐसे बालक प्रायः विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों में जाने से बचते हैं।
- (v) प्रायः ऐसे बच्चे अपने घर परिवार में विलगत (Isolated) रहते हैं।

3.6 चर्चा के बिन्दु

बौद्धिक अक्षमता के वर्गीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।

3.7 अभ्यास के प्रश्न

बौद्धिक अक्षम बालकों की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।

3.8 सारांश

बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण विश्व में स्वीकार्य एक अलग प्रणाली के उपयोग में सहायता करने के साथ-साथ नैदानिक, चिकित्सकीय एवं अनुसंधान परियोजनाओं में सहायता प्रदान करता है। इसके साथ ही बौद्धिक अक्षमता की पहचान करके बौद्धिक अक्षम बालकों की समस्याओं का समाधान एवं लाभ के लिए उपायों को अपनाया जा सकता है।

3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. **अति अल्प बौद्धिक अक्षमता** – इस श्रेणी में 50 से 70 बुद्धिलब्धि वाले बच्चे आते हैं। इनकी बौद्धिक आयु 8–10 वर्ष के बच्चे के बराबर होती है। इन्हें सामाजिक कौशल, शैक्षिक कौशल तथा सूक्ष्म गामक क्षेत्र में विकसित किया जाता है। इन्हें कक्षा 6 तक पढ़ाया जा सकता है। ये अपने दैनिक जीवन के क्रिया-कलाप में आत्मनिर्भर होते हैं। ये व्यवसाय के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग करते हैं, परन्तु इन्हें निर्देशन की आवश्यकता होती है।
2. **आंतरायिक सहायता (Intermittent support)** – अल्प अवधि की सहायता, जब आवश्यक हो अर्थात् हमेशा धीरे-धीरे सहायता में कमी, केवल कुछ क्षेत्रों में कभी-कभी सहायता आवश्यक है तत्पश्चात् वह स्वतंत्र जीवन के योग्य हो।

3.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Accardo, P.J., Magnusen, C., and Capute, A.J (2000). *Mental retardation: Clinical and Research Issues*. York Press, Baltimore.
2. Robert M.K., Jenson H.B., Behrman R.B., Stanton, B.F (2007). *Nelson Textbook of Pediatrics*, 18th edition, New Delhi: Saunders Elsevier.
3. Smith M.B, Patton J.R, Kin S.H (2006). *Mental Retardation: An Introduction to Intellectual disabilities*, New Jersey: Pearson Education, Inc.



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed.SE-91

बौद्धिक अक्षमता की पहचान एवं आकलन

खण्ड—दो

आँकलन

इकाई—4	03 — 10
आँकलन: अवधारणा, अर्थ, उद्देश्य एवं प्रकार	
इकाई—5	11 — 16
आँकलन के क्षेत्र	
इकाई—6	17 — 23
आँकलन की विधियाँ	

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

उत्तर प्रदेश प्रयागराज

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो० के० एन० सिंह	कुलपति, उ०प्र० राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
--------------------	--

विशेषज्ञ समिति

प्रो० पी० के० पाण्डेय	प्रभारी निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो० के० एस० मिश्रा	आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो० पी० के० साहू	आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो० कल्पलता पाण्डेय	आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी
डॉ० जी० के० द्विवेदी	सहायक-आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
डॉ० दिनेश सिंह	सहायक-आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

लेखक

डॉ. अरविंद शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर, डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9)
डॉ. संजय कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 10,11,12,13,14,15)

सम्पादक

डॉ. कमलेश तिवारी	मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद
------------------	-------------------------

परिभाषक

प्रो० पी० एस० राम	शिक्षा शास्त्र विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
-------------------	---

समन्वयक

डॉ. नीता मिश्रा	परामर्शदाता, (विशेष शिक्षा), शिक्षा विद्याशाखा, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद.
-----------------	---

प्रकाशक

© उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज 2020
ISBN-

सर्वाधिकार सुरक्षित, इस पाठ्यसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, की लिखित अनुमति लिए बिना मिनियोग्राफ (वक्रमुद्रण) अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।
नोट : पाठ्य सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आमदों आदि के प्रति विश्वविद्यालय, उत्तरदायी नहीं है।
प्रकाशन — उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज

इकाई—4 ऑकलन : अवधारणा, अर्थ, उद्देश्य एवं प्रकार

संरचना

- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 उद्देश्य
- 4.3 4.3 ऑकलन की अवधारणा
- 4.4 ऑकलन का अर्थ
- 4.5 ऑकलन के उद्देश्य
- 4.6 ऑकलन के प्रकार
- 4.7 चर्चा के बिन्दु
- 4.8 अभ्यास के प्रश्न
- 4.9 सारांश
- 4.10 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 4.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

4.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आपने बौद्धिक अक्षमता की प्रकृति, उसके प्रकार व विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। इस इकाई में आप ऑकलन की आधार-भूत संकल्पनाओं से परिचित होंगे तथा इन बालकों को आकलित करने का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इन बालकों को किस-किस क्षेत्र में ऑकलन की आवश्यकता होती है। ऑकलन को परिभाषित करने के साथ-साथ इसके अर्थ एवं प्रकृति को भी इस इकाई में उजागर किया गया है।

4.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त अधिगमकर्ता

- ऑकलन को परिभाषित कर सकेंगे
- ऑकलन की आवश्यकता को बता सकेंगे
- ऑकलन के अर्थ की चर्चा कर सकेंगे

4.3 ऑकलन की अवधारणा

ऑकलन की अवधारणा को समझने से पूर्व हम तीन अन्य प्रचलित शब्दों यथा परीक्षण (Testing) मूल्यांकन (Evaluation), एवं मापन (Measurement) की

चर्चा करेंगे। परीक्षण, ऑकलन की एक विधि है जिसमें बालक के व्यवहार की सूचनाओं को सावधानीपूर्वक निर्मित उपकरणों (Tools) पर एकत्र किया जाता है। इस प्रकार एकत्रित सूचनाओं को गुणात्मक रूप से (Qualitative) जैसे कि FACP में या मात्रात्मक रूप से (Quantitative) जैसे कि BASIC-MR व्यावस्थित कर सकते हैं। जब एकत्रित सूचनाओं को संख्यात्मक रूप से वर्णित करते हैं तब इसको मापन की संज्ञा देते हैं। मूल्यांकन, हमेशा किसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पश्चात् ही सम्पादित किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी बालक के कौशलों को 1 से 5 तक के स्केल पर जो पराश्रित से स्वतंत्रतापूर्वक (Dependent to independent) कौशलों के निष्पादन पर आधारित है, पर मात्रात्मक रूप में व्यवस्थित करना मापन तथा इन स्कोर को एक निश्चित समयावधि के उपरान्त मूल्यांकित करना कि इनमें कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, मूल्यांकन कहलाता है।

4.4 ऑकलन का अर्थ

ऑकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न विधियों का प्रयोग करके बौद्धिक अक्षम बालकों के वर्तमान स्तर की शक्तियों एवं कमियों का पता लगाया जा सकता है।

International Baccalaureate Organization, USA (2007) ने ऑकलन को निम्न प्रकार परिभाषित किया है –

"Assessment involves the gathering and analysis of information about student performance and is designed to inform practice. It identifies what students know, understand, can do, and feel at different stages in the learning process. Students and teachers should be actively engaged in assessing the student's progress as part of the development of their wider critical - thinking and self - assessment skills.

इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑकलन का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। बौद्धिक अक्षम बच्चे के सभी क्षेत्रों यथा—गामक, संवेदी, सम्प्रत्यात्मक, सामाजिक आदि का वर्तमान स्तर का निष्पादन ऑकलन के द्वारा ही संभव हो सकता है। इन बच्चों के Long term objective एवं short term object के निर्धारण की यह प्रथम सीढ़ी है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

- (क) – नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखित।
 - (ख) – इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।
1. ऑकलन को परिभाषित कीजिए।

.....
.....

-
-
2. ऑकलन से होने वाले किन्हीं 3 लाभों को लिखिए।
-
-
-
-

4.5 ऑकलन के उद्देश्य

सामान्यता बौद्धिक अक्षमता के संदर्भ में ऑकलन के निम्नांकित उद्देश्य होते हैं :

- बौद्धिक अक्षम बालकों द्वारा सीखे गये कौशलों एवं ज्ञान की अन्तरदृष्टि (insist) का पता लगाने हेतु।
- बालकों ने कितना सीखा, इसका पता लगाने हेतु।
- पूर्व ज्ञान का पता लगाने हेतु।
- बालक को उसकी क्षमतानुसार उपयुक्त कक्षा में प्रतिस्थापित करने हेतु।
- बालक की विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं का पता लगाने हेतु।
- शैक्षणिक व्यूह रचना बनाने हेतु।

संक्षेप में, ऑकलन के द्वारा न केवल बालक की कमियों का पता लगाया जा सकता बल्कि उसके धनात्मक कार्यक्षेत्रों को पहचान कर विभिन्न उपचारात्मक कार्यक्रमों का निर्माण भी किया जा सकता है।

4.6 ऑकलन के प्रकार

आप अभी तक ऑकलन की उपयोगिता एवं उसके उद्देश्यों से परिचित हो चुके हैं। दूसरा पड़ाव भारतीय परिदृश्य में ऑकलन के विभिन्न प्रकारों को समझना है। सर्वप्रथम हम यहाँ पर **ऑकलन के लक्ष्यों** के आधार पर उनका वर्गीकरण करेंगे –

- ❖ मनोवैज्ञानिक ऑकलन (Psychological Assessment) - जब ऑकलन का लक्ष्य बच्चों की बुद्धिलब्धि का मापन करना होता है तब मनोवैज्ञानिक ऑकलन को प्राथमिकता देते हैं। इस प्रकार के ऑकलन के द्वारा बच्चों के अनुकूलित एवं दुरानुकूलित व्यवहार का भी ऑकलन किया जाता है।
- ❖ शैक्षणिक ऑकलन (Educational Assessment) - बौद्धिक अक्षम बच्चों की शिक्षा सामान्य बालकों से विशिष्ट होती है इनके पाठ्यक्रम से गणित को जटिल संक्रियाओं के स्थान पर कार्यात्मक पठन-पाठन का समावेशन किया जाता है। अतः ऐसे बच्चों के वर्तमान शैक्षणिक स्तर का पता लगाने हेतु शैक्षणिक ऑकलन का प्रावधान है।

- ❖ चिकित्सकीय आँकलन (Medical Assessment) - बौद्धिक अक्षम बच्चे प्रायः किसी न किसी संलग्न दशाओं से ग्रसित होते हैं। जैसे – Cerebral, palsy, Speech & Communication disorders, Autism इत्यादि। अतः आवश्यक होता है कि इन बच्चों का गहन एवं व्यापक चिकित्सकीय आँकलन किया जाये जिससे कि इन्हें अन्य विशेषज्ञों यथा – Physiotherapist, Occupational therapist, speech Therapist इत्यादि को रेफर किया जा सके।

इसी प्रकार **उपागम** के आधार पर आँकलन को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है।

(i) मानक संदर्भित आँकलन (Norm Referenced Assessment) जब हम एक बालक की तुलना किसी अन्य समूह से करते हैं तब इसको मानक संदर्भित आँकलन कहा जाता है। यहाँ पर उस समूह को 'मानक' या 'संदर्भित' समूह कहा जाता है। जिससे कि उस बालक की तुलना की जाती है। उदाहरण के लिए यदि अध्यापक कक्षा चार के एक बालक जिसकी आयु दस वर्ष है कि भाषा दक्षता का आँकलन करना चाहता है तब उसे उसी आयु वर्ग के विद्यार्थियों के समूह से तुलना करनी होगी। आयु के अतिरिक्त, लिंग, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि संस्कृति इत्यादि भी मानकों के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि हम किसी मानसिक मंदित बालक के खेलने-कूदने के कौशलों की तुलना उसी आयु वर्ग की बालिकाओं से नहीं कर सकते हैं। अतः मानक संदर्भित आँकलन के द्वारा सदैव एक बालक की तुलना उसी वर्ग के साथी-समूह (Peer group) के साथ की जाती है। वे सभी परीक्षण जो मानक संदर्भित आँकलन पर आधारित होते हैं, मानक संदर्भित परीक्षण (NRT) कहलाते हैं। जैसे- बुद्धि-लब्धि (IQ) के टेस्ट। विशेष शिक्षा में अध्यापक बहुधा मानक संदर्भित आँकलन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अधिगम अक्षमता की पहचान हेतु यह आवश्यक है कि बालक पठन-पाठन, हस्तलेखन एवं गणितीय कौशलों में अपने अपेक्षित समूह से दो समूह नीचे के बालकों की भाँति प्रदर्शन करता हो। अतः मानक संदर्भित आँकलन के उपागम पर निर्मित उपकरण का प्रयोग कर अध्यापक बालक की अधिगम अक्षमता का आँकलन कर सकता है।

मानक संदर्भित आँकलन नैदानिक उद्देश्यों की पूर्ति तथा प्रतिस्थापित करने हेतु निर्णयों (Placement decision) के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं परन्तु ये व्यक्ति की क्षमताओं का अति सूक्ष्म स्तर (Micro level) पर आँकलन करने हेतु उपयुक्त नहीं होते हैं। जैसे कि किसी बौद्धिक अक्षम बालक के IQ का आँकलन (मानक संदर्भित) करके हम यह तो निर्णय कर सकते हैं कि उसे समावेशित विद्यालय में प्रवेश दिलाना है या विशेष विद्यालय में परन्तु उस बालक के विशिष्ट कौशलों की जानकारी का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते जिसके अभाव में समावेशित या विशेष विद्यालय के शिक्षक उस बालक को क्या पढ़ाना/सिखाना है, कैसे पढ़ाना/सिखाना है, इत्यादि का निर्णय नहीं ले सकते। यहाँ पर कसौटी संदर्भित आँकलन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

(ii) कसौटी संदर्भित आँकलन (Criterion referenced assessment) कसौटी संदर्भित आँकलन बालक के गुणों, आवश्यकताओं इत्यादि की सूक्ष्म स्तर पर व्याख्या करता है वस्तुतः कि बालक अपने समूह के अन्य बालकों से कितना कम अथवा ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इस आँकलन का मुख्य उद्देश्य यह बताना नहीं है कि बालक अपने समूह के अन्य बालकों की भाँति विभिन्न कौशलों में प्रदर्शन कर रहा है अथवा नहीं बल्कि यह बताना है कि वह कुछ वांछनीय कौशलों (criterion) को धारण किये हुए है अथवा नहीं। इन वांछनीय कौशलों का अध्यापक बालक की आवश्यकता अनुरूप निर्धारण कर सकता है। अतः इस प्रकार के आँकलन वैयक्तिक लक्ष्यों (individualized goals) के निर्धारण में सहायक होते हैं।

वे सभी परीक्षण (test) जो कसौटी संदर्भित आँकलन पर आधारित होते हैं, कसौटी संदर्भित परीक्षण (CRT) कहलाते हैं। CRT बालक के व्यवहार का आँकलन पहले से बनायी गयी कसौटी पर करते हैं। जैसे— FACP । एक अन्य उदाहरण के द्वारा इसको और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। माना एक बौद्धिक अक्षमता बालक को भाषायी दक्षता में कठिनाइयाँ हैं। अब एक अध्यापक न केवल यह जानने की कोशिश करेगा कि अमुक बालक अपने समूह के अन्य बालकों से भाषायी दक्षता में कितना कम एवं ज्यादा है (Norm Reference) बल्कि भाषा के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में यथा-शब्दों को पहचानना, उनका उच्चारण करना, उन का अनुप्रयोग करना इत्यादि में कमी है। पुनः अध्यापक उस बालक के आधार रेखित आँकलन (Baseline assessment) के द्वारा यह जान लेगा कि वह किन-किन शब्दों को पहचान लेता है व किन-किन शब्दों का उच्चारण कर लेता है। अतः अध्यापक अब एक ऐसी कसौटी (criterion) को तय करेगा जिसको कि एक नियत समयावधि में बालक के द्वारा प्राप्त किया जा सकता हो। अतः उपरोक्त उदाहरण में अध्यापक के द्वारा कसौटी का निर्धारण बालक के वर्तमान कार्यात्मक स्तर के आधार पर निश्चित किया गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कसौटी संदर्भित आँकलन न केवल बालक के व्यवहार का सूक्ष्म स्तर पर आँकलन करता है बल्कि एक निश्चित समयावधि के पश्चात् बालक किन-किन व्यवहारों को प्रदर्शित कर सकेगा, का भी लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है।

हस्तक्षेपण की अवस्थाओं के आधार पर (On the basis of stages of intervention)
आँकलन को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है।

(i) आधार रेखित आँकलन (Baseline Assessment) इस प्रकार का आँकलन उपचारात्मक कार्यक्रम के शुरु करने से पूर्व किया जाता है। जिससे कि बालक के वर्तमान स्तर की जानकारी प्राप्त हो सके तथा साथ ही साथ उसकी आवश्यकताओं का भी पता लगाया जा सके। इसको पूर्व-हस्तक्षेपण आँकलन (Pre-intervention assessment) की संज्ञा भी दी जाती है।

(ii) आवधिक अथवा रचनात्मक आँकलन (Periodic or Formative or Continuous assessment) जब आँकलन एक निश्चित समयान्तराल पर किसी कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु किया जाता है, तब इसको आवधिक अथवा रचनात्मक

ऑकलन कहते हैं। जहाँ एक ओर आधार रेखित ऑकलन किसी कार्यक्रम के निर्माण में सहायता करता है वहीं दूसरी ओर आवधिक ऑकलन कार्यक्रम की प्रभाविकता को क्रमिक अन्तराल (समयावधि) पर जाँचता है।

(iii) संकलित अथवा अन्तरिम ऑकलन (Summative or Final assessment) यह ऑकलन कार्यक्रम की समाप्ति पर किया जाता है। इसे सामान्यतया: मूल्यांकन की संज्ञा भी देते हैं क्योंकि इसके द्वारा किसी कार्यक्रम में दिये गये प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं प्रभाविकता का पता चलता है। इसके द्वारा किसी अन्य नये कार्यक्रम के निर्माण की भी दिशा प्राप्त होती है।

4.7 चर्चा के बिन्दु

ऑकलन की प्रकृति पर प्रकाश डालिए।

4.8 अभ्यास के प्रश्न

“ऑकलन एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है।” चर्चा कीजिए।

4.9 सारांश

ऑकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न विधियों का प्रयोग करके बौद्धिक अक्षम बालकों के वर्तमान स्तर की शक्तियों एवं कमियों का पता लगाया जा सकता है। ऑकलन के औपचारिक एवं अनौपचारिक उपकरण होते हैं। प्राप्त scores मानक संदर्भित एवं कसौटी संदर्भित हो सकते हैं। ऑकलन के औपचारिक उपकरणों में Intelligence test, Achievement test एवं Diagnostic test आते हैं। एक अध्यापक द्वारा अनौपचारिक रूप से अवलोकन, साक्षात्कार, जाँच सूची एवं केस अध्ययन इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है।

4.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. Doral d. Hammill (1987) ने ऑकलन को इस प्रकार परिभाषित किया है—

Assessment is the act of acquiring and analyzing information about students for same stated purpose, usually for diagnosing specific problems and for planning instructional programmes. This information includes knowledge about an individual's personal attributes, cognitive abilities, environmental status, academic achievement, health or social competence and is acquired by a variety of which testing, observation, interviews, record reviews and analytic teaching are the most frequently used.

2. ऑकलन से होने वाले तीन लाभ निम्न हैं:—

(i) छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने में मदद करता है।

- (ii) छात्रों की अच्छाइयों (strengths) एवं कमियों (weakness) का पता किया जा सकता है।
- (iii) ऑकलन के द्वारा 8 छात्रों की विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं का पता लगाया जा सकता है।

4.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Accardo, P.J., Magnusen, C., and Capute, A.J (2000). Mental retardation: Clinical and Research Issues. York Press, Baltimore.
2. American Psychiatric Association (2014). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th Edition). Washington DC.
3. Disability Status of India (2012). Rehabilitation Council of India, New Delhi
4. Improving instruction (1996)). Boston : Allyn & Bacon
5. Myreddi, V., & Narayan, J. (1998). Functional Academics for students with mental retardation - A guide for teachers. Secunderabad: NIMH.
6. Narayan, & Kutty, A.T.T. (1989) .Handbook for Trainers of the Mentally Retarded persons Pre-primary level. NIMH, Secunderabad.
7. Peshwaria, R., & Venkatesan. (1992) .Behavioural approach for teaching mentally retarded children :A manual for teachers, NIMH, Secunderabad
8. Repp, A.C. (1983) Teaching the Mentally Retarded, New Jersey, Prentice Hall The Faimer Press. York McMillan.
9. Sharma, Arvind (2014). *A Study on Prevalence of Speech and Language Disorders in Children with Intellectual Disability*, International Journal of Disability Studies, Vol. 1, No. 1.

संरचना

- 5.1 प्रस्तावना
- 5.2 उद्देश्य
- 5.3 अवधारणा
- 5.4 क्षेत्र
 - 5.4.1 बौद्धिक क्षेत्र (Intellectual area)
 - 5.4.2 सामाजिक क्षेत्र (Social area)
 - 5.4.3 व्यवहारात्मक क्षेत्र (Behavioural area)
 - 5.4.4 भाषायी क्षेत्र (Language area)
- 5.5 चर्चा के बिन्दु
- 5.6 अभ्यास के प्रश्न
- 5.7 सारांश
- 5.8 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 5.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

5.1 प्रस्तावना

बौद्धिक अक्षम बालक का अनुकूलित व्यवहार उसके वर्गीकरण व उपचारात्मक कार्यक्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। अतः ऐसे बालकों के ऑकलन में उनके सामाजिक एवं अनुकूलित व्यवहार का लेखा-जोखा निर्णायक की भूमिका निभाता है। इसके साथ ही इन बालकों में सम्प्रेषण की समस्याएँ भी बहुत देखी जाती हैं। अतः आवश्यक है कि ऑकलन करते समय इनके हर कौशल-क्षेत्र को सूक्ष्म स्तर पर जाँचा जाना चाहिए। प्रस्तुत इकाई में हम ऑकलन के उपरोक्त वर्णित विभिन्न क्षेत्रों की विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे।

5.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त अधिगमकर्ता

- ऑकलन के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कर सकेंगे।
- विभिन्न क्षेत्रों में ऑकलन की आवश्यकताओं की समीक्षा कर सकेंगे।
- ऑकलन के महत्व को पहचान सकेंगे।

5.3 आँकलन की अवधारणा

बौद्धिक अक्षम बालक के उपचारात्मक कार्यक्रम के निर्माण का प्रारम्भ उसके आँकलन की प्रक्रिया से प्रारम्भ होता है। शिक्षक बालक के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों को उसके माता-पिता, सहपाठियों आदि से ज्ञात करता है, तत्पश्चात् वह निश्चित करता है कि बालक को किन-किन क्षेत्रों में उपचारात्मक कार्यक्रम की आवश्यकता है। यहाँ पर यह आवश्यक है कि शिक्षक बालक के आँकलन की प्रक्रिया को समग्र रूप में देखे। उदाहरण के लिए अगर आँकलन की प्रक्रिया में बालक के अनुकूलित व्यवहार में कमी पायी गयी है तब न केवल इस दिशा में कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है बल्कि इससे जुड़े अन्य क्षेत्र जैसे सामाजिक, भाषायी, गामक इत्यादि को भी आकलित किया जाना आवश्यक है।

5.4 आँकलन के क्षेत्र

बौद्धिक अक्षम बच्चों के आँकलन हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों का आँकलन किया जाना आवश्यक है

5.4.1 बौद्धिक क्षेत्र (Intellectual area)

बौद्धिक अक्षम के क्षेत्र में बौद्धिक स्तर का आँकलन किया जाना सबसे महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि औसत से कम बुद्धि लब्धि का होना बौद्धिक मानसिक अक्षम मंदिता की प्रथम पहचान है। बुद्धि लब्धि का मापन बुद्धि के परीक्षणों (Test) द्वारा किया जाता है। इन परीक्षणों की विषय-वस्तु के आधार पर इनको मौखिक अथवा अमौखिक श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। कुछ प्रचलित बुद्धि परीक्षणों को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

भारत में प्रयुक्त किये जाने वाले बुद्धि के परीक्षण

S.No.	Verbal Scales	Non-Verbal Scales	Performance Tests
1-	Binet-Kamat Test of Intelligence (Kamat, 1967)	Raven's Progressive Matrices Test-norms by Deshpande et.al. (2002)	Seguin-form Board: Three normative data are available (Bharat Raj, 1971; Verma et al. 1973; Ramachandran, 1985)
2-	Stanford Binet Intelligence Scale (Kulshrestha, 1971)	MISIC-Performance Scales (malin, 1971)	Gessell's Drawing Test (Verma et al. 1972; venkatesan, 2002)
3-	Malin's Intelligence Scale for Indian Children (MISIC) – verbal scales (malin, 1971)		Draw-A-Man Test (Pathak, 1951)

उपरोक्त वर्णित बुद्धि परीक्षणों के अतिरिक्त अन्य बहुत से परीक्षण भी प्रयोग में लाये जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त बुद्धि लब्धि के आँकड़ों के आधार पर ही केवल बालक को बौद्धिक अक्षम घोषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कभी-कभी बालक इन परीक्षणों पर वांछनीय परिणाम प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। जैसे यदि किसी बालक को प्रारम्भिक औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई हो या उसमें संवेदी गामक कौशलों में कमी हो या उसमें सम्प्रेषण में कमी हो, तो बालक इन परीक्षणों में वास्तविक परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अतः हमें बालक के अन्य क्षेत्रों का भी आँकलन करना चाहिए।

5.4.2 सामाजिक व्यवहार के क्षेत्र

सामाजिक परिपक्वता अथवा अनुकूलित व्यवहार का आँकलन बौद्धिक अक्षम के क्षेत्र में आँकलन का अभिन्न भाग है। यहाँ पर हम 'अनुकूलित व्यवहार' को 'सामाजिक परिपक्वता' के संदर्भ में प्रयुक्त करेंगे। American Association on Intellectual and Developmental Disability (AAIDD) ने अनुकूलित व्यवहार के निम्न घटकों यथा—सम्प्रेषण, स्वयं—देख—भाल, घर में रहने के तौर—तरीके, सामाजिक कौशल, स्व—निर्देशित, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कार्यात्मक पठन एवं पाठन, मनोरंजन एवं कार्य को सुझाया है।

वर्तमान में (2010) AAIDD इन सभी घटकों को निम्न तीन श्रेणियों में विभाजित किया है जिसमें कमी बौद्धिक अक्षमता का द्योतक होती है —

- सम्प्रत्यात्मक कौशल (Conceptual Skill) - भाषा एवं साक्षरता; रूपया—पैसा, समय तथा संख्याओं का ज्ञान तथा स्व-निर्देशित।
- सम्प्रत्यात्मक कौशल (Social Skills) - सामाजिक जिम्मेदारियाँ, आत्म सम्मान, सामाजिक समस्याओं का समाधान, नियमों का पालन करना तथा दुर्घटनाओं से अपनी रक्षा करना।
- प्रयोगात्मक कौशल (Practical Skills) - दैनिक जीवन की क्रियाएँ, व्यावसायिक कौशल, स्वास्थ्य की देखभाल, यात्रा अथवा परिवहन के कौशल, रोजमर्रा के कार्य, सुरक्षा, धन का प्रयोग तथा दूरभाष/मोबाइल का प्रयोग।

यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि उपरोक्त वर्णित सभी कौशलों में प्रवीणता को प्राप्त करना बालक के आयु वर्ग (age) तथा संस्कृति के अनुसार भिन्न—भिन्न हो सकता है। जैसे — संवेदी एवं गामक कौशलों का विकास, सम्प्रेषण कौशल, स्वयं से देखभाल के कौशल, इत्यादि शैशवावस्था और शीघ्र बाल्यावस्था में विकसित होते हैं, तो दूसरी ओर आधारभूत शैक्षणिक कौशलों के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, तर्कशक्ति एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास किशोरावस्था के प्रारम्भिक दिनों में, तो व्यावसायिक तथा सामाजिक जिम्मेदारियों के कौशल प्रौढ़ावस्था में विकसित होते हैं। साथ ही साथ ये सभी कौशल संस्कृति व परिवेश से भी प्रभावित होते हैं।

भारत में, बौद्धिक अक्षम बालक को बुद्धिलब्धि (IQ) के आधार पर आकलित पर उसकी दिव्यांगता (Disability) की प्रतिशतता का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है न कि उसकी सहायता की आवश्यकता (Support Services) के आधार पर इसका प्रमुख कारण भारत में PWD ACT 1995 का आज भी प्रचलन में होना है परन्तु शीघ्र ही इस कानून में बदलाव आने पर हम भी वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य

Support Service को आधार बनाकर ऑकलन की प्रक्रिया को सम्पादित कर प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे (Sharma, A, 2014)

अनुकूलित व्यवहार के ऑकलन के प्रमुख दो उद्देश्य यह दर्शाते हैं कि (1) क्या अनुकूलित व्यवहार प्रभावपूर्ण तरीके से औसत से नीचे है ? (2) यदि हाँ, तो बालक में कौन-कौन सी तुलनात्मक कार्यक्षमता एवं कमियाँ हैं। प्रथम प्रश्न का उत्तर मानक संदर्भित ऑकलन के द्वारा तथा द्वितीय प्रश्न का उत्तर कसौटी संदर्भित ऑकलन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) – नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखित।

(ख) – इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. भारत में बुद्धि-परीक्षण के किन्हीं दो मौखिक परीक्षणों के नाम लिखिए।

.....

.....

.....

.....

2. सम्प्रत्यात्मक कौशलों के उप-कौशलों के नाम लिखिए।

.....

.....

.....

.....

5.4.3 व्यवहारात्मक क्षेत्र

व्यवहारात्मक क्षेत्र के ऑकलन से अभिप्राय बालक के कौशल व्यवहार एवं समस्यात्मक व्यवहार के ऑकलन से है। इस प्रकार व्यवहारात्मक क्षेत्र के ऑकलन के द्वारा हम बालक के व्यवहार को उसकी वातावरणीय दशाओं के परिप्रेक्ष्य में ज्ञात करके अर्थपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। उदहारण के लिए यदि कोई बालक वस्तुओं को बिना किसी से पूछें लेता है (समस्यात्मक व्यवहार) तो इसके पीछे एक कारण बालक में भाषायी कौशलों का विकास न होना भी हो सकता है। इस प्रकार व्यवहारात्मक क्षेत्र के दोनों कौशलों का ऑकलन कर हम बालक में अन्य संभावित विकासात्मक विसंगतियों जैसे – स्वालीनता, अति सक्रियता इत्यादि का पता लगा सकते हैं।

5.4.4 भाषायी क्षेत्र

अनुसंधानों से यह ज्ञात हुआ है कि बौद्धिक अक्षमता से प्रभावित पचास प्रतिशत बच्चों में भाषायी एवं सम्प्रेषण कौशलों का अभाव होता है। भाषा, सामाजिक अन्तःक्रिया एवं सम्प्रेषण का एक शसक्त उपकरण है। अतः भाषायी क्षेत्र का ऑकलन, ऑकलन की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। भाषायी क्षेत्र के ऑकलन में ग्राही कौशलों (receptive skills) एवं प्राकट्य कौशलों (expressive skills) का

ऑकलन किया जाता है जिसके अन्तर्गत बालक की बर्तनी कौशलों, ग्रामर कौशलों, उच्चारण कौशलों इत्यादि को सम्मिलित करते हैं।

5.5 चर्चा के बिन्दु

1. ऑकलन के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।

5.6 अभ्यास के प्रश्न

1. बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र में बुद्धि एवं अनुकूलित व्यवहार के ऑकलन की महत्ता को उदाहरण सहित समझाइये।
2. बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए विकासात्मक ऑकलन की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए।

5.7 सारांश

बौद्धिक अक्षम बच्चे के सामान्य विकासात्मक पक्षों, सामाजिक क्षेत्रों, भाषायी क्षेत्रों इत्यादि का ऑकलन उनके कार्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हमें बालक की बुद्धिलब्धि में कमी एवं उसके अनुकूलित व्यवहार में कमी के आधार पर किसी कार्यक्रम का निर्माण करना हो, तब हम अनुकूलित व्यवहार को प्रथम वरीयता प्रदान करेंगे। इस प्रकार समस्त क्षेत्रों का समग्र ऑकलन करके वांछनीय परिणामों की प्राप्ति की जा सकती है।

5.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. Binet-Kamat Test of Intelligence एवं Malin's Intelligence Scale for Indian Children भारत में प्रयुक्त किये जाने वाले बुद्धि-परीक्षण के दो मौखिक परीक्षणों के नाम हैं।
2. सम्प्रत्यात्मक कौशलों के उप-कौशल भाषा एवं साक्षरता, रुपया-पैसा, समय तथा संख्याओं का ज्ञान है।

5.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Accardo, P.J., Magnusen, C., and Capute, A.J (2000). Mental retardation: Clinical and Research Issues. York Press, Baltimore.
2. American Psychiatric Association (2014). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th Edition). Washington DC.
3. Disability Status of India (2012). Rehabilitation Council of India, New Delhi
4. Improving instruction (1996)). Boston : Allyn & Bacon

5. Myreddi, V., & Narayan, J. (1998). Functional Academics for students with mental retardation - A guide for teachers. Secunderabad: NIMH.
6. Narayan, & Kutty, A.T.T. (1989) .Handbook for Trainers of the Mentally Retarded persons Pre-primary level. NIMH, Secunderabad.
7. Peshwaria, R., & Venkatesan. (1992) .Behavioural approach for teaching mentally retarded children :A manual for teachers, NIMH, Secunderabad
8. Repp, A.C. (1983) Teaching the Mentally Retarded, New Jersey, Prentice Hall The Faimer Press. York McMillan.
9. Sharma, Arvind (2014). *A Study on Prevalence of Speech and Language Disorders in Children with Intellectual Disability*, International Journal of Disability Studies, Vol. 1, No. 1.

संरचना

- 6.0 प्रस्तावना
- 6.2 उद्देश्य
- 6.3 ऑकलन की विधियाँ
 - 6.3.1 अवलोकन (Observation)
 - 6.3.2 साक्षात्कार (Interview)
 - 6.3.3 परीक्षण (Testing)
 - 6.3.4 चिकित्सकीय पूछ-ताँछ (Clinical Investigations)
 - 6.3.5 केस स्टडी (Case Study)
- 6.4 चर्चा के बिन्दु
- 6.5 अभ्यास के प्रश्न
- 6.6 सारांश
- 6.7 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 6.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

6.1 प्रस्तावना

पिछली इकाइयों में हमने ऑकलन के विभिन्न उपागम एवं प्रकारों के विषय में अध्ययन किया लेकिन हमें ऑकलन के साधनों एवं विधियों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। ऑकलन की विभिन्न विधियाँ हमें ऑकलन करने के तरीकों को बताती हैं। ये विधियाँ बालक के सामान्य अवलोकन से लेकर उसकी केस, स्टडी तक हो सकती हैं। प्रस्तुत इकाई में हम इन्हीं विधियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

6.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त अधिगमकर्ता

- ऑकलन की विभिन्न विधियों का वर्णन कर सकेंगे।
- विभिन्न विधियों की महत्ता को पहचान सकेंगे।
- विभिन्न विधियों के गुण-दोषों की समीक्षा कर सकेंगे।

6.3 ऑकलन की विधियाँ

बौद्धिक अक्षम बच्चों के ऑकलन हेतु विभिन्न विधियाँ प्रयोग में लायी जाती हैं। इन विधियों में सूचनाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त की जाती हैं। प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत सहपाठियों एवं शिक्षकों द्वारा किये जाने वाले अवलोकन तथा द्वितीय स्रोत के अन्तर्गत माता-पिता, परिवार के सदस्यों, बच्चे के रिकार्ड, उसकी विभिन्न जाँच कार्ड इत्यादि सम्मिलित होते हैं। प्राथमिक स्रोत की प्रमाणिकता, द्वितीय स्रोत की तुलना में ज्यादा प्रमाणिक होती है लेकिन द्वितीयक स्रोत की महत्ता भी आवश्यक है। अतः दोनों स्रोत एक दूसरे के पूरक हैं। ऑकलन की विभिन्न विधियों का वर्णन निम्न है:

6.3.1 अवलोकन (Observation)

किसी बच्चे का अवलोकन करके उसके व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करने की विधि अवलोकनात्मक विधि कहलाती है। इस विधि में बच्चे के व्यवहार, उसके आचरण, क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं को ध्यानपूर्वक देख कर उसके व्यवहार की जानकारी प्राप्त की जाती है। अवलोकनात्मक विधि के अर्थ को स्पष्ट करते हुए शिक्षा-शब्दकोश में लिखा है, “अवलोकनात्मक विधि निरीक्षणों को अधिक पूर्ण एवं शुद्ध बनाने के लिए प्रेक्षक के सहायतार्थ विभिन्न प्रविधियों एवं प्रक्रियाओं में से कोई एक है।”

अवलोकन के प्रकार (Types of observation)–

अवलोकन विधि के अन्तर्गत दो प्रकार के अवलोकन आते हैं–

1. नियंत्रित अवलोकन (Controlled Observation)
2. अनियंत्रित अवलोकन (Uncontrolled Observation)

नियंत्रित अवलोकन (Controlled Observation)

किसी बच्चे के व्यवहार के अवलोकन के लिए प्रेक्षक उसके लिए परिस्थितियाँ तैयार करता है। फिर तदनुरूप उस बच्चे के व्यवहार का प्रेक्षण करता है। यह प्रेक्षण अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होता है क्योंकि इसमें व्यक्ति का व्यवहार कभी भी अस्वाभाविक हो जाने की सम्भावना सदैव बनी रहती है।

अनियंत्रित अवलोकन (Uncontrolled Observation)

इस अवलोकन में जिस किसी बच्चे के व्यवहार का अवलोकन किया जाना होता है, उसे किसी प्रकार की पूर्व जानकारी नहीं दी जाती है। इससे उसका व्यवहार स्वाभाविक रहता है। इस प्रकार स्वाभाविक व्यवहार का अवलोकन अधिक वैध एवं विश्वसनीय होता है।

अवलोकनात्मक विधि के गुण (Merits of Observation Method)

इस विधि के गुण निम्नलिखित हैं–

1. यह विधि मानव-व्यवहार के अध्ययन की सबसे सरल एवं स्वाभाविक विधि है।

2. यह विधि छोटे बच्चों एवं अशिक्षित व्यक्तियों के व्यवहार प्रेक्षण की विशेष उपयोगी विधि है।
3. इस विधि द्वारा बौद्धिक अक्षम बालक के व्यवहार से सम्बन्धित यथार्थ तथ्य एवं विवरण प्राप्त हो जाता है।
4. इस विधि में अति सूक्ष्मता से कृत प्रेक्षणों से प्राप्त परिणाम वैध एवं विश्वसनीय होते हैं।

अवलोकनात्मक विधि की सीमाएं (Limitations of Observation Method)

इस विधि की सीमाएँ निम्नलिखित हैं—

1. यह विधि मितव्ययी नहीं है क्योंकि इस विधि के प्रयोग में समय एवं श्रम अधिक लगता है।
2. इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं।
3. इस विधि के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित प्रेक्षकों की आवश्यकता होती है।
4. इस विधि से व्यक्ति के आन्तरिक व्यवहारों का अध्ययन सम्भव नहीं है।

6.3.2 साक्षात्कार (Interview)

इस विधि में मनोवैज्ञानिक बौद्धिक अक्षम बालक की रुचियों, अभिरुचियों और योग्यताओं से सम्बन्धित समस्याओं का प्रत्यक्ष रूप से (आमने-सामने) प्रश्न पूछकर प्राप्त प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करता है, आँकलन करता है और वांछित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। शिक्षा-शब्दकोश में साक्षात्कार विधि के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, “साक्षात्कार निश्चित प्रकार की मुलाकात है।” इस प्रकार साक्षात्कार एक प्रकार की मौलिक प्रश्नावली है। इससे साक्षात्कारकर्ता को उत्तर के रूप में जो जानकारियाँ/सूचनाएँ अथवा तथ्य प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर उस व्यक्ति की समस्याओं को समझने का प्रयास करता है। साक्षात्कार विधि की सफलता साक्षात्कारकर्ता द्वारा व्यक्ति के साथ स्थापित आत्मीयता (Rapport) पर निर्भर करती है।

साक्षात्कार के प्रकार (Types of interview)

समस्याओं के अध्ययन में दो प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है—

1. अमानकीकृत साक्षात्कार (Non-standardized Interview)
2. मानकीकृत साक्षात्कार (Standardized Interview)

1. अमानकीकृत साक्षात्कार (Non-standardized Interview)

अमानकीकृत साक्षात्कार पूर्णतः साक्षात्कारकर्ता आधारित साक्षात्कार है क्योंकि इसमें कृत/पूछे गए प्रश्नों की विषयवस्तु, भाषा का स्तर और उनका क्रम साक्षात्कारकर्ता के विवेक पर निर्भर रहता है।

2. मानकीकृत साक्षात्कार (Standardized Interview)

इसमें साक्षात्कारकर्ता द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की विषयवस्तु, भाषा का स्तर और उनका क्रम आदि पूर्व निर्धारित होता है।

6.3.3 परीक्षण (Testing)

परीक्षण से अभिप्राय जांच किये जाने वाले व्यवहार का वस्तुनिष्ठ (Objective) मापन से है। इसके लिए विभिन्न उपकरणों जैसे बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, व्यक्तित्व मापनी इत्यादि सम्मिलित हैं। परीक्षण व्यवहारिक विज्ञान में प्रचलित विधि है। उपरोक्त वर्णित दो अन्य विधियों की तुलना में परीक्षण का क्षेत्र वयैक्तिक आँकलन एवं समूह आँकलन दोनों तक प्रसारित है। एक शिक्षक को परीक्षण करने से पूर्व उसके उद्देश्य, विशेषताएँ, समूह की विशेषताएँ, इत्यादि का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही साथ परीक्षण की अन्य विशेषताओं जैसे विश्वसनीयता, वैधता, प्रासंगिकता, वस्तुनिष्ठता इत्यादि की जानकारी भी आवश्यक है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) – नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये।

(ख) – इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं ?

.....

.....

.....

.....

2. अवलोकन विधि के किन्हीं दो प्रकारों के नाम लिखिए।

.....

.....

.....

.....

6.3.4 चिकित्सकीय पूछ-ताँछ (Clinical Investigations)

चिकित्सकीय पूछ-ताँछ वास्तव में किसी चिकित्सक द्वारा किये जाने वाली जाँचों से है। अतः विशेष शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता कम है परन्तु एक शिक्षक को IEP बनाने हेतु बालक के स्वास्थ्य की जानकारी का होना अत्यन्त आवश्यक है। उदाहरण के लिए अगर एक बालक को दमा (Asthama) है और इसकी जानकारी शिक्षक को प्रारम्भ से ही है तब वह बालक की IEP में उन सब क्रियाविधियों का

समावेशन नहीं करेगा जिसमें श्वसन तंत्र पर अधिक दबाव पड़े। चिकित्सकीय पूछ-ताँछ में CTSCAN, ECG, MRI, Thyroid Profile, Chromosomal analysis, Hearing & Vision Testing इत्यादि सम्मिलित होते हैं।

6.3.5 केस स्टडी (Case Study)

मनोवैज्ञानिक बौद्धिक अक्षम बालक के व्यवहार के वास्तविक कारण को जानने के लिए उसके जीवन-इतिहास का अध्ययन करते हैं। वे उस बालक के माता-पिता, भाई-बहन, पड़ोसियों, सम्बन्धियों, मित्रों, शिक्षकों आदि से उस व्यक्ति के द्वारा पूर्वकृत क्रियाकलापों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एकत्रित करते हैं। बालक के वंशानुक्रम, संवेगात्मक विकास तथा उसकी रुचियों एवं अनुभवों से सम्बन्धित सूचनाओं को एकत्रित करके मनोवैज्ञानिक उन कारणों की खोज करता है, जिसके फलस्वरूप बालक के व्यवहार में समस्या उत्पन्न हुई है। अतः केस स्टडी विधि का उद्देश्य उन कारणों का निदान करना है, जो बालक को किसी विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। शिक्षा-शब्दकोश में केस स्टडी विधि के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है— “केस स्टडी विधि निदानात्मक एवं उपचारात्मक प्रणाली है, जो उसके इतिहास, उसकी गृह-दशाओं और अन्य समस्त प्रभावों के ज्ञान पर आधारित है, जो उसके कुसमायोजन अथवा व्यवहार कठिनाइयों का कारण हो सकता है।”

तथ्य संकलन के क्षेत्र (Areas of facts collection)

केस स्टडी विधि द्वारा तथ्य संकलन के क्षेत्र निम्नलिखित हैं—

1. बालक का नाम एवं पता
2. बालक की वर्तमान समस्याएँ
3. स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण
4. विकासात्मक विवरण
5. शैक्षिक विकास सम्बन्धी विवरण
6. पारिवारिक विवरण
7. व्यावसायिक विवरण
9. शीलगुणों का विवरण

केस स्टडी विधि के गुण (Merits of case study method)–

इस विधि के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं—

1. यह विधि निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की उपयोगी विधि है।
2. इस विधि के आधार पर बौद्धिक अक्षम बालकों के उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है।
3. इस विधि में विभिन्न स्रोतों से तथ्यों/सूचनाओं के संकलन से प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं।
4. मनोविश्लेषण एवं अन्य विधियों के साथ प्रयोग किए जाने पर इस विधि से प्राप्त परिणाम सार्थक होते हैं।

5. यह विधि निर्देशन एवं परामर्श की दृष्टि से श्रेष्ठतम विधि है।
केस स्टडी विधि के दोष (Demerits of case study method)
इस विधि के निम्नलिखित दोष हैं—
1. यह विधि मितव्ययी नहीं है क्योंकि इस विधि में धन, समय एवं शक्ति अधिक व्यय होती है।
 2. इस विधि का प्रयोग इस विधि के विशेषज्ञ ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
 3. इस विधि से तथ्यों के संकलन में जब कभी बालक/व्यक्ति के इष्टमित्र उससे सम्बन्धित विशिष्ट तथ्यों एवं सूचनाओं को छिपा लेते हैं, जिसके कारण इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष भ्रमपूर्ण अथवा संदिग्ध हो जाते हैं।
 4. इस विधि में प्राप्त निष्कर्षों पर निर्णय लेने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इनके उपलब्ध न होने पर उनका महत्व नगण्य हो जाता है।

6.4 चर्चा के बिन्दु

1. परीक्षण के गुण एवं दोषों की समीक्षा कीजिए।
2. चिकित्सकीय पूछ-ताँछ के उदाहरण दीजिए।

6.5 अभ्यास के प्रश्न

1. आँकलन के प्राथमिक स्रोतों की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए।

6.6 सारांश

आँकलन में हम अवलोकन से लेकर केस स्टडी तक की विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। इनमें अवलोकन विधि सबसे कम खर्चीली विधि है। परीक्षण एवं चिकित्सकीय पूछ-ताँछ यद्यपि कम खर्चीली विधि है। परीक्षण एवं चिकित्सकीय पूछ-ताँछ यद्यपि थोड़ी खर्चीली विधियाँ हैं परन्तु इनसे वस्तुनिष्ठ (Objective) सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आँकलन की प्रत्येक विधि अपने आप में अनूठी एवं विशेष है।

6.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. समस्याओं के अध्ययन में दो प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है—
 - 1- अमानकीकृत साक्षात्कार (Non-standardized Interview)
 - 2- मानकीकृत साक्षात्कार (Standardized Interview)
2. अवलोकन विधि के दो प्रकार नियंत्रित अवलोकन एवं अनियंत्रित अवलोकन हैं।

6.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Accardo,P.J., Magnusen,C., and Capute,A.J (2000). Mental retardation: Clinical and Research Issues. York Press, Baltimore.
2. American Psychiatric Association (2014). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th Edition). Washington DC.
3. Disability Status of India (2012). Rehabilitation Council of India, New Delhi
4. Improving instruction (1996)). Boston : Allyn & Bacon
5. Myreddi, V., & Narayan, J. (1998). Functional Academics for students with mental retardation - A guide for teachers. Secunderabad: NIMH.
6. Narayan, & Kutty, A,T.T. (1989) .Handbook for Trainers of the Mentally Retarded persons Pre-primary level. NIMH, Secunderabad.
7. Peshwaria, R., &Venkatesan. (1992) .Behavioural approach for teaching mentally retarded children :A manual for teachers, NIMH, Secunderabad
8. Repp, A.C. (1983) Teaching the Mentally Retarded, New Jersey, Prentice Hall The Faimer Press.York McMillan.



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed.SE-91

बौद्धिक अक्षमता की पहचान एवं आँकलन

खण्ड—तीन

स्कूल पूर्व एवं स्कूल स्तर पर आँकलन

इकाई—7	03 — 08
बौद्धिक अक्षमता की अवधारणा, उसका अर्थ तथा उसकी प्रकृति	
इकाई—8	09 — 16
बौद्धिक अक्षमता के कारण तथा बचने की युक्तियाँ	
इकाई—9	17 —22
बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण, बौद्धिक अक्षम बालकों की पहचान तथा उनके लक्षणों का वर्णन	

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

उत्तर प्रदेश प्रयागराज

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो० के० एन० सिंह कुलपति, उ०प्र० राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

विशेषज्ञ समिति

प्रो० पी० के० पाण्डेय प्रभारी निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो० के० एस० मिश्रा आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो० पी० के० साहू आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो० कल्पलता पाण्डेय आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी
डॉ० जी० के० द्विवेदी सहायक-आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
डॉ० दिनेश सिंह सहायक-आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

लेखक

डॉ. अरविंद शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर, डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9)
डॉ. संजय कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 10,11,12,13,14,15)

सम्पादक

डॉ. कमलेश तिवारी मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद

परिभाषक

प्रो० पी० एस० राम शिक्षा शास्त्र विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

समन्वयक

डॉ. नीता मिश्रा परामर्शदाता, (विशेष शिक्षा), शिक्षा विद्याशाखा, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद.

प्रकाशक

© उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज 2020
ISBN-

सर्वाधिकार सुरक्षित, इस पाठ्यसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, की लिखित अनुमति लिए बिना मिनियोग्राफ (वक्रमुद्रण) अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।
नोट : पाठ्य सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आमझों आदि के प्रति विश्वविद्यालय, उत्तरदायी नहीं है।
प्रकाशन — उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज

इकाई—7 ऑकलन की पूर्व स्कूल एवं स्कूल स्तर पर महत्ता

संरचना

- 7.1 प्रस्तावना
- 7.2 उद्देश्य
- 7.3 पूर्व स्कूल स्तर एवं ऑकलन
- 7.4 स्कूल स्तर
 - 7.4.1 ऑकलन के विभिन्न क्षेत्र
- 7.5 चर्चा के बिन्दु
- 7.6 अभ्यास के प्रश्न
- 7.7 सारांश
- 7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 7.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

7.1 प्रस्तावना

ऑकलन का विभिन्न विधियाँ एवं उपकरण बालक की अवस्था विशेष एवं आयु के अनुसार पृथक-पृथक होती है, क्योंकि बालक में गामक – संवेदी समन्वय (Sensory - motor coordination), संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांवेगिक, सम्प्रेषण इत्यादि कौशलों का विकास आयु विशेष पर निर्भर करता है। अतः ऑकलन करते समय बालक के विभिन्न विकासात्मक गुणों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है।

7.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त अधिगमकर्ता

- पूर्व स्कूल एवं स्कूल स्तर के बच्चों की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे।
- विभिन्न स्तरों पर बच्चों के ऑकलन के उद्देश्यों की समीक्षा कर सकेंगे।
- ऑकलन के विभिन्न स्तरों का वर्णन कर सकेंगे।

7.3 पूर्व स्कूल स्तर एवं ऑकलन

इस समूह में सामान्यतः जन्म से छः वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है। भारत में इस वर्ग के बच्चों हेतु कोई विशेष ऑकलन की नीति नहीं है परिणामस्वरूप इस अवस्था विशेष (जन्म से छः वर्ष) में अलग-अलग राज्यों द्वारा

भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएँ अपनायी गयी हैं। उत्तर प्रदेश में यह कार्य आगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, स्वास्थ्य सेविकाओं (ANM) आशा बहुओं द्वारा सम्पादित किया जाता है तो दूसरी ओर तमिलनाडु, केरल इत्यादि राज्यों में गृह आधारित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

अमेरिका का IDEA ACT (1997) इस सम्बन्ध में मील का पत्थर साबित हुआ है। इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि इस आयु वर्ग के बच्चों के आँकलन हेतु एक बहु आयामी (Multidisciplinary) टीम होगी जो बालक की कमियों एवं अच्छाइयों की जाँच करके उनके लिए उपयुक्त सेवाओं (Services) का सुझाव देगी। साथ ही साथ परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं तथा संसाधनों का भी ध्यान रखा जायेगा। इस प्रकार आँकलन के द्वारा बच्चे एवं परिवार की भावी आवश्यकताओं का पता लगा कर के उचित हस्तक्षेपण (Intervention) कार्यक्रमों का निर्माण किया जा रहा है।

यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि पूर्व स्कूल स्तर पर आँकलन हेतु बच्चे के साथ-साथ उसके परिवार की सूचनाएँ एकत्र करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस कार्य हेतु एक शिक्षक में निम्नलिखित विशेषताओं का होना अनिवार्य है –

1. शिक्षक को सामान्य रूप से सभी अक्षमताओं एवं विशेष रूप से बौद्धिक अक्षमता का ज्ञान होना आवश्यक है।
2. उसको बच्चों के विकास का क्रम, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक तथा उनके हस्तक्षेपण एवं रोकथाम के उपायों की जानकारी होनी चाहिए।
3. वर्तमान में प्रचलित सभी विकासात्मक उपकरणों जैसे –GASIL, GDS, DST, शैक्षणिक उपकरणों जैसे – Portage, Upanayan इत्यादि की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए।
4. बच्चा जिस भौगोलिक परिवेश में निवास करता है, उसमें प्रचलित एवं लागू सरकारी नीतियों, कानूनों इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए।
5. बहु-आयामी टोली (Multi-disciplinary team) के सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित किये जाने का गुण होना चाहिए।
6. समय-समय पर इन बच्चों के माता-पिता एवं अभिभावकों को परामर्श एवं निर्देशन दिये जाने का कौशल भी होना चाहिए।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्व स्कूल स्तर पर बालक के किसी विशेष कौशल का आँकलन न करके हम उसकी आयु विशेष के प्रत्येक कौशल का आँकलन करते हैं जिससे कि उपयुक्त उपचारात्मक कार्यक्रम का निर्माण किया जा सके।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) – नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए।

(ख) – इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. IDEA का पूरा नाम लिखिए।

.....
.....
.....
.....

2. पूर्व स्कूल स्तर पर आँकलन हेतु शिक्षकों के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए।

.....
.....
.....
.....

7.4 स्कूल स्तर

इस आयु वर्ग में छः से पन्द्रह (6–15) साल तक के छात्र सम्मिलित किये जाते हैं। बच्चों का यह समूह आँकलन के दृष्टिकोण से अत्यन्त संवेदी है क्योंकि यहाँ से हम बच्चों के विस्थापन (Placement) अर्थात् उसे समावेशित स्कूल में प्रवेश दिलाना है अथवा विशेष स्कूल में, का निर्णय लेते हैं। साथ ही साथ बच्चे से संलग्न अन्य कारकों जैसे – भौतिक बाधाएं, दृष्टिकोणात्मक बाधाएं (attitudinal barriers), सहपाठी सहयोग (Peer support) का भी अध्ययन करते हैं जिससे कि इन बच्चों हेतु व्यापक कार्यक्रमों का निर्माण किया जा सके।

अतः आवश्यकता इस बात की है इन बच्चों का निम्न क्षेत्रों का आँकलन विभिन्न उपकरणों द्वारा किया जाना चाहिए।

7.4.1 आँकलन के विभिन्न क्षेत्र

1. सर्वप्रथम बच्चे का बौद्धिक आँकलन किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। यहाँ बौद्धिक आँकलन से अभिप्राय बच्चे की बुद्धिलब्धि (IQ) के आँकलन से है। इस प्रकार प्राप्त सूचनाएं न केवल बच्चे को विस्थापन (Placement) में मदद करेगी बल्कि उसके लिए उपलब्ध विभिन्न लाभकारी योजनाओं के लाभ देने में भी सहायता प्रदान करेगी।
2. बच्चे की बुद्धिलब्धि मात्र के आँकलन से हम सही निर्णय (decision) नहीं ले सकते हैं। अतः इस दिशा में बच्चे के अनुकूलित व्यवहार का भी आँकलन किया जाना अति आवश्यक है। अनुकूलित व्यवहार के आँकलन से हम बच्चों को उपलब्ध करायी जाने वाली सहायता सेवाओं (support services) की आवश्यकता का भी पता लगा सकते हैं। इस हेतु उपलब्ध VSMS अथवा MDPS का प्रयोग कर सकते हैं।

3. बच्चे को एक कक्षा में दूसरी कक्षा से अर्थात् निम्न स्तर की कक्षा से उच्च स्तर की कक्षा में प्रोन्नत (promote) करने हेतु FACP का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह आँकलन कार्यात्मक उपागम को भी प्रतिबिम्बित करता है।
4. बच्चे के समस्या व्यवहार को उचित उपकरण की मदद से आकलित किया जाना चाहिए। भारत में इसके लिए BASIC - MR का प्रयोग किया जाता है। हम BASAL - MR का प्रयोग किशोरवय वर्ग के बच्चों हेतु कर सकते हैं।
5. इन सबके अतिरिक्त बच्चे का औपचारिक रूप से पठन-पाठन के स्तर का भी आँकलन किया जाना समाचीन है। इस कार्य हेतु BASAL-MR का प्रयोग किया जा सकता है।

7.5 चर्चा के बिन्दु

1. पूर्व स्कूल स्तर पर आँकलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।

7.6 अभ्यास के प्रश्न

1. स्कूल स्तर पर बौद्धिक अक्षम बच्चों के आँकलन हेतु एक शिक्षक में किन-किन गुणों का होना आवश्यक है?
2. "पूर्व स्कूल स्तर पर आँकलन में बहुआयामी टोली (Multidisciplinary team) अहम भूमिका निभाती है।" चर्चा कीजिए।

7.7 सारांश

प्रत्येक बच्चे की आवश्यकतानुसार आँकलन की विधियाँ भी भिन्न हो सकती हैं। शैशवावस्था एवं पूर्व-स्कूल अवस्था में बच्चों की बौद्धिक, गामक एवं संवेदी कौशल बहुत तेजी से विकसित होते हैं तथा विकासात्मक अवस्था में रहते हैं। अतः आँकलन के विभिन्न उपकरणों (Tools) का प्रयोग उपर्युक्त वर्णित कौशलों के आँकलन में किया जा सकता है। स्कूल अवस्था में बच्चे के शैक्षणिक एवं अनुकूलित कौशलों के आँकलन की भी आवश्यकता होती है जिससे कि उसके प्रतिस्थापन (Placement) के निर्णय लिये जा सके।

7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. IDEA का पूरा नाम Individual Disability Educational Act है।
2. शिक्षक को सामान्य रूप से सभी अक्षमताओं एवं विशेष रूप से बौद्धिक अक्षमता का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. उसको बच्चों के विकास का क्रम, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक तथा उनके हस्तक्षेपण एवं रोकथाम के उपायों की जानकारी होनी चाहिए।

7.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Accardo,P.J., Magnusen,C., and Capute,A.J (2000). Mental retardation: Clinical and Research Issues. York Press, Baltimore.
2. American Psychiatric Association (2014). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th Edition). Washington DC.
3. Disability Status of India (2012). Rehabilitation Council of India, New Delhi .
4. Improving instruction (1996)). Boston : Allyn & Bacon.
5. Myreddi, V., & Narayan, J. (1998). Functional Academics for students with mental retardation - A guide for teachers. Secunderabad: NIMH.
6. Narayan, & Kutty, A,T.T. (1989) .Handbook for Trainers of the Mentally Retarded persons Pre-primary level. NIMH, Secunderabad.
7. Peshwaria, R., &Venkatesan. (1992) .Behavioural approach for teaching mentally retarded children :A manual for teachers, NIMH, Secunderabad.

इकाई—8 स्कूल स्तर पर आँकलन के उपकरण

संरचना

- 8.1 प्रस्तावना
- 8.2 उद्देश्य
- 8.3 स्कूल स्तर पर आँकलन के उपकरण
 - 8.3.1 मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम (MDPS)
 - 8.3.2 फंक्शनल अससमेंट चैक लिस्ट फार प्रोग्रामिंग (FACP)
 - 8.3.3 बेसिक – एम आर (BASIC - MR)
- 8.4 चर्चा के बिन्दु
- 8.5 अभ्यास के प्रश्न
- 8.6 सारांश
- 8.7 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 8.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

8.1 प्रस्तावना

पिछली इकाईयों में आपने आँकलन का अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य विधियों इत्यादि का अध्ययन किया। प्रस्तुत इकाई बौद्धिक अक्षम बच्चों के आँकलन हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले विभिन्न भारतीय उपकरणों का विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे।

8.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त अधिगमकर्ता

- बौद्धिक अक्षम के क्षेत्र में प्रयोग में लाये जाने वाले विभिन्न कसौटी संदर्भित उपकरणों के नाम बता सकेंगे।
- इन उपकरणों की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे।
- इन उपकरणों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे।

8.3 स्कूल स्तर पर आँकलन के उपकरण

बौद्धिक अक्षम युक्त बच्चों के स्कूल स्तर पर आँकलन हेतु सामान्यतया: निम्नलिखित उपकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाते हैं।

1. मद्रास विकास कार्यक्रम नियोजन प्रणाली (MDPS)

2. क्रियात्मक आंकलन जाँच पत्र (FACP)
3. भारतीय बौद्धिक अक्षम बुद्धि बच्चों के लिए व्यवहार मूल्यांकन मापदण्ड (BASIC-MR)

8.3.1 मद्रास विकास कार्यक्रम नियोजन प्रणाली (MDPS)

इस प्रणाली का निर्माण प्रो० जी० जयचन्द्रन, वी० विमला और कुमार द्वारा किया गया है। यह उपकरण बौद्धिक अक्षम बच्चों के क्रियात्मक कुशलताओं की जानकारी देता है। इस उपकरण में 360 आइटमों (Items) को 18 क्रियात्मक खण्डों (Domains) में बाँटा गया है, जो निम्न हैं:-

1. सकल शारीरिक क्रियाएँ
2. सूक्ष्म शारीरिक क्रियाएँ
3. भोजन संबंधी क्रियाएँ
4. कपड़े पहनना।
5. श्रृंगार संबंधी क्रियाएँ
6. शौचालय
7. ग्रहणशील भाषा
8. द्योतक/जतलाने वाली भाषा
9. सामाजिक अन्तःक्रिया
10. पढ़ाई (पढ़ना)
11. लेखन
12. संख्या
13. समय
14. रूपया/पैसा/धन/मुद्रा
15. घरेलू कार्य
16. सामूहिक सुधार (समुदाय)
17. मनोरंजनात्मक/दिल बहलाने/फुरसत के कार्य
18. व्यावसायिक क्रियाएँ।

उपकरण की विशेषताएँ:-

1. यह उपकरण बच्चों की विकासशील स्तर तथा पूर्ण जीवन स्थिति के विकास पर आधारित है।
2. सभी 18 क्रियात्मक खण्ड विकासशील क्रम में व्यवस्थित हैं तथा प्रत्येक खण्ड के अन्दर के तत्व (Items) को विकासशील क्रम में रखे गये हैं।

3. उपकरण में व्यवस्थित सभी तत्व कार्यात्मक क्रियाकलापों (Functional activities) के द्योतक हैं।
4. उपकरण में व्यवस्थित सभी गतिविधियाँ निर्भरता (Dependent) से आत्मनिर्भरता (Independent) की ओर क्रम में रखी गयी हैं।
5. इस उपकरण से प्राप्त आँकड़ों का वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण करके बौद्धिक अक्षम बच्चों का (IEP) बनाया जा सकता है।

कमियाँ :-

1. इस उपकरण में बौद्धिक अक्षम बच्चों के सभी क्रियाकलापों को 18 क्रियात्मक खण्डों तक ही सीमित कर दिया गया है। वर्तमान युग में आज प्रत्येक घर-परिवार ICT के प्रयोग से अछूता नहीं है जैसे- कम्प्यूटर, मोबाइल, LED TV इत्यादि। अतः बौद्धिक अक्षम बच्चे भी अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों में इनसे प्रभावित होते हैं। फलस्वरूप समयानुरूप इस उपकरण में बदलाव किया जाना समीचीन होगा।
2. यह उपकरण बच्चे की गतिविधियों का आँकलन केवल "हाँ" अथवा "न" में करता है। फलस्वरूप अन्य विकल्पों जैसे-कभी-कभी, बिल्कुल नहीं, थोड़ा-थोड़ा इत्यादि का आभाव है।
3. इस उपकरण के द्वारा बच्चों की अतिविशिष्ट क्रियाओं/योग्यताओं की पहचान नहीं की जा सकती है।

उपकरण का प्रयोग :-

इस उपकरण में प्रत्येक तत्व (Items) पर बच्चे की कार्यकुशलता दो रूपों में आंकलित की जाती है। यदि बच्चा दिये गये तत्व को कर लेता है तो "ए" तथा यदि नहीं कर पाता है तो "ब" अक्षर के रूप में निर्दिष्ट कर लेते हैं। शिक्षकों की सरलता हेतु इस उपकरण में "ए" अक्षर को नीले रंग से तथा "ब" अक्षर को लाल रंग से भरने की व्यवस्था है। ऐसा इसलिए किया गया है कि जिससे शिक्षक बच्चों की सफलता को आसानी से अवलोकित कर सकें तथा कालिक आँकलन (Periodic assessment) कर Short terms goals से Long term goal प्राप्त कर सकें।

8.3.2 क्रियात्मक आँकलन जाँच पत्र (FACP)

FACP का निर्माण राष्ट्रीय बौद्धिक अक्षम संस्थान (पुराना नाम), सिकन्दराबाद के विशेष शिक्षा विभाग ने किया है। इसका प्रयोग बौद्धिक अक्षम बच्चे की व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना (IEP) बनाने में किया जाता है। यह उपकरण CRT का प्रमुख उदाहरण है। इस उपकरण में बच्चों के उम्र एवं क्षमता के आधार पर उनका वर्गीकरण 7 वर्गों में किया गया है जो निम्न है:-

1. प्री -प्राइमरी-इस वर्ग में 3-6 वर्ष के बच्चे आते हैं इन बच्चों को व्यक्तिगत, सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है।
2. प्राइमरी-I - इस वर्ग में उन बच्चों को रखा जाता है जो प्री -प्राइमरी चेकलिस्ट में 80% दक्षता प्रदर्शित करते हैं।
3. प्राइमरी-II - ऐसे बौद्धिक अक्षम बच्चे जो 8 वर्षों से अधिक के हैं लेकिन वह प्री -प्राइमरी स्तर के 80% कार्यों को नहीं कर पाते हैं तो उसे इस

वर्ग में रखते हैं। इस वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक क्रियाकलापों का प्रशिक्षण कम दिया जाता है। 8-14 वर्ष के बच्चे इस वर्ग में रखे जाते हैं। यदि 14 वर्ष से पूर्व ही कोई बच्चा दिये गये कार्यों को 80% दक्षता से कर देता है तो उसे सेकेन्डरी वर्ग में प्रोन्नत कर देते हैं।

4. सेकेन्डरी वर्ग— इस वर्ग में 11-14 वर्ष के छात्र रखे जाते हैं। इसे मिश्रित समूह भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्राइमरी-I एवं प्राइमरी-II के बच्चे रहते हैं। इस वर्ग में 80% अंक पाने वाले छात्रों को प्री वोकेशनल-I में एवं जो छात्र शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर होते हैं उन्हें प्री-वोकेशनल- II में प्रोन्नत करते हैं।
5. प्री-वोकेशनल I एवं II— इस वर्ग में 15-18 वर्ष के बौद्धिक अक्षम बच्चों को रखा जाता है। इन बच्चों को व्यावसायिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
6. व्यावसायिक वर्ग— ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष से अधिक की आयु को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें मूल्यांकन के उपरान्त व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रतिस्थापित कर दिया जाता है।
7. संरक्षित वर्ग— इस वर्ग में अति गंभीर बौद्धिक अक्षम बच्चों को रखा जाता है। इन बच्चों को निरंतर देख-भाल की आवश्यकता होती है।

उपकरण का प्रयोग :- उपकरण के प्रयोग करने हेतु शिक्षकों को इस जांचपत्र को निम्न प्रकार से आंकलित करना चाहिए:- हाँ (+) का अर्थ है बच्चा उस क्रिया को बिना किसी मदद के स्वयं कर सकता है। (c) संकेत का अर्थ है बच्चा इशारे से अपने आप सोचकर उस क्रिया को करे। उदाहरण के लिए हाथ और मुँह धोने के लिए "अपने हाथ के तरफ देखो", "साफ है क्या?", "क्या करना चाहिए?" इसी कार्य के लिए मौखिक निर्देश (VP) होंगे "हाथ को रगड़ो," "साबुन उठाओ", "साबुन रगड़ो" इत्यादि। इस कार्य हेतु शारीरिक सहायता (PP) यह होगी कि प्रशिक्षक बच्चे का हाथ पकड़कर साबुन रगड़ कर उसके हाथ धुलवाए। नहीं (-) का अर्थ है बच्चा पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर है। (NA) का अर्थ है यह बच्चे पर लागू नहीं होता (NE) का अर्थ है कि बच्चे को अभी तक सीखने का मौका नहीं मिला। इस उपकरण में मनोरंजन गतिविधियों का आँकलन तो करते हैं परन्तु उसको एक वर्ग से दूसरे वर्ग में उन्नति (Promote) कराने हेतु ध्यान में नहीं रखा जाता है।

उपकरण की विशेषताये:-

1. यह उपकरण कसौटी संदर्भित उपागम पर केन्द्रित है।
2. इसमें शिक्षक, छात्रों के नये क्रियाकलापों को शामिल कर सकता है।
3. छात्रों को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) द्वारा नवीन कक्षाओं में उन्नति प्रदान करने की सुविधा है।
4. छात्रों के व्यवहारों को सामान्यीकृत (generalized) किया जा सकता है।

5. इस उपकरण की विश्वसनीयता (Reliability) एवं वैधता (Validity) प्रमाणित है।

उपकरण की लघुता :-

1. शिक्षकों के द्वारा कुछ क्रियायें जोड़ने एवं घटाने पर उपकरण के मानकीकरण पर प्रभाव पड़ सकता है।
2. आज के समावेशी (Inclusive) प्रारूप (Model) का यह उपकरण विरोध करता है।
3. केवल विशेष विद्यालयों में बालकों के प्रतिस्थापन हेतु प्रेरित करता है।
4. बच्चों के कुसमायोजित व्यवहार को आंकने का इस उपकरण में स्थान नहीं है।
5. अत्यधिक पेपर कार्य करने को बाध्य करता है।

8.3.3 भारतीय बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए व्यवहार मूल्यांकन मापदण्ड (बेसिक-एम आर)

भारतीय बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए व्यवहार मूल्यांकन मापदण्ड (बेसिक-एम आर) का निर्माण, स्कूल जाने वाले बौद्धिक अक्षम बच्चों के व्यवहारों के वर्तमान स्तर की क्रमबद्ध जानकारी के लिए किया गया है। 3 से 16 (या 18) साल के बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए यह मापदण्ड उपयोगी है। फिर भी, शिक्षक, अति गंभीर बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों, जो बड़े हैं के लिए भी मापदण्ड को उपयोगी पा सकते हैं। व्यवहार मूल्यांकन के लिए मापदण्ड सार्थक है और बौद्धिक अक्षम बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर इसे पाठ्यक्रम योजना को तैयार करने के लिए भी उपयोगी पाया जा सकता है। मापदण्ड का क्षेत्र परीक्षण चुने गये समुदाय पर किया गया है।

बेसिक – एम आर को दो भागों में विकसित किया गया है :

- (अ) भाग अ : मापदण्ड के भाग अ में निहित आइटम्स बच्चे में कौशल व्यवहार के वर्तमान स्तर के मूल्यांकन में सहायक होते हैं।
- (ब) भाग ब : मापदण्ड के भाग ब में निहित आइटम्स बच्चे में समस्या व्यवहार के वर्तमान स्तर के मूल्यांकन में सहायक होते हैं।

बेसिक-एम आर, भाग अ, में 280 आइटम्स हैं जिन्हें निम्नलिखित सात खण्डों में वर्गीकृत किया गया है—

1. गामक
2. दैनिक जीवन की क्रियाएँ
3. भाषा
4. पाठन-लेखन

5. अंक-समय
6. घरेलू-सामाजिक
7. व्यवसाय पूर्व-रूप-पैसे

प्रत्येक खण्ड में 40 आइटम्स हैं।

प्रत्येक आइटम के समझने में किसी भी उलझन से बचने के लिए मापदण्ड में सभी आइटम्स स्पष्ट रूप से निरीक्षणीय एवं मापनीय शब्दों में लिखे गये हैं। इसके अतिरिक्त शब्दावली भी दी गई है। जिसमें मापदण्ड के कुछ कठिन आइटम और स्पष्ट किये गये हैं। (ऐसे शब्द तारांकित हैं) मापदण्ड में निहित आइटम्स का चयन इस रूप में किया गया है जिससे बौद्धिक अक्षम बच्चों को स्कूल या कक्षा में सिखाने के लिए इन आइटम्स को खण्डों या उपखण्डों में कठिनाई क्रम में रखा गया है कि मापक्रम की ऊपर की मंजिल की अपेक्षा नीचे स्तर वाले आइटम को अधिक से अधिक बौद्धिक अक्षम बच्चे पास कर सकें। आँकड़ों को अंकों में परिवर्तित करने की निश्चित विधि है,—मापदण्ड के लिए आवश्यक सामग्री बनाने के सुझाव, रेकार्ड बुकलेट, प्रोफाइल शीट और रिपोर्ट कार्ड इस मापदण्ड में शामिल किये गये हैं। प्रत्येक बच्चे के सामयिक त्रैमासिक मूल्यांकन का प्रावधान है, और साथ ही समग्र कौशल व्यवहार आँकड़ों को प्रतिशत में परिवर्तित करने तथा उससे रेखा चित्र बनाने की सुविधा भी है।

बेसिक—एम आर भाग ब, के आइटम्स निम्नलिखित 10 खण्डों में वर्गीकृत हैं।

1. उग्र और विनाशक व्यवहार
2. झल्लाहट
3. अन्य के साथ दुर्व्यवहार
4. स्वयं घातक व्यवहार
5. बार-बार दुहराया जाने वाला व्यवहार
6. अनोखा व्यवहार
7. अति चंचल व्यवहार
8. विद्रोही व्यवहार
9. असामाजिक व्यवहार
10. भय

प्रत्येक खण्ड में आइटम्स की संख्या भिन्न-भिन्न है।

आँकड़ों को अंकों में परिवर्तित करने की निश्चित विधि है, रेकार्ड बुकलेट, प्रोफाइल शीट, रिपोर्ट कार्ड आदि मापदण्ड में शामिल हैं। प्रत्येक बच्चे के

सामयिक, त्रैमासिक मूल्यांकन का प्रावधान है, और आँकड़ों को समग्र प्रतिशत में बदलने तथा रेखांकित बनाने की विधि भी दी गई है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी

- (क) – नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए।
(ख) – इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. MDPS की सीमायें लिखिए।

.....
.....
.....
.....

2. BASIC-MR को कितने भागों में बाँटा गया है ?

.....
.....
.....
.....

8.4 चर्चा के बिन्दु

आप एक बौद्धिक अक्षम बालक का आँकलन MDPS एवं FACP पर कीजिए एवं इसमें आयी समस्याओं एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

8.5 अभ्यास के प्रश्न

आप स्कूल स्तर पर एक बौद्धिक अक्षम बच्चे के आँकलन हेतु किस उपकरण का प्रयोग करेंगे ? चर्चा कीजिए।

8.6 सारांश

बौद्धिक अक्षम के क्षेत्र में भारत में प्रयोग में लाये जाने वाले आँकलन के उपकरण अधिकतर कसौटी संदर्भित (CRT) श्रेणी में रखे जाते हैं। (बुद्धि परीक्षणों को छोड़कर) इन उपकरणों की अपनी विशेषता होती है। जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इन उपकरणों की मदद से एक शिक्षक इन बच्चों हेतु प्रभावी कार्यक्रमों (IEP) का निर्माण कर सकता है।

8.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. इसमें बच्चा क्या नहीं कर सकता, इसकी चर्चा नहीं की गयी है।
2. यह उपकरण बच्चे की गतिविधियों का आँकलन केवल "हाँ" अथवा "न" में करता है। फलस्वरूप अन्य विकल्पों जैसे—कभी—कभी, बिल्कुल नहीं, थोड़ा—थोड़ा इत्यादि का आभाव है।

3. इस उपकरण के द्वारा बच्चे की अतिविशिष्ट क्रियाओं/योग्यताओं की पहचान नहीं की जा सकती है।
4. सात क्षेत्रों में।

8.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Accardo, P.J., Magnusen, C., and Capute, A.J (2000). Mental retardation: Clinical and Research Issues. York Press, Baltimore.
2. American Psychiatric Association (2014). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th Edition). Washington DC.
3. Disability Status of India (2012). Rehabilitation Council of India, New Delhi
4. Improving instruction (1996)). Boston : Allyn & Bacon
5. Myreddi, V., & Narayan, J. (1998). Functional Academics for students with mental retardation - A guide for teachers. Secunderabad: NIMH.
6. Narayan, & Kutty, A.T.T. (1989) .Handbook for Trainers of the Mentally Retarded persons Pre-primary level. NIMH, Secunderabad.
7. Peshwaria, R., & Venkatesan. (1992) .Behavioural approach for teaching mentally retarded children :A manual for teachers, NIMH, Secunderabad

इकाई-9 अभिलेखों का संरक्षण एवं इसका समावेशन में सम्बन्ध

संरचना

- 9.1 प्रस्तावना
- 9.2 उद्देश्य
- 9.3 अभिलेखों का संरक्षण
 - 9.3.1 अभिलेखों का संरक्षण क्या है?
 - 9.3.2 महत्व तथा उद्देश्य
 - 9.3.3 अभिलेखों के प्रकार
- 9.4 समावेशन की प्रक्रिया में संरक्षित अभिलेखों की भूमिका
- 9.5 चर्चा के बिन्दु
- 9.6 अभ्यास के प्रश्न
- 9.7 सारांश
- 9.8 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 9.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

9.1 प्रस्तावना

पिछली इकाईयों में हम आँकलन के विभिन्न प्रकार, विधियों, उपकरणों इत्यादि का वर्णन कर चुके हैं। आँकलन के द्वारा प्राप्त की गयी सूचनाओं का प्रयोग हम बौद्धिक अक्षम बालकों हेतु उचित कार्यक्रमों के निर्माण में करते हैं। इनमें से कुछ सूचनाएँ विशेष शिक्षकों के अतिरिक्त चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, भौतिक चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक, वाणी चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ताओं इत्यादि से भी एकत्र की जाती है। इन सब सूचनाओं को समग्र रूप से विश्लेषित करके न केवल IEP का निर्माण किया जाता है बल्कि अभिलेखों को संरक्षित करके भविष्य की योजनाओं के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। अतः विभिन्न अभिलेखों के संरक्षण (रख-रखाव) की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता है। प्रस्तुत इकाई में हम अभिलेखों के संरक्षण के विभिन्न पहलुओं की विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे।

9.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त अधिगमकर्ता

- अभिलेखों के रख-रखाव की महत्ता को पहचान सकेंगे।

- अभिलेखों के रख-रखाव के उद्देश्यों का वर्णन कर सकेंगे।
- अभिलेखों के रख-रखाव की क्षमता का प्रदर्शन कर सकेंगे।
- संलेखित अभिलेखों के आधार पर समावेशन की प्रक्रिया को सुगम बना सकेंगे।

9.3 अभिलेखों का संरक्षण

आपने अनुभव किया होगा कि जब कोई अभिभावक अथवा माता-पिता अपने बौद्धिक अक्षम बच्चे को लेकर आपके विद्यालय में आते हैं तब वह अपने साथ कुछ फाइलों को भी लाते हैं जिसमें उनके बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़े जरूरी दस्तावेज होते हैं। आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि इन सभी दस्तावेजों का गहन अध्ययन करके इनको संरक्षित किया जाए एवं इनके आधार पर कोई निर्णय लिये जा सकें। अतः अभिलेखों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

9.3.1 अभिलेखों का संरक्षण क्या है?

अभिलेखों के संरक्षण से तात्पर्य विभिन्न प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों हेतु उचित विधियों का प्रयोग करके क्रमबद्ध रूप से लेखन करना तथा सूचनाओं को संग्रह करने से है। यहाँ प्राथमिक स्रोतों से तात्पर्य उन सभी स्रोतों से है जिनसे हमें सीधे सूचनायें प्राप्त हो जाती हैं विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के स्वयं के अवलोकन प्राथमिक स्रोतों के अन्तर्गत आते हैं। इनके अतिरिक्त सूचनाओं के अन्य स्रोतों द्वितीय स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। जैसे—चिकित्सक की जाँच रिपोर्ट, मनोवैज्ञानिक जाँच आदि।

9.3.2. महत्व तथा उद्देश्य

जब कोई माता-पिता आपके पास अपने बच्चे के साथ आते हैं। तो सबसे पहला कार्य उसका पंजीकरण (Registration) करना होता है जिसमें उसका नाम, पता, आगमन का उद्देश्य इत्यादि सम्मिलित होता है। इसके पश्चात् बच्चे की आवश्यकतानुसार कई परीक्षण किये जाते हैं तथा प्रत्येक को उचित प्रकार से उचित व्यावसायिकों (Professionals) द्वारा संरक्षित कर लिया जाता है। जब बहु-विशेषज्ञ टोली (Multidisciplinary Team) मिलती है तो ये अभिलेख निर्णय लेने के लिये सूचनाओं के स्रोतों के रूप में कार्य करते हैं।

इस प्रकार प्राप्त निर्णयों को पुनः दर्ज कर लिया जाता है जिससे कि फॉलोअप (Followup) के लिये अभिलेख उपस्थित हों तथा इससे निरन्तरता (Continuity) बनायी रखी जा सके। अगर इस बीच व्यावसायिक बदल भी जाये तो यही अभिलेख नये व्यावसायिक को बिना कठिनाई के फॉलोअप करने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार यदि परिवार दूसरे शहर में चले जाते हैं या अपने बच्चे के लिये सेवा संगठन (Service provider) को बदल देते हैं तो लिखित व्यापक

अभिलेख नये संगठन के व्यावसायिक (professional) द्वारा केस को समझने में सहायता प्रदान करती है जिससे कि प्रशिक्षण की निरंतरता बनी रहती है।

इसके अतिरिक्त अभिलेख व्यावसायिकों, स्वतः तथा परिवारों के बीच एक श्रृंखला का कार्य करते हैं तथा साथ ही साथ पुनर्वास मुद्दों के समाधान के लिए आधार बनते हैं।

9.3.3 अभिलेखों के प्रकार

सामान्यतया: अभिलेखों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है

(i) प्रशासनिक अभिलेख

(ii) शैक्षणिक या तकनीकी अभिलेख

(i) प्रशासनिक अभिलेख

प्रशासनिक अभिलेखों में जनसंख्या की आँकड़े सम्मिलित होते हैं। जिसमें बच्चे से सम्बन्धित मूलभूत सूचनाएँ होती हैं। जैसे नाम, पता, अभिभावक का व्यवसाय, आय, परिवार की आधारभूत सूचनाएँ, स्कूल का पिछला रिकार्ड (यदि कोई है) इत्यादि।

इन सब औपचारिकताओं के बाद जब बच्चे का दाखिला स्कूल में हो जाता है या शैक्षणिक कार्यक्रम बन जाता है तो दूसरी पंजिका में अलग से प्रवेश अंकित होता है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि सभी पंजीकृत बच्चे दाखिला नहीं लेते हैं।

अब हमारे पास दो पंजिकाएँ हैं – एक पंजीकरण तथा दूसरी दाखिलों के लिये। तीसरा महत्वपूर्ण रिकार्ड फीस एकत्रित करने का होगा जिसमें विभिन्न प्रकार की फीस, रियायतें इत्यादि संरक्षित होंगी। बच्चे के संदर्भ में अन्य उपयुक्त प्रशासनिक रिकार्ड में स्कूल में बीमारी या दुर्घटना के समय बच्चे को चिकित्सकीय सुविधा हेतु अभिभावक की स्वीकृति / अस्वीकृति का शपथ पत्र अति आवश्यक दस्तावेज है क्योंकि कानूनी समस्याओं के समय इनसे सुरक्षा रहती है।

विद्यार्थियों के अतिरिक्त किसी संगठन में कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका, उनकी सैलरी पंजिका, कर्मचारियों के अवकाश की विवरण पंजिका, विद्यालय में अवकाश की सूची, विद्यालय में उपलब्ध उपकरणों, पुस्तकों इत्यादि की स्टॉक पंजिका आदि प्रशासनिक रिकार्डों के अन्तर्गत आते हैं।

(ii) शैक्षणिक अथवा तकनीकी अभिलेख :

शैक्षणिक या तकनीकी अभिलेख बच्चों की प्रगति की जाँच के लिए अति आवश्यक हैं। इन अभिलेखों में परीक्षण रिपोर्ट, उपस्थिति रजिस्टर, आवर्ती मूल्यांकन विधियाँ, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम (IEP), अभिभावकों के साथ संपर्क सम्बन्धी रिकार्ड, कार्य विश्लेषण रिकार्डिंग तथा बच्चे की प्रगति रिपोर्ट सम्मिलित हैं

बोध प्रश्न

टिप्पणी

(क) – नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए।

(ख) – इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. अभिलेखों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं ?

.....
.....
.....
.....

2. अभिलेखों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है ?

.....
.....
.....
.....

9.4 समावेशन की प्रक्रिया में संरक्षित अभिलेखों की भूमिका

जैसा कि हम जानते हैं कि समावेशन की प्रक्रिया में हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बिना किसी भेद-भाव के एक ही कक्षा कक्ष में, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षण-प्रशिक्षण सम्पादित कराते हैं। अतः बच्चे के विभिन्न अभिलेख (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक) समावेशन की प्रक्रिया में एक अध्यापक के लिए निम्न निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं :-

- विस्थापन (Placement) – बच्चे को किस कक्षा में पठन-पाठन करवाना है ?
- अनुदेशनात्मक प्रबन्धन (Instructional Management) – बच्चे को छोटे-छोटे समूहों में या बड़े-बड़े समूहों में या एकाकी अनुदेशन देना है ?
- शैक्षणिक निर्णय – बच्चे को किस प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ाना उचित होगा? जैसे – बौद्धिक अक्षम बच्चों को उसकी कार्य क्षमतानुरूप कार्यात्मक पाठ्यक्रम का चुनाव करना चाहिए।
- चिकित्सकीय (Therapeutic) - सहायता – बच्चे की चिकित्सकीय सहायता हेतु कब और कैसे थेरोपिस्ट की सहायता ली जाये ?
- गृह प्रशिक्षण हेतु अभिभावकों का सहयोग – किस प्रकार एवं कैसे गृह प्रशिक्षण में अभिभावकों की सहायता ली जाये ?
- मूल्यांकन की आवर्ती (periodic) - एवं भावी योजनाओं का निर्माण किस प्रकार टोली (Team) के साथ आगामी रणनीति तैयार की जाये ?

अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि संरक्षित अभिलेख नाना प्रकार से बच्चे के समावेशन की प्रक्रिया में हमारी सहायता करते हैं।

9.5 चर्चा के बिन्दु

व्यावसायिक आँकलन के अभिलेखों को आप किन-किन स्रोतों से एकत्रित करोगे ? स्पष्ट कीजिए।

9.6 अभ्यास के प्रश्न

1. आप अभिलेखों के संरक्षण हेतु किन-किन सावधानियों को अपनायेंगे ? चर्चा कीजिए।
2. समावेशन की प्रक्रिया में अभिलेखों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

9.7 सारांश

अभिलेखों का संरक्षण विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम का अहम हिस्सा होता है। अभिलेखों को सामान्यतया: दो वर्गों में विभाजित किया जाता है प्रशासनिक एवं तकनीकी की श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं। बच्चे के समावेशन हेतु विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने की अभिलेखों की भूमिका अग्रणीय होती है।

9.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. अभिलेखों के संरक्षण से तात्पर्य विभिन्न प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों हेतु उचित विधियों का प्रयोग करके क्रमबद्ध रूप से लेखन करना तथा सूचनाओं को संग्रह करने से है।
2. सामान्यतया: अभिलेखों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है
 - (i) प्रशासनिक अभिलेख
 - (ii) शैक्षणिक या तकनीकी अभिलेख

9.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Accardo,P.J., Magnusen,C., and Capute,A.J (2000). Mental retardation: Clinical and Research Issues. York Press, Baltimore.
2. American Psychiatric Association (2014). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (^{5th} Edition). Washington DC.

3. Disability Status of India (2012). Rehabilitation Council of India, New Delhi
4. Improving instruction (1996)). Boston : Allyn & Bacon
5. Myreddi, V., & Narayan, J. (1998). Functional Academics for students with mental retardation - A guide for teachers. Secunderabad: NIMH.
6. Narayan, & Kutty, A,T.T. (1989) .Handbook for Trainers of the Mentally Retarded persons Pre-primary level. NIMH, Secunderabad.
7. Peshwaria, R., &Venkatesan. (1992) .Behavioural approach for teaching mentally retarded children :A manual for teachers, NIMH, Secunderabad.



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed.SE-91

बौद्धिक अक्षमता की पहचान एवं आँकलन

खण्ड—चार

वयस्क तथा व्यावसायिक स्तर का आँकलन

इकाई—10	05 — 14
विद्यालय से रोजगार स्थानान्तरण हेतु आँकलन	
इकाई—11	15 — 24
बौद्धिक अक्षम के कारण तथा बचने की युक्तियाँ	
इकाई—12	25 — 33
बौद्धिक अक्षम का वर्गीकरण, बौद्धिक अक्षम बालकों की पहचान तथा उनके लक्षणों का वर्णन	

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

उत्तर प्रदेश प्रयागराज

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो० के० एन० सिंह

कुलपति, उ०प्र० राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

विशेषज्ञ समिति

प्रो० पी० के० पाण्डेय

प्रभारी निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रो० के० एस० मिश्रा

आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रो० पी० के० साहू

आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रो० कल्पलता पाण्डेय

आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी

डॉ० जी० के० द्विवेदी

सहायक-आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

डॉ० दिनेश सिंह

सहायक-आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

लेखक

डॉ. अरविंद शर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर, डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9)

डॉ. संजय कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 10,11,12,13,14,15)

सम्पादक

डॉ. कमलेश तिवारी

मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद

परिभाषक

प्रो० पी० एस० राम

शिक्षा शास्त्र विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

समन्वयक

डॉ. नीता मिश्रा

परामर्शदाता, (विशेष शिक्षा), शिक्षा विद्याशाखा, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद.

प्रकाशक

© उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज 2020

ISBN-

सर्वाधिकार सुरक्षित, इस पाठ्यसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, की लिखित अनुमति लिए बिना मिनियोग्राफ (वक्रमुद्रण) अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

नोट : पाठ्य सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आमझों आदि के प्रति विश्वविद्यालय, उत्तरदायी नहीं है।

प्रकाशन — उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रस्तावना :

इस खण्ड में तीन इकाइयाँ हैं। इकाई 10 में विद्यालय से रोजगार स्थानान्तरण हेतु आँकलन पर चर्चा की गई है जैसे — आँकलन हेतु विभिन्न रणनीतियाँ : मनोपरीक्षण, कार्य प्रतिदर्श, समुदाय आधारित तथा स्थिति आधारित रणनीति।

इकाई 10 — व्यावसायिक आँकलन की परिभाषा, महत्व, आँकलन हेतु विभिन्न टूल्स जैसे वोक्शनल एसेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम, बिहेवियरल एसेसमेंट स्केल फार एडल्ट लिविंग विद् मेंटल रिटर्नरेशन का वर्णन

इकाई 11 — व्यावसायिक आँकलन की परिभाषा, महत्व, आँकलन हेतु विभिन्न टूल्स जैसे वोक्शनल एसेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम, बिहेवियरल एसेसमेंट स्केल फार एडल्ट लिविंग विद् मेंटल रिटर्नरेशन को विस्तार से बताया गया है।

इकाई 12 — व्यावसायिक कौशल के प्रावधान तथा योजनाओं पर प्रकाश डाला गया है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अन्तर्गत योजनाएं दिव्यांग जन अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्बन्धित योजनाओं की विस्तार से चर्चा की गई है।

इन तीनों इकाइयों के पूरा होने पर आप पायेंगे कि बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए विद्यालय से रोजगार स्थानान्तरण, आँकलन व्यावसायिक आँकलन क्यों आवश्यक है एवम् आँकलन हेतु कौन-कौन से टूल का प्रयोग किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक कौशल विकास के प्रावधान एवम् विभिन्न योजनाओं से भी अवगत हो सकेंगे।

इकाई—10 विद्यालय से रोजगार स्थानान्तरण हेतु आँकलन

संरचना

- 10.1 परिचय
- 10.2 उद्देश्य
- 10.3 स्थानान्तरण आँकलन हेतु विभिन्न रणनीतियाँ
 - 10.3.1 मनोपरीक्षण रणनीति
 - 10.3.2 कार्य प्रतिदर्श रणनीति
 - 10.3.3 समुदाय पर आधारित रणनीति
 - 10.3.4 स्थिति पर आधारित आँकलन रणनीति
- 10.4 सारांश
- 10.5 शब्द सूची
- 10.6 बोध प्रश्नों के आदर्श उत्तर
- 10.7 सन्दर्भ
- 10.8 अभ्यास प्रश्न

10.1 परिचय

आँकलन सूचनाओं को एकत्रित करने तथा उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है जिससे शैक्षणिक तथा प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकें। विशेष शिक्षा तथा दिव्यांग पुर्नवास के क्षेत्र में आँकलन एक महत्वपूर्ण अंग है जो विभिन्न प्रायोजनों के लिए किया जाता है जैसे – शीघ्र पहचान तथा उपचार सेवाएं प्राप्त करने हेतु, विद्यालय में प्रवेश तथा प्रगति की जांच हेतु या विद्यालय से रोजगार स्थानान्तरण हेतु।

विद्यालय से रोजगार स्थानान्तरण हेतु किया जाने वाला आँकलन व्यावसायिक आँकलन / स्थानान्तरण आँकलन कहलाता है। व्यावसायिक आँकलन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की कौशल तथा क्षमता का आँकलन कर उचित मार्गदर्शन प्रदान करना।

10.2 उद्देश्य

विद्यालय से रोजगार स्थानान्तरण

स्थानान्तरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत छात्रों को विशेष विद्यालय / विद्यालय से रोजगार परक शिक्षा या रोजगार पाने में सहायता देने हेतु चरणबद्ध तरीके से अग्रसर किया जाता है। यह विद्यालय तथा रोजगार स्थल के बीच सेतू

के समान है जो स्कूल में मिल रही सुरक्षा एवं सुविधाओं तथा वयस्क व्यक्ति के जिन्दगी में आने वाली जोखिम एवं अवसर को जोड़ती है।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (USA) में दिव्यांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम 1977 के अनुसार प्रत्येक दिव्यांग छात्र जो 14 वर्ष पूरा कर लिया हो उसे वैयक्तिक शैक्षिक कार्यक्रम (IEP) के साथ स्थानान्तरण योजना बना कर सम्मिलित करना आवश्यक है।

स्थानान्तरण आँकलन के अंतर्गत इकाई पढ़ने के बाद आप सक्षम होंगे :

- विद्यालय से रोजगार स्थानान्तरण को समझने में,
- स्थानान्तरण हेतु आँकलन में अपनाई गई विभिन्न रणनीति को वर्णन करने में जैसे

मनोपरीक्षण (Psychological Test), कार्य प्रतिरूप (Work Sample) स्थिति पर आधारित (Situational) रणनीति

10.3 स्थानान्तरण आँकलन हेतु विभिन्न रणनीतियाँ

(क) मनोपरीक्षण रणनीति

मनोपरीक्षण रणनीति विशेष विद्यालय के शिक्षकों के बीच लोकप्रिय तथा परिचित रणनीति है। शिक्षक अपने अनुभव तथा प्रशिक्षण से मनोपरीक्षण रणनीति को पूर्ण रूपेण अपनाते हैं तथा कुछ उन्हें अस्वीकार भी करते हैं।

अस्वीकार करने के मुख्य कारण कई हो सकते हैं जैसे – परीक्षण लोगों में भेदभाव विकसित करता है, कलंक को बढ़ाता है।

परन्तु कुछ शिक्षक इसके जनसंख्या पर आधारित सूचनाएं (normative information), इसके प्रयोग करने की गति तथा कम खर्चीली होने के कारण इसे पसंद करते हैं। मनोपरीक्षण रणनीति में बौद्धिक अक्षम बच्चों का बौद्धिक जाँच, अभिवृत्ति जाँच तथा सामंजस्य व्यवहार का आँकलन किया जाता है बौद्धिक जाँच हेतु इन बच्चों के लिए वेशलर एडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्केल, भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट एवं बिने कुलश्रेष्ठ स्केल का प्रयोग किया जाता है।

1. वेशलर एडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्केल (Weshler Adult Performance Intelligence Scale) यह वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल (Weshler Adult Intelligence Scale) का भारतीय अनुकूलित स्केल है। इसका भारतीय रूपान्तरण डा० रामलिंगा स्वामी ने 1974 में किया। इस स्केल में 5 सबस्केल हैं जैसे डीजिट सिम्बल, पिक्चर कम्पिलिशन, ब्लॉक डिजाइन, पिक्चर एरेजमेन्ट तथा औबजेक्ट एसेम्बली. सभी 5 सबस्केल को क्रम से प्रशासित कर उसके प्राप्त स्कोर को बौद्धिक आयु में बदल दिया जाता है जिससे बुद्धिलब्धि निकाला जा सके।

2. भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट : इस टेस्ट का विकास डा० सी०एम० भाटिया द्वारा 1955 में किया गया। इस टेस्ट में 5 उप टेस्ट सम्मिलित हैं जैसे, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, एलेक्जेंडर पास एलांग टेस्ट, एमीडियेट मेमोरी तथा पिक्चर

कन्सट्रक्शन टेस्ट। यह टेस्ट 11 वर्ष या उसके ऊपर के आयु के व्यक्तियों पर प्रसारित किया जाता है।

3. बीने कुलश्रेष्ठ टेस्ट : यह बीने स्टेनफोर्ड टेस्ट का हिन्दी / अनुकूलन है। यह टेस्ट 3 वर्ष से 21 वर्ष तक के व्यक्तियों पर प्रशासित किया जाता है इस टेस्ट के दो भाग हैं शाब्दिक (Verbal) टेस्ट तथा परफार्मेन्स (Performance) टेस्ट जिससे शाब्दिक आयु तथा परफार्मेन्स आयु निकाला जा सकता है।

अभिवृत्ति जाँच

बौद्धिक अक्षम बच्चों के व्यवसाय चुनाव के लिए अभिवृत्ति जाचना आवश्यक हो जाता है। इसके द्वारा चुने हुए व्यवसाय उनके भविष्य के परफार्मेंस को दर्शाते हैं। इस तरह के आँकलन से हमें कौशल निखारने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद मिलेगी। जो बौद्धिक अक्षम बच्चे / व्यक्ति हाथ और बाहों का पूरा प्रयोग कर सकते हों उनकी उँगुलियों का निपुणता परीक्षण (Finger Dexterity Test) से व्यवसाय के प्रति उनकी अभिवृत्ति जाँच सकते हैं जैसे विनेट हैड-टूल टेक्सटीरीटी टेस्ट, विनेट 1965 ओ कूनर फिंगर डेक्सटीरीटी टेस्ट (ओकूनर 1926)। उपरोक्त टेस्ट पर्याप्त रूप से मानकीकृत नहीं हैं।

अनुकूलित व्यवहार जाँच

बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए अनुकूलित व्यवहार आँकलन के लिए वाइनलैंड सोपल मैचुरटी स्केल (मलिन 1968), विहैवियरल अससमेंट स्केल फार इंडियन चिल्ड्रेन विथ् मेंटल रिटार्डेशन (पेशावारिया व वेकटेशन 1992) विहैवियरल अससमेंट स्केल फार एडल्ट लिविंग विद् मेटल रिटार्डेशन (पेशावारिया व अन्य 2000), मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम (जयचन्द्रन व विमला 1975) का प्रयोग किया जाता है।

स्थानान्तरण आँकलन हेतु बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए एन आइ एम एच वोकेशनल एसेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम, एन आइ एम एच वोकेशनल प्रोफाइल एन्ड प्लेसमेंट चेकलिस्ट का प्रयोग किया जाता है।

(ख) कार्य प्रतिरूप रणनीति

व्यावसायिक अभिवृत्ति जाँच तथा अन्य रणनीति से असंतोष के कारण कार्य प्रतिरूप रणनीति का उद्भव हुआ। यह वास्तविक नौकरी (Job) में आवश्यक कार्य या कार्य तत्वों की जाँच करता है। इस रणनीति की विशेषता यह है कि बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों का मूर्त तथा अपरिचित टेस्ट सामग्री के बजाय सार्थक कार्यों के द्वारा जाँच किया जाता है। इस रणनीति को अपनाकर सांस्कृतिक, भाषा संबंधी बाधाएँ भी समाप्त हो जाती हैं।

यू.एस.ए. में 1980 के दशक में स्थानान्तरण आँकलन के लिए कार्य प्रतिरूप का प्रयोग तेजी से हुआ परन्तु क्लार्क व कॉलस्टो (1995) के अनुसार कार्य प्रतिरूप के निम्न कमियों के कारण इसकी लोकप्रियता 1990 के दशक में घटती गई।

1. यह नौकरी में सफलता का निर्धारण करने का मानदंड नहीं है। इसे मान्य किए जाने की जरूरत है। इसकी वैधता तथा विश्वसनीयता की अब भी जरूरत है।

2. प्रतिरूप के किस प्रकार का उपयोग किया जाना है यह समुदाय की विशेषता, कार्य का स्वभाव तथा कार्य की आवश्यकताओं की प्रकृति में परिवर्तन पर निर्भर करता है।
3. कार्य प्रतिरूप विधि महंगी होती है तथा साथ ही इसका प्रयोग करने में अधिक समय लगता है।
4. इस विधि से मूल्यांकन एक प्रशिक्षित निरीक्षणकर्ता के द्वारा ही किया जा सकता है।

सिटलिंगटन 1979 ने दिव्यांग बच्चों के स्थानान्तरण हेतु कार्य प्रतिरूप रणनीति के निम्नलिखित चरण सुझाए हैं –

1. **प्रतिरूप (Sample) को विकसित करने हेतु निर्णय लेना** – एक अनौपचारिक सर्वेक्षण का आयोजन कर यह पता लगाना कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सी नौकरी संभव है तथा यह भी जानकारी लेना कि इन नौकरियों के लिए कार्य प्रतिरूप पहले से ही विकसित है या नहीं। जो नौकरियाँ संभव हो सकती हों क्या वह कार्य प्रतिरूप फार्मेट का प्रतिनिधित्व करती है।

2. **नौकरी का विश्लेषण करना** – एक बार उपलब्ध नौकरियों का चुनाव हो जाता है तो, यह आवश्यक है कि विस्तृत सटीक विश्लेषण कर नौकरी के कार्य, भौतिक मांग तथा वातावरणीय माहौल का पता लगाया जाए।

3. **कार्य प्रतिरूप का निर्माण करना** – नमूने में शामिल किए जाने के लिए चयनित कार्य, नौकरी के लिए उसके महत्व के आधार पर तथा कार्य प्रतिरूप के व्यवहार्यता पर किया जाना चाहिए। ये टास्क (कार्य) आवश्यक अभ्यास सत्र तथा निर्देशों के साथ अनुक्रमित किया जाना चाहिए।

प्रतिरूप में प्रदर्शन सही उत्पादों की संख्या, त्रुटियों की संख्या, कार्य की गुणवत्ता या उसे पूरा करने के लिए लगा हुआ समय से मापा जाना चाहिए।

4. **कार्य प्रतिरूप मैनुअल को लिखना** – कार्य प्रतिरूप को व्यवस्थित ढंग से प्रशासित करना तथा उसे अन्य व्यवसायों के प्रयोग में लाने योग्य बनाने हेतु मैनुअल होना आवश्यक है। कार्य प्रतिरूप के मैनुअल दो सेट में तैयार होने चाहिए एक दिव्यांग व्यक्ति को दिया जाना चाहिए तथा दूसरा मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रयोग किया जायेगा।

5. **मानदण्डों की स्थापना करना** – वह समूह जिससे व्यक्ति की तुलना की जाती है उसका चुनाव ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। वह समूह जनसंख्या को ऐसा प्रतिनिधित्व करे जिससे दिव्यांग व्यक्ति नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा हो।

6. **विश्वसनीयता और वैद्यता के अनुमान की स्थापना करना** – यह किसी भी उपकरण के जाँच के लिए आवश्यक है।

(ग) समुदाय पर आधारित रणनीति

समुदाय पर आधारित प्रक्रिया में व्यावसायिक आँकलन मुख्यतः समुदाय तथा प्रशिक्षणार्थी का किया जाता है। यह क्रियात्मक (Functional) आँकलन होता है जो दैनिक जीवन से संबंधित होता है जैसे – समुदाय में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए उपयुक्त रोजगार की पहचान करना, पहचान में लाए गए रोजगार से संबंधित सूचनाएं, बौद्धिक अक्षम व्यक्ति का कार्य से जुड़े वर्तमान कौशल का स्तर इत्यादि।

(i) समुदाय का आँकलन – समुदाय का आँकलन करने का मुख्य उद्देश्य समुदाय में उपलब्ध रोजगार के अवसर को तराशना है। इस तरह के आँकलन से समुदाय में उपलब्ध रोजगार केन्द्रों पर रोजगार से संबंधित विभिन्न कार्य की पहचान आसानी से हो जाती है जो एक बौद्धिक अक्षम बालक कर सकता है।

सामुदायिक आँकलन के निम्न चरण हैं –

1. समुदाय का सर्वेक्षण कर विभिन्न रोजगार से संबंधित केन्द्र/स्थल की सूची संकलित करना।
2. सूची के अनुसार उपभोक्ता से संपर्क करना तथा वार्ता कर नौकरी (Job) के प्रकार तथा समुदाय में नौकरी करने की आवश्यक कौशल का पता लगाना।
3. नौकरी का विश्लेषण (Job – Analysis) करना।

(ii) प्रशिक्षणार्थी का आँकलन – इसके अंतर्गत सामान्य कौशल (generic skills) तथा विशिष्ट कौशल (Specific skills) का आँकलन किया जाता है।

सामान्य कौशल आँकलन – किसी भी नौकरी में चयन के पूर्व कौशल सम्बन्धी ज्ञान की जानकारी एकत्रित करना सामान्य कौशल आँकलन कहलाता है। इसके अंतर्गत बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के व्यक्तिगत कौशल, सामाजिक, शिक्षण, घरेलू सुरक्षा, हाथ की क्रियाएँ मोबिलिटी कौशल समाहित है।

विशिष्ट कौशल आँकलन – सामुदायिक आँकलन, साक्षात्कार तथा रोजगार विश्लेषण द्वारा सूचनाएं एकत्रित करना विशिष्ट कौशल आँकलन कहलाता है। जो कौशल एक बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को समुदाय के रोजगार में सफलता के लिए आवश्यक है, उन्हीं कौशल क्षेत्रों में उसका आँकलन किया जाना चाहिए।

भारत में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग संस्थान सिकन्दराबाद ने विद्यालय से रोजगार हेतु स्थानान्तरण मॉडल विकसित किया है (कुट्टी एवं राव 2000). इस मॉडल में बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को विद्यालयी निर्देशन, स्थानान्तरण के लिए योजना तैयार करना, रोजगार के लिए योजना बनाना तथा समुदाय में मिलने वाली सहायता सेवाएँ जैसे चार चरण हैं।

प्रथम चरण – विशिष्ट स्कूल निर्देशन व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार की नींव है। विशेष स्कूल पाठ्यक्रम में प्री वोकेशनल (व्यवसाय पूर्व) तथा व्यावसायिक पहलुओं को अवश्य सम्मिलित करें। अपने वातावरण में जो दैनिक क्रिया कलाप व्यक्ति करता है उसकी सूची तैयार करें। उसी सूची में प्री वोकेशनल तथा वोकेशनल क्रियाओं की पहचान करें। प्रशिक्षण देने के पूर्व बच्चे की उम्र तथा दक्षता का स्तर अवश्य ज्ञात करें।

प्रशिक्षण देने के लिए बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के माता-पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों को सम्मिलित करें तथा प्रशिक्षण व्यक्ति के अपने वातावरण में ही दें।

द्वितीय चरण – इस चरण में बौद्धिक अक्षम व्यक्ति जिस समुदाय में रहता है, उस समुदाय का आँकलन किया जाता है। समुदाय आँकलन में (SWOT Analysis) क्षमता, सीमाएँ, अवसर तथा जोखिम का विश्लेषण किया जाता है।

प्रत्येक बौद्धिक अक्षम व्यक्ति का भी कौशल आँकलन किया जाता है तथा माता-पिता के सहयोग से व्यक्तिगत स्थानान्तरण योजना (ITP) तैयार की जाती है।

तृतीय चरण – यून तो एक बौद्धिक अक्षम बालक का प्री वोकेशनल तथा वोकेशनल कौशल क्षेत्र में प्रशिक्षण स्कूल के शुरूआती दिनों में ही शुरू कर दी जाती है परन्तु स्थानान्तरण योजना के अंतर्गत स्कूली शिक्षा समाप्ति के उपरान्त उसे समुदाय में उपलब्ध रोजगार में स्थापन कर प्रशिक्षण दिया जाता है।

अतः वयैक्तिक स्थानान्तरण योजना में रोजगार का चुनाव, उसका विश्लेषण, रोजगार से मिलान, इसी चरण में किया जाता है।

चतुर्थ चरण – यह एक महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को रोजगार में प्रशिक्षण दिया जाता है। उसे लगातार मिलने वाली सहायता तथा सहायता का विलोपन का निर्णय इसी चरण में किया जाता है।

(घ) स्थिति पर आधारित आँकलन रणनीति

स्थानान्तरण योजना के अंतर्गत अधिकांश स्कूलों में स्थिति आँकलन का प्रयोग किया जाता है। इस रणनीति में आँकलन नौकरी में प्रशिक्षण के साथ सम्बद्ध है। कर्लाक तथा कॉलटो (1990) के अनुसार स्थिति पर आधारित आँकलन के निम्न लाभ हो सकते हैं।

1. यह वास्तविक वातावरण में निरीक्षण तथा व्यक्तिगत मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है।
2. यह औपचारिक परीक्षण द्वारा उत्पादित एन्जाइटी को कम से कम स्तर तक सीमित रखता है।
3. यह व्यक्ति की अलग-अलग परिस्थितियाँ जैसे प्राकृतिक या बनावटी में आँकलन करने की अनुमति देता है।
4. यह पाठ्यक्रम संदर्भित आँकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिससे बेहतर अनुदेशनात्मक योजना बनाया जा सके।

वहीं कुछ सीमाएँ हैं जैसे –

1. यदि व्यक्ति स्थिति पर आधारित आँकलन में गलत या नकारात्मक मूल्य का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा हो, तो यह महत्वपूर्ण शामिल चर को सुलझाने में मुश्किल पैदा कर सकता है।

10.4 इकाई सारांश

बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए स्थानान्तरण आँकलन में मनोपरीक्षण, कार्य प्रतिरूप, स्थिति पर आधारित, तथा समुदाय पर आधारित रणनीति अपनायी जाती है।

1. मनोपरीक्षण रणनीति के अंतर्गत बौद्धिक जाँच हेतु वेशलर एडल्ट परफार्मेन्स इंटेलिजेन्स स्केल, भाटिया परफार्मेंस टेस्ट, बीने कुलश्रेष्ठ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अभिवृत्ति जाँच हेतु फिंगर डेक्सटीरीटी टेस्ट के अंतर्गत, बिने हैंड टूल डेक्सटीरीटी टेस्ट, ओकूनर फिंगर डेक्सटीरीटी टेस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। अनुकूलन व्यवहार आँकलन हेतु एन.आइ.एम.एच. वोक्शेनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम, बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फार एडल्ट विथ इनडिपेन्डेन्ट लिविंग, एन.आइ.एम.एच.वोक्शेनल प्रोफाइल एण्ड प्लेसमेंट चेकलिस्ट का प्रयोग किया जाता है।
2. कार्य प्रतिरूप रणनीति की विशेषता यह है कि बौद्धिक अक्षम बच्चों का अकालन मूर्त (abstract) तथा अपरिचित टेस्ट सामग्रियों से नहीं कर, उनके सार्थक कार्य के द्वारा जाँच किया जाता है।
3. स्थानिय अथवा स्थिति पर आधारित रणनीति के अंतर्गत बौद्धिक अक्षम बच्चों का वास्तविक वातावरण में कौशल आँकलन किया जाता है।
4. जबकि समुदाय पर आधारित आँकलन रणनीति के अंतर्गत समुदाय तथा बौद्धिक अक्षम व्यक्ति दोनों का आँकलन किया जाता है जिससे उसे समुदाय में अपनी क्षमता / दक्षता के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा सके।

10.5 शब्द सूची

- **रोजगार स्थानान्तरण** – यह वह प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को विद्यालय से रोजगार परक शिक्षा या रोजगार पाने में सहायता देने हेतु चरणबद्ध तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है। यह विद्यालय तथा रोजगार के बीच सेतु के समान है।
- **कार्य प्रतिरूप रणनीति** – इस रणनीति में व्यक्ति की जाँच मूर्त या अपरिचित टेस्ट सामग्री से न करके सार्थक कार्यों के द्वारा किया जाता है। इससे सांस्कृतिक, भाषा सम्बन्धी बाधाएँ भी समाप्त हो जाती हैं।
- **समुदाय पर आधारित रणनीति** – इस रणनीति में बौद्धिक अक्षम व्यक्ति जिस समुदाय में रहता है उस समुदाय में उपलब्ध रोजगार के अवसर की पहचान कर बौद्धिक अक्षम व्यक्ति की सामान्य तथा विशिष्ट कौशलों का आँकलन किया जाता है, स्कूल तथा उसके समुदाय में उपलब्ध रोजगार में प्रशिक्षण देकर अंततः उसे रोजगार में स्थानान्तरित किया जाता है।

10.6 बोध प्रश्नों के आदर्श उत्तर

प्रश्न – बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए स्थानान्तरण आँकलन हेतु मनोपरीक्षण रणनीति की चर्चा करें ?

उत्तर – मनोपरीक्षण रणनीति पुनर्वास मनोवैज्ञानिकों, शिक्षकों के द्वारा अपनायी गयी लोकप्रिय रणनीति है। मनोपरीक्षण रणनीति के अन्तर्गत बौद्धिक

अक्षम व्यक्तियों का बौद्धिक जाँच अभिवृत्ति जाँच व सामंजस्य व्यवहार का आँकलन किय जाता है।

बौद्धिक जाँच –

1. वेशलर एडल्ट परफार्मेंस इंटेलीजेंस स्केल :-

यह वेशलर एडल्ट इंटेलीजेंस स्केल का भारतीय अनुकूलित स्केल है। इसका भारतीय रूपान्तरण डा० राम लिंगा स्वामी ने 1974 में किया। इस स्केल में 5 सब स्केल हैं जैसे डिजिट सिम्बॉल, पिक्चर कम्प्लीशन, ब्लॉक डिजाइन, पिक्चर एरेजमेन्ट तथा आब्जेक्ट एसेम्बली। सभी 5 सब स्केल को क्रम से प्रसारित कर प्राप्त स्कोर को बौद्धिक आयु में बदल दिया जाता है।

2. भाटिया परफार्मेंस टेस्ट – इस टेस्ट का विकास डा० सी०एम० भाटिया द्वारा 1955 में किया गया। इस टेस्ट में कुल 5 सब स्केल हैं। जैसे – ब्लॉक डिजाइन टेस्ट एलेक्जेंडर पास एलांग टेस्ट, एमीडिएट मेमोरी तथा पिक्चर कन्सट्रक्शन टेस्ट। यह टेस्ट 11 वर्ष या उसके ऊपर के आयु के व्यक्तियों पर प्रसारित किया जाता है।

3. बीने कुल श्रेष्ठ टेस्ट – यह बीने स्टेनफोर्ड टेस्ट का हिन्दी अनुकूलन है। यह टेस्ट 3 वर्ष से 21 वर्ष आयु तक के व्यक्तियों पर प्रसारित किया जाता है। इस टेस्ट के दो भाग हैं शब्दिक तथा परफार्मेंस टेस्ट।

अभिवृत्ति जाँच – बौद्धिक अक्षम बच्चों का व्यवसाय चुनाव के लिए अभिवृत्ति जाँचना आवश्यक हो जाता है। यह चुने हुए व्यवसाय का भविष्य के परफार्मेंस को दर्शाता है। इस तरह के आँकलन से हमें कौशल निखारने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद मिलती है। कुछ अभिवृत्ति जाँच जैसे फिंगर डिक्सटीरिटी टेस्ट, विनेट हैड-टूल टेक्सटीरिटी टेस्ट हाथ तथा अंगुलियों के प्रयोग को जाँचने का उपकरण है।

अनुकूलित व्यवहार जाँच – बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए अनुकूलित व्यवहार जाँच हेतु वाइनलैंड सोशल मैचुरटी स्केल, बिहेवियर असेसमेंट स्केल फार इण्डियन चिल्ड्रन विथ मैन्टल रिटडिशन, बिहेवियर असिस्मेंट स्केल फार एडल्ट लिविंग विथ मैन्टल रिटडिशन तथा मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न – बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के स्थानान्तरण आँकलन हेतु स्थिति पर आधारित आँकलन रणनीति के लाभ की चर्चा करें।

उत्तर – स्थानान्तरण योजना के अंतर्गत अधिकांश स्कूलों में स्थिति आँकलन का प्रयोग किया जाता है। इस रणनीति में आँकलन नौकरी में प्रशिक्षण के साथ संवद्ध है। कर्लाक तथा कॉलटो (1990) के अनुसार स्थिति पर आधारित आँकलन के निम्न लाभ हो सकते हैं।

1. यह वास्तविक वातावरण में निरीक्षण तथा व्यक्तिगत मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है।
2. यह औपचारिक परीक्षण द्वारा उत्पादित एन्जाइटी को कम से कम स्तर तक सीमित रखता है।

3. यह व्यक्ति के अलग-अलग परिस्थितियों जैसे प्राकृतिक या बनावटी में आँकलन करने की अनुमति देता है।
4. यह पाठ्यक्रम संदर्भित आँकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिससे बेहतर अनुदेशात्मक योजना बनाया जा सके।

वहीं कुछ सीमाएं हैं जैसे –

यदि व्यक्ति स्थिति पर आधारित आँकलन में गलत या नकारात्मक मूल्य का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा हो, यह महत्वपूर्ण शामिल चर को सुलझाने में मुश्किल पैदा कर सकता है।

10.7 सन्दर्भ

1. कर्लाक, जी एण्ड कॉलटो, ओ.पी. (1995) . कैरियर डेवलपमेंट एण्ड ट्रान्जीसन एजुकेशन फार एडालसन्स विथ डिसेबिलिटीज. बास्टन: एलैन एण्ड बॉकन्
2. थ्रेसिया कुट्टी, ए.टी. एण्ड राव नी.एल. (2000) . ट्रान्जीसन आफ पर्सन विथ मेंटल रिटार्डेशन फ्राम स्कूल टू वर्क : ए गाईड . सिकन्दराबाद : राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग संस्थान
3. थ्रेसिया कुट्टी, ए.टी. (1998) वोक्शनल असेसमेंट एण्ड प्रोग्रामिंग सिस्टम फार पर्सन विथ मेंटल रिटार्डेशन. सिकन्दराबाद : एन.आई.एम.एच.
4. थ्रेसिया कुट्टी, ए.टी. (2006) डी.वी.टी.ई. मैनुअल : प्रिंसिपल आफ वोक्शनल ट्रेनिंग : नई दिल्ली : आर.सी.आई. एवं कनिश्का पब्लिकेशन।

10.8 अभ्यास प्रश्न

1. स्थानान्तरण आँकलन क्या है ?
2. स्थानान्तरण आँकलन में सम्मिलित मनोपरीक्षण रणनीति के अंतर्गत कौन-कौन जाँच आवश्यक है ?
3. समुदाय पर आधारित आँकलन रणनीति के विभिन्न चरणों में लिखें।
4. संक्षिप्त टिप्पणी लिखें –
 - (अ) कार्य प्रतिदर्श
 - (ब) एन. आइ. एम. एच. स्थानांतरण मॉडल के विभिन्न चरण

इकाई-11 महत्व तथा स्वतंत्र जीवन हेतु टूल

संरचना

- 11.1 परिचय
- 11.2 उद्देश्य
- 11.3 व्यावसायिक आँकलन की परिभाषा तथा महत्व
- 11.4 व्यावसायिक आँकलन हेतु परीक्षण टूल्स
 - 11.4.1 वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम
 - 11.4.2 बिहेयवियरल असेसमेंट स्केल फार इंडिपेन्डेंट लिविंग विथ् मेण्टल रिटार्डेशन
 - 11.4.3 अन्य टूल्स
- 11.5 सारांश
- 11.6 शब्द सूची
- 11.7 बोध प्रश्नों के आदर्श उत्तर
- 11.8 सन्दर्भ
- 11.9 अभ्यास प्रश्न

11.1 परिचय

रोजगार सभी व्यक्तियों के जीवन शैली का प्रमुख अंग है तथा बौद्धिक अक्षम व्यक्ति भी कोई अपवाद नहीं हैं। बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यक है। व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु किया जाने वाला आँकलन व्यावसायिक आँकलन कहलाता है। व्यावसायिक आँकलन के अंतर्गत विभिन्न विशेषज्ञों जैसे चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक चिकित्सक, व्यावसायिक प्रशिक्षक का सक्रिय सहयोग लेना उचित होता है जिससे बेहतर हस्तक्षेप योजना तैयार हो सके।

व्यावसायिक आँकलन हेतु देश में कुछ परीक्षण टूल्स विकसित हुए हैं जैसे, वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम (VAPS), बिहेयवियरल असेसमेंट स्केल फार एडल्ट लिविंग विथ् मेंटल रिटार्डेशन (BASAL MR), जो व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रयोग में लाए जा रहे हैं।

11.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप सक्षम होंगे।

- व्यावसायिक आँकलन को जानने में, उसके महत्व को समझने में

- व्यावसायिक आँकलन करने के विभिन्न तरीकों को सीखने में
- विभिन्न व्यावसायिक आँकलन टूल्स को समझने में जो बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं।

11.3 व्यावसायिक आँकलन की परिभाषा

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के व्यावसायिक तैयारी तथा रोजगार संबंधी निर्णय लेने हेतु किया जाने वाला आँकलन व्यावसायिक आँकलन कहलाता है।

बेलामी, हार्नर तथा इनाम (1979) के अनुसार, बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के कौशल तथा प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की वह प्रक्रिया है जिससे प्रशिक्षण संबंधी निर्णय लिए जा सकें, व्यावसायिक आँकलन कहलाता है।

व्यावसायिक आँकलन का मूल उद्देश्य बौद्धिक अक्षम के व्यावसायिक हस्तक्षेप से है जो चार प्रमुख मुद्दे जैसे, सेवाओं के लिए पात्रता, व्यावसायिक क्षमता, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिपक्वता के समाधान करने से प्राप्त होता है (आर्या, 1990)।

11.3.1 व्यावसायिक आँकलन का महत्व

1. यह बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों की क्षमता, रुचि, प्राथमताएं तथा आवश्यकताओं से संबंधित वर्तमान कार्यात्मक स्तर की सूचनाएं प्रदान करता है।
2. यह अनुदेशनात्मक योजना हेतु निर्णय (Instructional Programming decisions) लेने में मदद करता है।
3. समुदाय में बौद्धिक अक्षम व्यक्ति की क्षमता तथा रुचि के अनुसार उपयुक्त रोजगार को खोजने में मदद करता है।
4. चुने गए रोजगार के बारे में सूचनाएं देता है।
5. रोजगार में उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जिनमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
6. रोजगार में बने रहने में मदद पहुँचाता है।

11.4 व्यावसायिक आँकलन हेतु परीक्षण टूल्स

व्यावसायिक आँकलन औपचारिक तथा अनौपचारिक टूल्स का प्रयोग करके किया जाता है। औपचारिक आँकलन के अंतर्गत मानित टूल का प्रयोग किया जाता है जबकि अनौपचारिक आँकलन में बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के योग्यता का परीक्षण उसके वास्तविक वातावरण/कार्य स्थल में अवलोकन विधि से किया जाता हो।

आर्या (1990) ने व्यावसायिक आँकलन हेतु निम्न सिद्धान्तों को अपनाने की सलाह दी हो।

1. व्यावसायिक आँकलन वातावरण पर आधारित होनी चाहिए अर्थात वह व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा भौतिक पृष्ठभूमि से संबंधित है।

2. व्यावसायिक आँकलन ऐसी स्थिति में किया गया हो जो वास्तविक माहौल/परिस्थिति से मिलता-जुलता हो।
3. आँकलन पद्धति भविष्य के रोजगार प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने में सक्षम होना चाहिए।
4. आँकलन पद्धति वर्तमान तथा भविष्य में नौकरी दिलाने के अवसर से संदर्भित हो।
5. यह, कार्य कौशल तथा व्यवहार संबंधी कौशल दोनों पर केन्द्रित हो जो कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता हो।
6. यह सामान्य (generic) तथा विशिष्ट (Specific) कौशल के संदर्भ में सूचनाएं देता हो।

अनौपचारिक आँकलन विधि में कार्य प्रतिरूप विधि, प्रक्रिया उन्मुख विधि का प्रयोग किया जाता है जबकि औपचारिक आँकलन विधि में व्यावसायिक आँकलन हेतु भारत में विकसित कई टूल्स जैसे वोकेशनल एसेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम फार पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन, (VAPS), बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फार एडल्ट लिविंग विद मेंटल रिटार्डेशन (BASAL-MR) तथा एन.आइ.एम.एच. वोकेशनल प्रोफाइल तथा प्लेसमेंट चेकलिस्ट (NIMH VAPC) का प्रयोग किया जाता है।

11.4.1 वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम फार पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन (VAPS)

यह एक और मानित स्केल है जिसका प्रयोग बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को रोजगारपरक कौशल आँकलन के लिए किया जाता है। इसका विकास राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग संस्थान, सिकन्दराबाद में कार्यरत डा० ए.टी. थ्रेसिया कुट्टी ने 1998 में किया। इस स्केल में बौद्धिक अक्षम व्यक्ति हेतु व्यावसायिक प्रोफाइल, सामान्य कौशल आँकलन चेकलिस्ट, नौकरी विश्लेषण प्रारूप तथा कार्य व्यवहार आँकलन चेकलिस्ट सम्मिलित है।

व्यावसायिक प्रोफाइल के अंतर्गत प्रशिक्षु पहचान संबंधी डाटा, परिवार इतिहास, सामाजिक आर्थिक स्तर, तत्परता कौशल आँकलन, कौशल प्रशिक्षण से संबंधित योग्यता रोजगार संबंधी अनुभव तथा उपयुक्त नौकरी के चयन संबंधी सूचनाएं एकत्र किया जाता है।

सामान्य कौशल आँकलन चेकलिस्ट में 80 पद हैं जिसे 8 क्षेत्रों में बाटा गया है। ये क्षेत्र हैं – व्यक्तिगत कौशल क्षेत्र (1), सम्प्रेषण (2), सामाजिक व्यवहार (3) क्रियात्मक पठन (4), सुरक्षा कौशल (5), घरेलू व्यवहार (6) गतिशीलता तथा हाथ के कार्य (7) तथा व्यावसायिक कौशल (8 पद)

इस चेक लिस्ट द्वारा प्राप्तांक दर्ज करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं :-

कोई बौद्धिक अक्षम व्यक्ति किसी पद को स्वयं कर लेता है तो (✓) का निशान अंकित किया जाता है तथा अगर नहीं करने पर (✕) का निशान दिया जाता है। चेकलिस्ट के प्रत्येक क्षेत्र में कुल (✓) को जोड़कर प्राप्तांक लिखा जा सकता है।

नौकरी विश्लेषण प्रारूप (जाब एनालिसिस फार्मेट) के अंतर्गत नौकरी से संबंधित कार्य का नाम, कार्य स्थल, कर्ता का नाम, जैसी सूचना एकत्रित की जाती है। मुख्य कार्य क्षेत्र के अंतर्गत चुने गए नौकरी से संबंधित मुख्य तथा विशिष्ट

कार्य लिखा जाता है इसी भांति नौकरी में अतिरिक्त उत्तरदायित्व/कर्तव्य, कार्य से संबंधित कौशल क्षेत्र में व्यक्तिगत, कार्यात्मक पठन, सुरक्षा, स्वतंत्रत जीवन-यापन, यात्रा इत्यादि से सूचनाएं ली गयी हैं।

वी.ए.पी.एस. के कार्य व्यवहार ऑकलन चेकलिस्ट (Work behaviour assessment checklist) में 50 पद हैं जो 5 क्षेत्र में बटे हैं जैसे शारीरिक रूप सज्जा (Physical appearance) के 10 पद, व्यक्तित्व संवाद (Personal interaction) के 8 पद, नियमितता एवं समय निश्चिता के 10 पद, सम्प्रेषण/सामाजिक तौर तरीके (Communication / Social Manner) के 12 पद तथा गुणवत्ता एवं कार्य में उत्पादकता Quality & aspects of work, के 10 पद हैं।

परीक्षण पर अगर बौद्धिक अक्षम व्यक्ति चेकलिस्ट के व्यवहार को हमेशा जल्दी-जल्दी प्रदर्शित करता हो उसे 3 अंक, कभी-कभी प्रदर्शित करता हो 2 अंक, कभी-कभार व्यवहार प्रदर्शित करता हो 1 अंक तथा व्यवहार कभी नहीं प्रदर्शित करने पर 0 अंक दिए जाते हैं।

इस प्रकार इस चेकलिस्ट में बौद्धिक अक्षम बच्चा 0-3 तक अंक प्राप्त कर सकता है।

11.4.2 बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फार एडल्ट लिमिंग विद मेंटल

रिटार्डेशन (BASAL-MR)

बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फार एडल्ट लिमिंग विथ मेंटल रिटार्डेशन का विकास डा० रीता पेशावारिया तथा अन्य ने सन् 2000 में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग संस्थान सिकन्दराबाद में किया।

इस स्केल से बौद्धिक अक्षम व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष या अधिक हों, उसका कौशल व्यवहार तथा समस्या व्यवहार का ऑकलन किया जाता है।

बेसल – एम.आर. को दो भाग में बाटा गया है भाग-अ कौशल व्यवहार ऑकलन के लिए है जिसमें 7 क्षेत्र हैं जैसे स्वयं की देखभाल कौशल, खान-पान प्रबंधन, घरेलू क्रिया-कलाप जिम्मेदारियाँ, समुदाय, मनोरंजन तथा लैंगिकता, कार्य तथा क्रियात्मक साक्षरता तथा सामाजिक-सम्प्रेषण। बेसल – एम.आर. भाग-अ में कुल 120 पद हैं तथा सभी पदों को कठिनाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है।

बेसल – एम.आर. भाग-ब में 80 पद हैं जिसे 12 क्षेत्रों में बाटा गया है जैसे – दूसरों को शारीरिक क्षति पहुँचाना, सम्पत्ति का नुकसान, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार, अति चंचलता, स्वयं को नुकसान पहुँचाना, एक जैसा व्यवहार प्रदर्शित करना, अनोखा व्यवहार, असामाजिक व्यवहार, अनुचित यौन व्यवहार, विद्रोही व्यवहार, तथा गुस्सा करना।

बेसल – एम.आर. भाग-अ में विभिन्न क्षेत्रों में निष्पादन स्तर निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है।

स्तर – एक : स्वतंत्र (अंक 5) अगर बौद्धिक अक्षम व्यक्ति बिना किसी शारीरिक या मौखिक सहायता से दिए गए व्यवहार को कर लेता है तो उसे इनडीपेन्डेंट (I) अंकित किया जाता है और 5 अंक दिए जाते हैं।

स्तर – दो : संकेत (अंक 4) अगर दिए गए व्यवहार को बौद्धिक अक्षम व्यक्ति मौखिक संकेत से करता है तो उसे क्यूडिंग C अंकित किया जाता है तथा 4 अंक दिए जाते हैं।

स्तर – तीन : मौखिक प्रोत्साहन (अंक 3) अगर दिए गए व्यवहार को व्यक्ति किसी प्रकार के मौखिक वक्तव्य के प्रोत्साहन से करता है तो उसे VP अंकित किया जाता है तथा 3 अंक दिए जाते हैं।

स्तर – चार : शारीरिक प्रोत्साहन (अंक 2) अगर दिए गए व्यवहारों को बच्चा किसी प्रकार के शारीरिक प्रोत्साहन देने के बाद करता है उसे P.P. अंकित किया जाता है तथा 2 अंक दिए जाते हैं।

स्तर – पाँच : पूर्ण रूप से निर्भर (अंक -1)

स्तर – छह : लागू नहीं (अंक 0)

बेसल – एम.आर0 भाग-ब का प्रारूप

बेसल – एम.आर. भाग-ब के प्राप्तांकों का योग करने के निम्नलिखित मापदंड उपयुक्त होते हैं –

1. अगर यदि दिया गया समस्या व्यवहार व्यक्ति में घटित नहीं होता है तो N दर्ज करें तथा 0 अंक दें
2. अगर दिया गया समस्या व्यवहार व्यक्ति में कभी-कभी घटित होता है तो O अंकित करें तथा 1 अंक दें।
3. अगर दिया गया समस्या व्यवहार व्यक्ति में जल्दी-जल्दी घटित होता है तो F अंकित करें तथा 2 अंक दें

11.4.3 अन्य टूल्स

(अ) एन.आइ.एम.एच. वोकेशनल प्रोफाइल एण्ड प्लेसमेंट चेकलिस्ट (NIMH VPPC) NIMH VPPC का विकास राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग संस्थान सिकन्दराबाद के व्यावसायिक प्रशिक्षण विभाग में 1991 में किया गया। इस चेकलिस्ट के दो भाग हैं भाग-अ तथा भाग-ब। भाग-अ बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के नौकरी के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएँ एकत्रित करता है— सामान्य कौशल, विशिष्ट कौशल, दैनिक दिनचर्या का विवरण, रोजगार संबंधी अनुभव संभावित रोजगार विकल्प तथा सहायता के क्षेत्र/भाग-ब, बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के सामंजस्य व्यवहार का आँकलन निम्नलिखित आठ क्षेत्रों में करता है—

स्वयं की देख-रेख की क्रियाएँ, सम्प्रेषण, सामाजिक व्यवहार क्रियात्मक सुरक्षा कौशल, घरेलू व्यवहार, गामक कौशल तथा व्यावसायिक कौशल

इस चेकलिस्ट के प्रयोग से बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों व्यावसायिक प्रशिक्षण में कार्यात्मक स्तर एवं आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बौद्धिक अक्षम व्यक्ति का निष्पादन स्तर दर्शाने के लिए स्वतंत्र (I), मौखिक संकेत (C), शाब्दिक संकेत (VP), शारीरिक संकेत (PP), पूर्णरूप से निर्भर (TD) का प्रयोग किया जाता है। आइटम जिनमें I अंकित होते हैं उन्हें एक अंक के रूप में गिना जाता है जबकि अन्य C, VP, PP, TD पर अंक नहीं जोड़े जाते हैं।

(ब) **वर्कशाप ऑब्जरवेशन स्केल** — बी.एम. इन्स्टीट्यूट, अहमदाबाद ने गुडविल इन्डस्ट्री मैनुअल का भारतीय रूपान्तरण किया गया। इस स्केल का प्रयोग बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के कार्य व्यवहार के विशेषताओं का आँकलन करने के लिए किया जाता है। इस स्केल में 63 पद हैं जिसे 6 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। ये क्षेत्र हैं — कार्य के प्रति दृष्टिकोण, कार्य की गुणवत्ता, पर्यवेक्षक की प्रतिक्रिया, सहकर्मी की प्रतिक्रिया, व्यक्तिगत लक्षण तथा सामान्य अवलोकन। प्रत्येक क्षेत्र में न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 20 तक पद हैं। प्रत्येक पद में मूल्यांकन के लिए चार तरह के व्यवहार पैटर्न दिए गए हैं जिसमें प्रयुक्त व्यवहार में टिक (✓) का निशान लगाना है।

(स) **असेसमेंट ऑफ वोकेशनल रेडिनेस स्केल** — इस स्केल का विकास श्री डी. जे.के. कार्निलियस, स्मिता रूकमणी ने किया। यह स्केल नव ज्योति ट्रस्ट चेन्नई द्वारा 1998 में प्रकाशित हुआ। इस स्केल से बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों का व्यावसायिक तत्परता का आँकलन किया जाता है।

इस स्केल में 50 पद हैं जिसे 8 क्षेत्रों में बांटा गया है जैसे — सामाजिक योग्यता, सुरक्षा संबंधी जागरूकता, स्वयं की देखभाल, यात्रा संबंधी योग्यता, सहायक कौशल, क्रियात्मक पठन व्यावसायिक तत्परता तथा निपणुता। प्रत्येक पद के मूल्यांकन के लिए चार तरह के प्रदर्शन योग्यता में ग्रेडिंग करना होता है जैसे कार्य नहीं कर पाना (अंक 0) या कार्य स्वतंत्र रूप से करना (अंक 3)।

11.5 सारांश

व्यावसायिक आँकलन व्यक्ति के कौशल तथा प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की वह प्रक्रिया है जिससे प्रशिक्षण संबंधी निर्णय लिए जा सकें। अतः व्यावसायिक आँकलन का महत्व बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के व्यावसायिक पुर्नवास के लिए अधिक है।

यह बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के क्षमता, रुचि आवश्यकताओं से संबंधित कार्यात्मक स्तर की सूचनाएँ प्रदान करने के साथ उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने में भी मदद करता है। यह व्यक्ति के क्षमता, रुचि के अनुसार रोजगार खोजने में, रोजगार में बने रहने में मदद पहुँचाता है।

व्यावसायिक आँकलन हेतु कई गैर मानित टेस्ट का प्रयोग किया जाता है जैसे वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम फार पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन (VAPS), बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फार इण्डियन लिविंग विद मेंटल रिटार्डेशन।

11.6 शब्द सूची

- व्यावसायिक आँकलन — व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु किया जाने वाला आँकलन व्यावसायिक आँकलन कहलाता है। यह व्यावसायिक तैयारी तथा रोजगार सम्बन्धी निर्णय लेने हेतु किया जाता है।
- बेसल (एम0आर0) — बिहेवियरल असिसमेंट फार एडल्ट लिविंग विद मेंटल रिटार्डेशन।
- वी0ए0पी0एस0 — वोकेशनल असिसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम।

11.7 बोध प्रश्नों के आदर्श उत्तर

प्रश्न – व्यावसायिक आँकलन क्या है ? व्यावसायिक आँकलन हेतु अपनायी जाने वाले सिद्धान्तों को लिखे –

उत्तर – बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यक है। व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु किया जाने वाला आँकलन व्यावसायिक आँकलन कहलाता है।

बैनामी व अन्य (1979) के अनुसार व्यावसायिक आँकलन बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के कौशल तथा प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की वह प्रक्रिया है जिससे प्रशिक्षण सम्बन्धी निर्णय लिए जा सकें।

आर्या (1990) ने व्यावसायिक आँकलन हेतु निम्न सिद्धान्तों को अपनाने की सलाह दी है।

1. व्यावसायिक आँकलन वातावरण पर आधारित होना चाहिए अर्थात् वह व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा भौतिक पृष्ठभूमि से संबंधित हो।
2. व्यावसायिक आँकलन ऐसे स्थिति पर किया गया हो जो वास्तविक माहौल/परिस्थिति से मिलता-जुलता हो।
3. आँकलन पद्धति भविष्य के रोजगार प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने में सक्षम होना चाहिए।
4. आँकलन पद्धति वर्तमान तथा भविष्य में नौकरी दिलाने के अवसर के संदर्भित हो।
5. यह कार्य कौशल तथा व्यवहार संबंधी कौशल दोनों पर केन्द्रित हो जो कार्य करने के व्यवहार को प्रभावित करता हो।
6. यह सामान्य (generic) तथा विशिष्ट (Specific) कौशल के संदर्भ में सूचनाएँ देता हो।

प्रश्न – बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के व्यावसायिक आँकलन हेतु प्रयुक्त कोई एक टूल या टेस्ट की चर्चा करे।

उत्तर – बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के व्यावसायिक आँकलन हेतु भारत में कई टूल्स विकसित किये गये हैं जैसे वोकेशनल एसेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम, बिहेवियरल एसेसमेंट स्केल फार इंडिपेन्डेंट लिविंग विद मेंटल रिटार्डेशन तथा एन0आइ0एम0एच0 वोकेशनल प्रोफाइल तथा प्लेसमेंट चेकलिस्ट।

बिहेवियरल एसेसमेंट स्केल फार एडल्ट लिविंग विद मेंटल रिटार्डेशन (BASAL-MR)

बिहेवियरल एसेसमेंट स्केल फार एडल्ट लिविंग विथ मेंटल रिटार्डेशन का विकास डा० रीता पेशावारिया तथा अन्य ने सन् 2000 में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग संस्थान सिकन्दराबाद में किया।

इस स्केल से बौद्धिक अक्षम व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष या अधिक हो, उसका कौशल व्यवहार तथा समस्या व्यवहार का आँकलन किया जाता है।

बेसल – एम.आर. को दो भाग में बाटा गया है भाग-अ कौशल व्यवहार आँकलन के लिए है जिसमें 7 क्षेत्र हैं जैसे स्वयं की देखभाल कौशल, खान-पान प्रबंधन,

घरेलू क्रिया-कलाप जिम्मेदारियां, समुदाय, मनोरंजन तथा लैंगिकता, कार्य तथा क्रियात्मक साक्षरता तथा सामाजिक-सम्प्रेषण। बेसल – एम.आर. भाग-अ में कुल 120 पद हैं तथा सभी पदों को कठिनाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है।

बेसल – एम.आर. भाग-ब में 80 पद हैं जिसे 12 क्षेत्रों में बाटा गया है जैसे – दूसरों को शारीरिक क्षति पहुँचाना, सम्पत्ति का नुकसान, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार, अति चंचलता, स्वयं को नुकसान पहुँचाना, एक जैसा व्यवहार प्रदर्शित करना, अनोखा व्यवहार, असामाजिक व्यवहार, अनुचित यौन व्यवहार, विद्रोही व्यवहार, तथा गुस्सा करना।

बेसल – एम.आर. भाग-अ में विभिन्न क्षेत्रों में निष्पादन स्तर निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है।

स्तर – एक : स्वतंत्र (अंक 5) अगर बौद्धिक अक्षम व्यक्ति बिना किसी शारीरिक या मौखिक सहायता से दिए गए व्यवहार को कर लेता है तो उसे इनडीपेन्डेंट (I) अंकित किया जाता है तथा 5 अंक दिए जाते हैं।

स्तर – दो : संकेत (अंक 4) अगर दिए गए व्यवहार को बौद्धिक अक्षम व्यक्ति मौखिक संकेत से करता है तो उसे क्यूइंग C अंकित किया जाता है तथा 4 अंक दिए जाते हैं।

स्तर – तीन : मौखिक प्रोत्साहन (अंक 3) अगर दिए गए व्यवहार को व्यक्ति किसी प्रकार के मौखिक वक्तव्य के प्रोत्साहन से करता है तो उसे VP अंकित किया जाता है तथा 3 अंक दिए जाते हैं।

स्तर – चार : शारीरिक प्रोत्साहन (अंक 2) अगर दिए गए व्यवहारों को बच्चा किसी प्रकार के शारीरिक प्रोत्साहन देने के बाद करता है तो उसे P.P. अंकित किया जाता है तथा 2 अंक दिए जाते हैं।

स्तर – पाँच : पूर्ण रूप से निर्भर (अंक -1)

स्तर – छह : लागू नहीं (अंक 0)

बेसल – एम.आर.0 भाग-ब का प्रारूप

बेसल – एम.आर. भाग-ब के प्राप्तांकों का योग करने के निम्नलिखित मापदंड उपयुक्त होते हैं –

1. अगर दिया गया समस्या व्यवहार व्यक्ति में घटित नहीं होता है तो N दर्ज करें तथा 0 अंक दें
2. अगर दिया गया समस्या व्यवहार व्यक्ति में कभी-कभी घटित होता है तो O अंकित करें तथा 1 अंक दें
3. अगर दिया गया समस्या व्यवहार व्यक्ति में जल्दी-जल्दी घटित होता है तो F अंकित करें तथा 2 अंक दें।

11.8 सन्दर्भ

- आर्य, एस. (1990). वोक्शनल एसेसमेंट इन एन.आइ.एम.एच. (1990). वोक्शनल ट्रेनिंग एन्ड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विथ मेंटल रिटार्डेशन. सिकन्दराबाद : एन.आइ.एम.एच.
- कॉर्नेलियस, जे.के., रक्मणी, एस. (1998), एसेसमेंट ऑफ वोक्शनल रेडीनेस. चेन्नई : नवज्योति ट्रस्ट
- डिपार्टमेंट ऑफ वोक्शनल ट्रेनिंग. (1991). एन.आइ.एम.एच. वोक्शनल प्रोफाइल एन्ड प्लेसमेंट चेकलिस्ट सिकन्दराबाद : एन.आइ.एम.एच.
- डिपार्टमेंट आफ वोक्शनल ट्रेनिंग. वर्कशाप ऑवर्जवेशन स्केल. अहमदाबाद : वी.एम. इन्स्टीट्यूट
- पेशावारिया, आर., इटॉल. (2000) . बिहेवियरल एसेसमेंट स्केल ऑफ एडल्ट लिविंग विद् मेंटल रिटार्डेशन. सिकन्दराबाद : एन.आइ.एम.एच.
- थ्रैसिया कुट्टी, ए.टी. (1998). एन.आइ.एम.एच. वोक्शनल एसेसमेंट एन्ड प्रोग्रामिंग सिस्टम फार पर्सन विद् मेंटल रिटार्डेशन. सिकन्दराबाद : एन. आइ.एम.एच.

11.9 अभ्यास प्रश्न

1. बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक ऑकलन के महत्व को लिखें
2. व्यावसायिक ऑकलन के सिद्धान्तों को लिखें
3. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे –
 - (अ) बेसिल – एम.आर.
 - (ब) वी.ए.पी.एस.
 - (स) असेसमेंट ऑफ वोक्शनल रेडिनेस स्केल

इकाई-12 व्यावसायिक कौशल विकास के प्रावधान एवं योजनाएँ

संरचना

- 12.1 परिचय
- 12.2 उद्देश्य
- 12.3 दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना
- 12.4 सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की योजनाएँ
 - 12.4.1 राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाएँ
 - 12.4.2 दीन दयाल उपाध्याय दिव्यांग पुनर्वास योजना
 - 12.4.3 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना
 - 12.4.4 दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन की योजनाएँ
 - 12.4.5 राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 12.5. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अन्तर्गत योजनाएँ
- 12.6 अन्य मंत्रालय से सम्बन्धित योजनाएँ
 - 12.6.1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय से समर्पित योजनाएँ
 - 12.6.2 श्रम व रोजगार मंत्रालय से समर्पित योजनाएँ
- 12.7. सारांश
- 12.8 शब्दावली
- 12.9 बोध प्रश्नों के आदर्श उत्तर
- 12.10 सन्दर्भ
- 12.11 अभ्यास प्रश्न

12.1 परिचय

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को उचित शिक्षा एवं व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाया जा सकता है। विगत कुछ वर्षों में निःशक्त जन अधिनियम (1995), राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (1999) तथा अन्य राष्ट्रीय स्तर की योजनाएँ जैसे – सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान संचालित होने से जन जागरूकता आयी है। उनके लिए बेहतर सेवा मॉडल विकसित हुए हैं।

सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय बौद्धिक अक्षम तथा अन्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना 2015 तैयार किया है।

व्यावसायिक कौशल विकास हेतु सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम व रोजगार मंत्रालय भी अपनी कई योजनाएँ संचालित कर रही है।

12.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान सकेंगे

- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में
- सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समर्पित व्यावसायिक कौशल विकास हेतु योजनाओं के बारे में
- राष्ट्रीय न्याय अधिनियम द्वारा समर्पित योजनाएँ को
- अन्य संबंधित मंत्रालयों से समर्पित योजनाओं को

12.3 दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार अवसरों में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार किया है। इससे दिव्यांग व्यक्तियों तथा उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, कुशल श्रम शक्ति की कमी को पूरा करने में सहायता प्राप्त होगी तथा कल्याणकारी आत्मनिर्भरता से संबंधित आर्थिक दबाव भी कम होगा।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की सहायता से दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में एक परियोजना मॉनीटरिंग यूनिट स्थापित की जायेगी। परियोजना के यूनिटों में निम्नलिखित घटक होंगे।

- प्रशिक्षण आवश्यकता आँकलन यूनिट
- विषय वस्तु सृजन यूनिट
- प्रशिक्षण मॉनीटरिंग और प्रमाणन यूनिट
- नियोजक को जोड़ने वाली यूनिट
- आई टी यूनिट ई – लर्निंग मॉड्यूलों के सृजन, प्रशिक्षण की मॉनीटरिंग, प्रशिक्षण केन्द्रों के ई-सर्टिफिकेशन जाँच पोर्टल के सृजन और अनुरक्षण हेतु सहायता प्रदान करेगी।

व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण के लिए गैर-सरकारी संगठन तथा व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इन संस्थानों को दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग/राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्य निष्पादन आधारित सहायता प्रदान की जायेगी।

कौशल विकास मंत्रालय और निजी क्षेत्र के सहयोग से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग से एक समस्त क्षेत्रफल कौशल परिषद की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। कौशल परिषद तथा राष्ट्रीय स्तर के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संस्थानों के परामर्श से भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए एक समान कोर्स पाठ्यक्रम और प्रमाणन तंत्र के सृजन में सहायता करेगी।

ऐसे प्रत्येक प्रशिक्षण समूह हेतु अनेक निजी क्षेत्र के संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की व्यवस्था की जाएगी जो उन्हें कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नितियाँ, प्रशिक्षण सहायता और गैर-नियोजक जुड़ाव मुहैया कराएंगी।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, रोजगार से जोड़ने और सी.एस.आर. सहायता प्राप्त करने हेतु इन प्रशिक्षण प्रदाताओं को विभिन्न निजी संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के साथ जोड़ते हुए सहायता करेगी। राज्य सरकारें इन व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के समूहों को आधारभूत सुविधाएं और संसाधन सहायता प्रदान करके सकारात्मक सहायता प्रदान करेगी।

दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का अगले 3 वर्षों में 5 लाख दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास का लक्ष्य है। वर्ष 2020 तक राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत 2.5 मिलियन दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का दीर्घ कालीन लक्ष्य तैयार किया गया है।

प्रशिक्षण प्रदाताओं का प्रशिक्षकों के लगभग 100 वर्ष समूहों का एक नेटवर्क होगा। एक प्रकार से प्रत्येक समूह के लिए प्रथम वर्ष के दौरान लगभग 1000 दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा जाएगा। प्रशिक्षण प्रदाताओं और उनकी संस्था में प्रत्येक वर्ष वृद्धि की जाएगी।

प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी और प्रत्येक कौशल प्रशिक्षण कोर्स की परिकल्पना के साथ प्रथम वर्ष के लिए अपेक्षित ऑकलित धन लगभग 150 करोड़ रु० रखा गया है जिससे 50 करोड़ रुपये की निधि कौशल विकास मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई जायेगी।

12.4 सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की योजनाएँ

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांग कल्याण एवं पुनर्वास के लिए नोडल मंत्रालय है। यह मंत्रालय वस्तुतः सहभागी नीति के अंतर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेशों तथा अन्य उपयुक्त अभिकरणों के साथ मिलकर विभिन्न प्रावधानों के सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है।

12.4.1 राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाएँ

राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम, दिव्यांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा एवं रोजगार हेतु रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। निगम द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता हेतु कौशल प्रशिक्षण अनुदान प्रदान करती है। इनकी मुख्य योजनाएँ हैं –

(क) एजेंसी और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाएँ

उद्देश्य :- दिव्यांग व्यक्ति को प्रशिक्षण मुहैया कराना जिससे वे पारम्परिक व तकनीकी व्यवसायों व उद्यमिता के क्षेत्र में उचित प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम व स्वावलम्बी बन सकें।

- ❖ निगम दिव्यांग व्यक्तियों को ऐसे कई क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है जैसे सेवा/ट्रेडिंग क्षेत्र में छोटा व्यवसाय स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपये तक का ऋण और सेवा क्षेत्र क्रियाकलाप के लिए 5 लाख रु० तक का ऋण। वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के लिए वाहन की खरीद हेतु 10 लाख रु० तक का ऋण। छोटी औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु 25 लाख रु० तक का ऋण।

(ख) कौशल एवं उद्यमीय विकास हेतु वित्तीय सहायता

उद्देश्य :-

- ❖ दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण मुहैया कराना जिससे वे पारम्परिक एवं तकनीकी व्यवसायों एवं उद्यमिता के क्षेत्र में उचित तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम व स्वावलम्बी बन सकें।
- ❖ लाभार्थी को एन.एच.एफ.डी.सी. के साथ प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्तें पूर्ण करनी होती हैं। प्रशिक्षण की अवधि 12 माह तक है। प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह 2000 रु० का वजीफा भी प्रदान किया जाता है।

(ग) बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए कार्यरत अभिभावक संघ हेतु योजना

उद्देश्य :-

- ❖ बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के हितार्थ आय उत्पादक गतिविधि प्रदान करने के लिए इन बच्चों के अभिभावक संघों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- ❖ 5 लाख रु० तक की वित्तीय सहायता अभिभावक संघ को प्रदान किया जाता है। इसके लिए अभिभावक संघ एन.एच.एफ.डी.सी. को आवेदन सीधे भेज सकता है। ऋण, ब्याज की दर, चुकौती अवधि आदि एस.सी.ए. (स्टेट चैनालाइजिंग एजेंसी) के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं के लिए तय किया जाता है।

इस योजना के लिए ऐसे संघ पात्र होंगे जो तीन वर्षों से पंजीकृत हों जिसमें न्यूनतम 5 माता – पिता की सदस्यता हो तथा संघ किसी भी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, निजी उपक्रम के किसी अन्य वित्तीय संस्थान, बैंकों आदि का वित्तीय बकायेदार नहीं हो।

(घ) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक/शैक्षिक/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु ऋण

उद्देश्य :-

- ❖ दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार के लिए व्यावसायिक शैक्षिक/प्रशिक्षण पाने हेतु ऋणसावधि ऋण उन दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जो 40% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रसित हो।
- ❖ रोजगार की संभावनाओं वाले सभी पाठ्यक्रम ऋण हेतु पात्र होंगे। ऋण की राशि माता – पिता/विद्यार्थी की भुगतान क्षमता की शर्त पर भारत में अध्ययन हेतु अधिकतम 10 लाख विदेश में अध्ययन हेतु अधिकतम 20 लाख तक प्रदान किया जाता है। ब्याज दर 4% प्रति वर्ष तय है तथा महिलाओं के लिए 0.5 की छूट दी जाती है।

(ड) दिव्यांग व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु ऋण योजना

उद्देश्य :-

- ❖ ऐसे पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा/प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना जो व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम या राज्य दक्षता मिशन से समर्पित) हो।
- ❖ इस योजना के पात्रता हेतु दिव्यांग व्यक्ति की आयु आवेदन की तारीख को 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित आवश्यक न्यूनतम अर्हता रखता हो। ऋण राशि आवश्यकता आधारित 2 लाख ₹0 तक होगी जैसे – ट्यूशन फीस, किताबों/उपकरणों की खरीद या आवश्यकतानुसार ऐसे उपकरणों पर व्यय जो किसी कोर्स को पूरा करने के लिए जरूरी हो।

12.4.2 दीन दयाल उपाध्याय दिव्यांग पुनर्वास योजना

यह एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंतर्गत दिव्यांग पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के लिए अनेक प्रकार की परियोजनाएँ क्रियान्वित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संस्थानों को दिव्यांग बच्चों के शिक्षण/प्रशिक्षण तथा अन्य सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल उन्नयन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र परियोजनाओं को वित्तीय सहायता (परियोजना लागत के 90% तक) प्रदान की जाती है। यह परियोजना 15 से 35 वर्ष के उम्र के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को इस परियोजना हेतु निम्नलिखित ट्रेड में प्रशिक्षण हेतु अनुदान दिया गया है— लिफाफा बनाना, मोमबत्ती बनाना, फाइल कवर बनाना, साबुन/टिर्जेंट तैयारी करना इत्यादि।

सुरक्षित कार्यशाला योजना भी दीन दयाल उपाध्याय पुनर्वास योजना में सम्मिलित है।

12.4.3 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

दिव्यांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दसवीं के आगे की शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए यह छात्रवृत्ति दी जाती है। सेरेब्रल पाल्सी, आटिज्म, बहु दिव्यांग तथा बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को यह छात्रवृत्ति कक्षा 9 के बाद से दिया जाता है।

12.4.4 दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारिता) अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन की योजना (स्कीम फार इम्प्लीमेंटेशन आफ पर्शन विथ डिसेबिलिटी एक्ट)

योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकारों द्वारा चलाए जा रहे संस्थाओं/संगठनों को दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न कार्यकलापों हेतु मुख्यतः विश्वविद्यालयों सार्वजनिक भवनों, राज्य सरकार सचिवालय, दिव्यांग व्यक्ति हेतु राज्य आयुक्त के कार्यालय आदि को बाधामुक्त माहौल प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह वित्तीय सहायता जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र, समेकित पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना हेतु भी प्रदान की जाती है।

12.4.5 राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले सात राष्ट्रीय संस्थान, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समुचित ट्रेड्स में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग संस्थान सिकन्दराबाद ने बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए विभिन्न ट्रेड्स जैसे जेराक्स करना, कम्प्यूटर टाईपिंग, आर्ट-क्राफ्ट, राखी तैयार करना, ज्वेलरी तथा साफ्ट टॉय निर्माण, प्रिंटिंग कार्य, इत्यादि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं।

12.5 राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत योजनाएँ

राष्ट्रीय न्यास बौद्धिक अक्षम, बहुदिव्यांगता, सेरेब्रल पाल्सी तथा आटिज्म से ग्रसित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार्य करती है। हालांकि इन चारों दिव्यांगताओं से उत्पन्न जरूरतें दीर्घकालिक होती हैं अतः राष्ट्रीय न्यास इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कई योजनाएँ संचालित कर रही हैं जैसे— सामर्थ आवासीय योजना, निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना, घरौदा योजना, सहयोगी योजना इत्यादि। राष्ट्रीय न्यास व्यावसायिक कौशल विकास हेतु उपरोक्त चार प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों हेतु ज्ञान प्रभा योजना तथा प्रेरणा योजना भी संचालित कर रही है।

ज्ञान प्रभा योजना : यह योजना उपरोक्त में से ग्रसित दिव्यांग व्यक्तियों को शैक्षिक/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पूरा करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करती है। यह छात्रवृत्ति तीन तरह के पाठ्यक्रम जैसे पेशेवर, स्नातक तथा परास्नातक एवं व्यावसायिक के लिए है। छात्रवृत्ति के अंतर्गत पाठ्यक्रम में नामांकन शुल्क, कालेज आने/जाने हेतु भत्ता, पाठ्य-पुस्तकें खरीदने हेतु खर्च सम्मिलित है।

प्रेरणा योजना : यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए मार्केटिंग के हितों की देख-भाल करती है। इस योजना में दिव्यांग व्यक्तियों को उनके द्वारा निर्मित उत्पादों के बिक्री हेतु मेला, प्रदर्शनी जैसे घटक में प्रतिभाग

करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है साथ ही राष्ट्रीय न्यास से पंजीकृत संस्थाओं को वार्षिक आधार पर निर्मित उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।

12.6 अन्य संबंधित मंत्रालय से समर्पित योजनाएँ

12.6.1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय समर्पित योजनाएँ

सारे देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा की माँग की पूर्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में दिव्यांग बच्चों की अर्थपूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु समावेशित शिक्षा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत कई शिक्षा विकल्प, शिक्षण साधन और उपकरण, आवागमन सहायता, अन्य सहायक सेवायें इत्यादि को उपलब्ध करा रही है।

उसी भांति मंत्रालय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत आई.इ.डी.एस.एस. योजना संचालित कर दिव्यांग बच्चों को माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर भी शिक्षा सुलभ करा रही है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम (Vocational Education Programme) उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध करा रही है। दिव्यांग बच्चों को भी इन व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा रहा है ये पाठ्यक्रम कृषि, बिजनेस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग व टेक्नोलोजी क्षेत्र पर आधारित होते हैं।

12.6.2 श्रम व रोजगार मंत्रालय से समर्थित योजनाएँ

श्रम व रोजगार मंत्रालय देश के विभिन्न भागों में 20 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना कर संचालित कर रही है।

इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी योग्यता, अभिरूचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास सहायता प्रदान करता है।

मंत्रालय दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 43 स्पेशल इम्पाइमेंट एक्सचेंज संचालित कर रही है जो दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार प्राप्ति में मदद करती है।

12.7 सारांश

सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांग व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण व रोजगार अवसरों में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार किया है। इसके लिए मंत्रालय में परियोजना मॉनीटरिंग यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है। परियोजना मॉनीटरिंग यूनिट में निम्नलिखित घटक होंगे –

- प्रशिक्षण आवश्यकता आँकलन यूनिट
- विषय वस्तु सृजन यूनिट
- प्रशिक्षण मॉनीटरिंग और प्रमाणन यूनिट
- नियोजन को जोड़ने वाली यूनिट
- आई.डी. यूनिट

कौशल प्रशिक्षण के लिए गैर सरकारी संगठन तथा व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा।

कौशल विकास मंत्रालय और निजी क्षेत्र के सहयोग से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समस्त क्षेत्रक कौशल परिषद की स्थापना की जाएगी।

कौशल परिषद तथा राष्ट्रीय स्तर के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संस्थानों के परामर्श से भारतीय पुनर्वास परिषद, प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए एक समान कोर्स पाठ्यक्रम और प्रमाणन तंत्र के सृजन में सहायता करेगा।

- सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय व्यावसायिक कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा कई योजनाएँ संचालित कर रही है। उसमें से प्रमुख है— कौशल एवं उद्यमीय विकास हेतु वित्तीय सहायता योजना, बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए कार्यरत अभिभावक संध हेतु योजना व्यावसायिक/शैक्षिक पाठ्यक्रम हेतु ऋण इत्यादि। उसी भाँति मंत्रालय दीन दयालय उपाध्याय दिव्यांग पुनर्वास योजना भी संचालित कर रही है जिसके अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल उन्नयन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मंत्रालय दिव्यांग व्यक्तियों को दसवीं के आगे की शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना संचालित कर रही है। सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक अक्षम बहुदिव्यांग तथा आटिज्म से ग्रसित व्यक्तियों के लिए यह छात्रवृत्ति कक्षा 9 के बाद से ही दिया जाता है।

मंत्रालय स्कीम फार इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परसन विथ डिसेबिलिटी एक्ट (सिपडा) संचालित कर सार्वजनिक भवन, विश्वविद्यालय, कार्यालय आदि को बाधा मुक्त बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

- राष्ट्रीय न्याय अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक अक्षम, बहुदिव्यांगता, सेरेब्रल पाल्सी तथा आटिज्म से ग्रसित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक विकास हेतु ज्ञान प्रभा प्रेरणा संचालित कर रही है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा श्रम व रोजगार मंत्रालय भी व्यावसायिक विकास हेतु योजनाएँ संचालित कर रही हैं।

12.8 शब्दावली

- राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम— यह सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित एक इकाई जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु वित्त पोषित करना, उनके व्यावसायिक कौशल में सुधार करना है।
- व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र— यह श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा स्थापित इकाई है जो दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी योग्यता, अभिरुचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास सहायता प्रदान करती है। देश में 20 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र विभिन्न राज्यों में स्थापित हैं।

- स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन विध डिसेबिलिटी एक्ट (सिपडा) – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पर्सन विध डिसेबिलिटी एक्ट के कार्यान्वयन की योजनाओं को लागू करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों जैसे सार्वजनिक भवनों को बाधा मुक्त माहौल प्रदान करने में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

12.9 बोध प्रश्नों के आदर्श उत्तर

प्रश्न – राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अन्तर्गत व्यावसायिक पुनर्वास हेतु संचालित योजनाओं को लिखें।

उत्तर – राष्ट्रीय न्यास, व्यावसायिक कौशल विकास हेतु बौद्धिक अक्षम, आटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी तथा बहु दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ज्ञानप्रभा तथा प्रेरणा योजना संचालित कर रही है। ज्ञानप्रभा योजना में शैक्षिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पूरा करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वहीं प्रेरणा योजना में दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा निर्मित उत्पादों के बिक्री को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न – स्कूलों में मिलने वाली व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम क्या है ?

उत्तर – मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु यह कार्यक्रम संचालित कर रही है। इस योजना में कृषि, बिजनेस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

12.10 सन्दर्भ

1. गोविन्द राव.एल (2007) पर्सपेक्टिव आन स्पेशल एजुकेशन (खंड 1 व 2) हैदराबाद : नील कमल प्रकाशन
2. कुट्टी.ए.टी. (2006) डी.वी.टी.इ. (एम.आर.) मैनुअल ऑफ आर.सी.आई. प्रिंसिपल आफ वोकेशनल ट्रेनिंग नई दिल्ली : कनिष्का पब्लिकेशन।
3. एच.टी.टी.पी. : ।। सोशल जस्टिस. निक.इन. 24.6.2016

12.11 अभ्यास प्रश्न

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की दिव्यांग व्यक्तियों हेतु व्यावसायिक कौशल विकास हेतु विभिन्न योजनाओं को विस्तार से लिखें।
2. दिव्यांग व्यक्तियों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण व रोजगार अवसर में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की चर्चा करें।
3. राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित व्यावसायिक कौशल विकास की योजनाओं के बारे में लिखें।



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed.SE.-91

बौद्धिक अक्षमता की पहचान एवं आँकलन

खण्ड—पाँच

परिवारिक आवश्यकताओं का आँकलन

इकाई—13	05 — 14
पारिवारिक तथा माता—पिता की जरूरतों का आँकलन	
इकाई—14	15 — 23
वकालत का संचालन करने हेतु आँकलन तथा कौशल विकास कार्यक्रम	
इकाई—15	24 — 32
परिवार तथा सामुदायिक संसाधनों का आँकलन	

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

उत्तर प्रदेश प्रयागराज

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो० के० एन० सिंह

कुलपति, उ०प्र० राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

विशेषज्ञ समिति

प्रो० पी० के० पाण्डेय

प्रभारी निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रो० के० एस० मिश्रा

आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रो० पी० के० साहू

आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रो० कल्पलता पाण्डेय

आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी

डॉ० जी० के० द्विवेदी

सहायक-आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

डॉ० दिनेश सिंह

सहायक-आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

लेखक

डॉ. अरविंद शर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर, डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9)

डॉ. संजय कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 10,11,12,13,14,15)

सम्पादक

डॉ. कमलेश तिवारी

मनोविज्ञानशाला, प्रयागराज

परिभाषक

प्रो० पी० एस० राम

शिक्षा शास्त्र विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

समन्वयक

डॉ. नीता मिश्रा

परामर्शदाता (विशेष शिक्षा), शिक्षा विद्याशाखा, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज.

प्रकाशक

© उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज 2020

ISBN-

सर्वाधिकार सुरक्षित, इस पाठ्यसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, की लिखित अनुमति लिए बिना मिनियोग्राफ (वक्रमुद्रण) अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

नोट : पाठ्य सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आमदों आदि के प्रति विश्वविद्यालय, उत्तरदायी नहीं है।

प्रकाशन — उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज

खण्ड—5 पारिवारिक आवश्यकताओं का आँकलन

प्रस्तावना —

इस खण्ड में तीन इकाइयाँ हैं।

इकाई —13 में पारिवारिक तथा माता—पिता की जरूरतों का आँकलन विषय में बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के परिवार की जरूरतों के आँकलन का महत्व, तथा उन जरूरतों के आँकलन हेतु विभिन्न टेस्ट व टूल से अवगत हो सकेंगे।

इकाई—14 में स्वकालत, बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों हेतु स्वकालत की आवश्यकता, स्वकालत आंदोलन का इतिहास, स्वकालत से सम्बन्धित कौशलों का आँकलन व प्रशिक्षण विषय में विस्तार से चर्चा की गयी है।

इकाई —15 में बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के परिवार व सामुदायिक संसाधनों के बारे में जान सकेंगे, समायोजन कौशल को बढ़ावा देने तथा बाधित करने वाले तत्वों को समक्ष सकेंगे एवम् पारिवारिक व सामुदायिक संसाधनों के आँकलन हेतु विभिन्न टूल व टेस्ट से अवगत हो सकेंगे।

इन तीनों इकाइयों के पूरा होने पर आप पायेंगे कि बौद्धिक अक्षम व्यक्ति की पारिवारिक आवश्यकताओं के आँकलन हेतु उनके द्वारा व्यक्त की गयी जरूरतें, स्वकालत कौशल की आवश्यकताओं, उनके परिवार व सामुदायिक संसाधन के बारे में विस्तार से अध्ययन आवश्यक है।

इकाई—13 पारिवारिक तथा माता—पिता की जरूरतों का आँकलन

संरचना

- 13.1 परिचय
- 13.2 उद्देश्य
- 13.3 माता—पिता तथा पारिवारिक सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए जरूरतों के आँकलन का महत्व
- 13.4 बौद्धिक अक्षम बच्चों के माता—पिता तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों की जरूरतें
 - 13.4.1 बौद्धिक अक्षम बच्चों के माता—पिता द्वारा व्यक्त की गयी जरूरतें
 - 13.4.2 बौद्धिक अक्षम बच्चों के भाई—बहनों के द्वारा व्यक्त की गयी जरूरतें
 - 13.4.3 बौद्धिक अक्षम बच्चों के दादा—दादी के द्वारा व्यक्त की गयी जरूरतें
- 13.5 पारिवारिक/माता—पिता के जरूरतों का आंकलन हेतु टेस्ट व टूल
 - 13.5.1 एनआईएमएच फैमिली नीड शीड्यूल
 - 13.5.2 फैमिली नीड सर्वे स्केल
 - 13.5.3 पैरेन्ट नीड इन्वेन्टरी
 - 13.5.4 प्राइटीटाइजिंग फैमिली नीड स्केल
- 13.6. सारांश
- 13.7 शब्दावली
- 13.8 बोध प्रश्नों के आदर्श उत्तर
- 13.9 सन्दर्भ
- 13.10 अभ्यास प्रश्न

13.1 परिचय

चाहे किसी भी प्रकार, रचना या स्वरूप का परिवार हो, परिवार के सभी सदस्य महत्वपूर्ण होते हैं। अभिभावक जिनके पास बौद्धिक अक्षम बच्चा है उसकी देख-भाल, प्रशिक्षण में उसके माता—पिता, भाई—बहन, दादा—दादी की भूमिका अहम होती है।

परिवार में बेहतर सेवा मॉडल विकसित करने के लिए आवश्यक है परिवार के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए पुनर्वास संबंधी जरूरतों का आँकलन हो।

परिवार के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई जरूरतें एक दूसरे व्यक्ति, परिवार से भिन्न होती हैं। उनमें से कुछ को के की समस्या व्यवहार प्रबंधन करने संबंधी सूचनाओं की जरूरत है, तो कुछ को भविष्य की योजना तैयार करने के संदर्भ में सूचनाओं की।

यह पाया गया है जिस परिवार में पुनर्वास संबंधी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती वहाँ इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे-परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य प्रभावित होना, बौद्धिक अक्षम बच्चों का हस्तक्षेप कार्यक्रम प्रभावित होना इत्यादि।

13.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप

- बौद्धिक अक्षम बच्चों के माता-पिता तथा अन्य परिवार के सदस्यों की जरूरतों का आँकलन करने के महत्व को जान सकेंगे।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों के माता-पिता, भाई-बहन एवं दादा-दादी द्वारा व्यक्त किए गए जरूरतों को जान सकेंगे।
- उन जरूरतों के आँकलन हेतु विभिन्न टेस्ट एवं टूल के बारे में अवगत हो सकेंगे।

13.3 माता-पिता तथा पारिवारिक सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए जरूरतों के आँकलन का महत्व

- वह पारिवारिक जरूरतें जो कभी पूरी नहीं होती हैं, परिवार में नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। डैण्ड व लीट 1987 के अनुसार नहीं पूरा होने वाली जरूरतें जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक भावनात्मक व शारीरिक समस्याएँ माता-पिता व परिवार के सदस्यों में हो सकती हैं।
- यह भी पाया गया है कि बच्चे में शिक्षण-प्रशिक्षण, उपचार संबंधी जरूरतें समय से पूरा नहीं होने से माता-पिता का बच्चे के साथ उपचार / शिक्षण में सक्रियता कम होने लगती है। उनके पास समय, क्षमता, ताकत इत्यादि का अभाव होने लगता है।
- समय से जरूरतों की पूर्ति होने से बौद्धिक अक्षम बच्चों में शैक्षिक तथा अन्य क्रिया-कलापों में बेहतर परिणाम देखे जा सकते हैं।

13.4 बौद्धिक अक्षम बच्चों के माता-पिता तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों की जरूरतें

13.4.1 बौद्धिक अक्षम बच्चों के माता-पिता द्वारा व्यक्त की गई जरूरतें

बौद्धिक अक्षम बच्चे माता-पिता के लिए अतिरिक्त जरूरतें पैदा करते हैं। इन जरूरतों को पूरा करना आवश्यक है। बेली (1987) के अनुसार परिवार हस्तक्षेप के पहले चरण में ही जरूरतों का आँकलन हो जाने से परिवार में संकट को सुलझाना आसान हो जाता है।

हैं—
बौद्धिक अक्षम बच्चों के माता-पिता द्वारा व्यक्त की गई कुछ जरूरतें निम्न

1. सरकार द्वारा बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों तथा उनके परिवार को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी।
2. विभिन्न दिव्यांगता से संदर्भित कानून/विधान की जानकारी।
3. अपने बच्चे का व्यावसायिक योजना तैयार करने के संदर्भ में उपयुक्त व्यवसाय के चुनाव में सहयोग।
4. बच्चे की वर्तमान दिव्यांगता की स्थिति के बारे में जानकारी।
5. बच्चे के ऑकलन रिपोर्ट से संबंधित सूचनाओं को जानना।
6. बच्चे के लिए भविष्य की योजनाओं को तैयार करने के संदर्भ में सूचनाएँ।
7. बच्चे को क्या प्रशिक्षण देना है? ये प्रशिक्षण कहाँ उपलब्ध हैं ? प्रशिक्षण से संबंधित ट्रेनिंग मैटेरियल कहाँ से उपलब्ध होगी? जैसी सूचनाओं की जानकारी।
8. बच्चे की लैंगिकता से संबंधित मुद्दे की जानकारी।
9. बच्चे की समस्या व्यवहार प्रबंधन, कौशल व्यवहार संबंधी सूचनाओं की जानकारी।
10. अभिभावक अपनी खुशी, ग़म इत्यादि को बांटने के लिए दोस्त/साथी बनाने की आवश्यकता संबंधी जानकारी।

ये व्यक्ति की गई जरूरतें बच्चे के उम्र, लिंग, दिव्यांगता की स्थिति के अनुरूप बदलती रहती हैं।

पेशावरिया तथा अन्य (1995) के अनुसार माता-पिता जिनके बौद्धिक अक्षम बच्चें 6 वर्ष या उससे कम उम्र के हैं, उनके द्वारा व्यक्त की गई जरूरतें मुख्यतः “दिव्यांगता की स्थिति से संबंधित सूचनाएं”, “बच्चे का पालन-पोषण”, “बच्चे का सहयोग”, “बच्चे का विकास”, “पारिवारिक भागीदारिता” के क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप से अधिक पाया गया।

जबकि माता-पिता जिनका बौद्धिक अक्षम बच्चा 7 से 12 वर्ष का है उनके द्वारा व्यक्त किए हुई जरूरतें “बच्चे का पालन”, “शिक्षकों द्वारा बच्चे का प्रशिक्षण”, “बच्चे की स्थिति को समझने”, “बाल विकास”, “घर पर प्रशिक्षण” तथा “व्यावसायिक पुनर्वास” क्षेत्रों में अधिक पाया गया।

उसी भांति 13 से 18 वर्ष उम्र के बौद्धिक अक्षम बच्चों के माता-पिता द्वारा व्यक्त की हुई जरूरतें मुख्यतः “दिव्यांगता की स्थिति”, “पोषण”, “बच्चे का पालन”, “उसका प्रशिक्षण”, “बच्चे की स्थिति को समझना” उल्लेखनीय रूप से अधिक पाया गया।

सहाय तथा अन्य (2013) ने शीघ्र उपचार सेवाएं प्राप्त कर रहे बौद्धिक अक्षम बच्चों के माता-पिता द्वारा व्यक्त किए गए जरूरतों का अध्ययन किया तथा पाया कि उनकी जरूरतें सबसे अधिक “सूचनाएं प्राप्त करना”, “आर्थिक आवश्यकताओं” के क्षेत्रों में थी। सूचना प्राप्त करने के क्षेत्र में जरूरतें जैसे बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चे की वर्तमान स्थिति, बच्चे का भविष्य, बच्चे से खेलने-बातचीत करने का तरीका, बच्चे का व्यवहार प्रबंधन उल्लेखनीय रूप से

अधिक था उसी भाँति आर्थिक आवश्यकताओं के क्षेत्र में बच्चे पर चिकित्सा, शिक्षा, उपकरण, परामर्श इत्यादि में हुए खर्च में आर्थिक सहयोग की जरूरतें उल्लेखनीय रूप से प्रमुख थीं।

13.4.2 बौद्धिक अक्षम बच्चों के भाई-बहनों द्वारा व्यक्त की गई जरूरतें

यह सार्वजनिक मान्यता है कि माता-पिता तथा उसके भाई-बहन बौद्धिक अक्षम बच्चों के देखभाल के मुख्य स्रोत होते हैं भाई-बहनों का रिश्ता ही पारिवारिक संबंधों में सबसे लंबी अवधि का तथा स्थायी होता है। परिवार में अपने बौद्धिक अक्षम भाई-बहनों की देखभाल, शिक्षण-प्रशिक्षण में वे महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। बौद्धिक अक्षम बच्चों के भाई-बहनों द्वारा व्यक्त किए गए जरूरतों का रेंज विस्तृत है जैसे—

- अपने बौद्धिक अक्षम भाई-बहन की हालत संबंधी जानकारी।
- अपने बौद्धिक अक्षम भाई-बहनों को प्रशिक्षित करने के बारे में जानकारी।
- जब माता-पिता दुखी हों तब उन्हें प्रेरित करने संबंधी जानकारी।
- भविष्य की योजनाएँ संबंधित जानकारी।
- बौद्धिक अक्षम भाई-बहन क्या-क्या करने में सक्षम हो जायेंगे ? या किस काम में उसे अवरोध होगा, से संबंधित जानकारी।
- बौद्धिक अक्षमता के बारे में दूसरों को बताने हेतु सूचनाओं की जानकारी।
- अपने लिए समय कैसे निकाले इस संदर्भ में जानकारी।

पेशावरिया तथा अन्य (1995) के अनुसार बहन, अपने भाईयों के तुलना में बौद्धिक अक्षम भाई-बहनों के प्रति व्यक्त की गई जरूरतें निम्न क्षेत्रों में ज्यादा रखती हैं। जैसे —

- बौद्धिक अक्षम भाई-बहन से अपेक्षित उपलब्धि
- स्थिति/हालत को समझना
- भविष्य की योजनाएँ में मदद
- प्रशिक्षण, चिकित्सा हेतु व्यवसाय
- प्रशिक्षण योजनाओं संबंधी जानकारी
- परिवार की समस्याओं में मध्यस्थता
- सामान्य उम्मीद

जबकि भाई का अपने बौद्धिक अक्षम भाई-बहनों के प्रति व्यक्त की गई जरूरतों का क्षेत्र है—

- स्थिति संबंधी जानकारी
- छात्रावास में स्थानांतरण
- माता-पिता को प्रेरित करने संबंधी जानकारी
- सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता संबंधी जानकारी

13.4.3 बौद्धिक अक्षम बच्चों के दादा-दादी के द्वारा व्यक्त किए गए जरूरतें

दादा-दादी प्रायः सभी परिवारों के लिए नैसर्गिक सेवा प्रदाता होते हैं तथा वे महत्वपूर्ण भी होते हैं।

दादा-दादी द्वारा व्यक्त की गई जरूरतें हैं –

1. बौद्धिक अक्षमता के उपचार तथा चिकित्सा के लिए जानकारी।
2. बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए अपनी भूमिका को लेकर जानकारी।
3. उन बच्चों के लिए सरकारी लाभ संबंधी जानकारी।
4. बच्चों के भविष्य की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जानकारी।
5. बच्चों के समस्या व्यवहार, कौशल व्यवहार प्रबंधन संबंधित जानकारी।
6. बौद्धिक अक्षम बच्चों के बातचीत करने की क्षमता, योग्यता से संबंधित जानकारी।
7. बौद्धिक अक्षम होने के कारणों की जानने संबंधी प्रश्न।
8. प्रशिक्षण कहाँ मिल सकता है, कौन-कौन व्यवसायी जैसे की आवश्यकता होगी, उनके उपलब्धता से संबंधित जानकारी।

पेशावरिया तथा अन्य (1995) ने बौद्धिक अक्षम बच्चों के परिवार के दादा-दादी द्वारा व्यक्त किए गए जरूरतों का पता लगाना तथा यह पाया गया कि दादी द्वारा व्यक्त किया हुआ यह जरूरत का क्षेत्र है।

उपचार	:	बौद्धिक अक्षमता
निर्देशन	:	परिवार की सहायता
देखभाल	:	भविष्य
सूचनाएं	:	बच्चे का प्रबंधन

दादा द्वारा व्यक्त किए गए जरूरत का क्षेत्र है –

सूचनाएं	:	सरकारी लाभ
प्रशिक्षण	:	सम्प्रेषण
कारण	:	बौद्धिक अक्षमता
सूक्ष्म ग्राही	:	व्यवसायी
सूचनाएं	:	परिणाम

13.5 पारिवारिक/माता-पिता के जरूरतों का आँकलन हेतु टेस्ट व टूल

13.5.1 राष्ट्रीयमानसिक दिव्यांग संस्थान पारिवारिक आवश्यकताओं की अनुसूची (एन आइ एम एच फेमिली नीड शीड्यूल)

एन आइ एम एच फेमिली नीड शीड्यूल का विकास डा0 रीता पेशावरिया, डा0 डी0के0 मेनन, श्री राहुल गांगुली सुमित राय एवं श्रीमती आशा गुप्ता ने 1995 में किया। इस अनुसूची का मुख्य उद्देश्य जिन भारतीय परिवार में बौद्धिक अक्षम व्यक्ति रह रहे हों, उनकी वर्तमान जरूरतों को पहचानना, जरूरतों को परिवार हस्तक्षेप के लिए आवश्यकता क्रम में सजाना तथा परिवार हस्तक्षेप कार्यक्रम का मूल्यांकन करना।

एन आइ एम एच पारिवारिक आवश्यकताओं की अनुसूची के तीन भाग हैं:—

- (1) एन आइ एम एच पारिवारिक आवश्यकताओं की अनुसूची (माता – पिता के लिए)
- (2) एन आइ एम एच पारिवारिक आवश्यकताओं की अनुसूची (भाई – बहनों के लिए)
- (3) एन आइ एम एच पारिवारिक आवश्यकताओं की अनुसूची (दादा – दादी के लिए)

एन0आई0एम0एच0 पारिवारिक आवश्यकताओं की अनुसूची (माता-पिता के लिए) में कुल 45 पद हैं जिन्हें 15 क्षेत्रों में बांटा गया है जैसे हालत से सम्बन्धित जानकारी, बाल प्रबन्धन, सुविधाजनक सम्प्रेषण, सेवायें, व्यावसायिक योजना तैयार करना, लैंगिकता, विवाह, हॉस्टल, व्यक्तिगत भावनाएँ, व्यक्तिगत सामाजिक, भौतिक सहायता, आर्थिक, पारिवारिक सम्बन्ध तथा भविष्य की योजनायें।

भाई-बहनों के लिए एन0आई0एम0एच0 पारिवारिक आवश्यकताओं की अनुसूची में 15 पद हैं जैसे क्या आपको अपने बौद्धिक अक्षम भाई-बहन की हालत या दिव्यांगता के बारे में जानकारी की जरूरत है, क्या आपको मदद की जरूरत है ताकि अपने माता-पिता तथा समान रूप से सभी बच्चों पर समय दे सकें।

उसी भाँति दादा-दादियों के लिए एन0आई0एम0एच0 आवश्यकताओं की अनुसूची में भी 15 पद हैं जैसे क्या आपको अपने बौद्धिक अक्षम पोता-पोती के हालत या दिव्यांगत के बारे में जानकारी की जरूरत है, क्या आपको पुनर्वास व्यावसायियों से सहयोग की मांग में मदद की जरूरत है।

एन आइ एम एच पारिवारिक आवश्यकताओं की अनुसूची के प्रयोग करने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश का पालन करना आवश्यक है।

1. साक्षात्कारकर्ता का परिवार में बौद्धिक अक्षम व्यक्ति तथा अन्य सदस्यों से परिचित होना चाहिए ताकि परिवार के सदस्य अपनी चिंता को आसानी से साझेदारी कर सकें। अतः परिवार के साथ बेहतर सम्बन्ध आवश्यक है।
2. साक्षात्कारकर्ता अनुसूची का प्रयोग से पहले उत्तरदाताओं को अवश्य सूचित करें कि वह परिवार में बौद्धिक अक्षम बच्चे के कारण उत्पन्न जरूरतों के आँकलन के लिए प्रश्न पूछेगा।
3. प्रत्येक उत्तरदाताओं से सहमति साक्षात्कार से पहले अवश्य ले लेनी चाहिए।
4. अनुसूची में रखे गए प्रश्नों को उसी क्रम से पूछे जिस क्रम में वह अनुसूची में रखा गया है।

5. प्रत्येक प्रश्न इस तरह से पूछे जाने चाहिए कि साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता के निर्णय को प्रभावित नहीं करें।
6. प्रत्येक प्रश्न का उत्तरदाता तीन तरीके से स्कोर कर सकता है।

जरूरत नहीं है	—	स्कोर 0
कुछ हद तक जरूरत है	—	स्कोर 1
बहुत अधिक जरूरत है	—	स्कोर 2
7. परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए अलग से अनुसूची का प्रयोग करें।

13.5.2 फेमिली नीड सर्वे स्केल

इसका विकास वेली व सिमआनसन ने 1988 में किया जिससे शीघ्र उपचार हेतु योजना बनाने में पारिवारिक जरूरतों की पहचान की जा सके। यह एक रेटिंग स्केल है जिसमें 35 पद हैं जिसे 7 क्षेत्रों में बांटा गया है जैसे सूचनाएँ, आर्थिक आवश्यकताएँ, समुदायिक सेवाएँ व्यावसायिक सहायता, पारिवारिक व सामाजिक सहायता, दूसरों को व्याख्या कर बताना तथा बच्चे की देखभाल। प्रत्येक पद विशिष्ट आवश्यकता के बारे में बयान के होते हैं जिसे उत्तरदाता या माता-पिता तीन तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। निश्चित रूप से मदद की जरूरत नहीं है, में स्कोर '1' दिया जाता है। निश्चित नहीं है में स्कोर 2 तथा निश्चित रूप से मदद की आवश्यकता है, में स्कोर 3 दिया जाता है।

13.5.3 पैरेन्ट नीड इन्वेन्टरी

माता-पिता की जरूरतों की इन्वेन्टरी का विकास फीवेल मेयर, शेल व वडसे ने 1981 में किया। यह एक रेटिंग स्केल है। इस इन्वेन्टरी में 75 पद हैं जिसे 3 क्षेत्रों में बांटा गया है —: शॉक, बाल विकास व स्थानीय संसाधन।

13.5.4 प्राइरीटाइजिंग फेमिली नीड स्केल (पारिवारिक आवश्यकता की प्राथमिकता मापन स्केल)

इसका विकास फिन्, बड़ासे व स्नाईडर ने (1990) में किया। यह एक रेटिंग स्केल है जिसमें 41 पद हैं। इसे पाँच क्षेत्रों में बांटा गया है जैसे— बुनियादी आवश्यकताएँ, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सामाजिक आवश्यकताएँ, व्यक्तिगत आवश्यकताएँ एवं आत्मपूर्ति की आवश्यकताएँ।

13.6 इकाई सारांश

- ❖ माता-पिता तथा पारिवारिक सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए जरूरतों का आँकलन कई कारणों से महत्पूर्ण है :
 - (क) पूरा नहीं होने वाली जरूरतें जितना अधिक होगी, उतनी अधिक भावानात्मक व शारीरिक समस्याएँ माता-पिता तथा परिवार के सदस्यों को होने की संभावना है।
 - (ख) बच्चों के शिक्षण/प्रशिक्षण, उपचार संबंधी जरूरतें समय से पूरा नहीं होने से माता-पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के शिक्षण/उपचार में सक्रियता कम हो जाती है।

(ग) समय से जरूरतें पूरा हो जाने से बौद्धिक अक्षम बच्चों में बेहतर शैक्षिक परिणाम देखे जा सकते हैं।

- ❖ बौद्धिक अक्षम बच्चों के माता-पिता के द्वारा व्यक्त किए गए जरूरतों में सरकार द्वारा बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों तथा उनके परिवार को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी, विभिन्न दिव्यांगता से संदर्भित कानून/विधान की जानकारी, बच्चे की वर्तमान दिव्यांगता की स्थिति के बारे में जानकारी बच्चे के ऑकलन रिपोर्ट से संबंधित सूचनाओं को जानना प्रमुख है।
- ❖ बौद्धिक अक्षम बच्चों के भाई-बहनों के द्वारा व्यक्त किए गए जरूरतों में अपने बौद्धिक अक्षम भाई-बहन की हालत संबंधी जानकारी, उन्हें प्रशिक्षित करने के बारे में जानकारी, भविष्य की योजनाएँ संबंधी जानकारी, बौद्धिक अक्षमता के बारे में दूसरों को कैसे बतायें, उससे संबंधित जानकारी प्रमुख हैं।
- ❖ दादा-दादी प्रायः सभी परिवारों के लिए नैसर्गिक सेवा-प्रदाता होते हैं। उनकी व्यक्त की गई प्रमुख जरूरतें हैं – बौद्धिक अक्षमता के उपचार तथा चिकित्सा के लिए जानकारी, बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए अपनी भूमिका को लेकर जानकारी तथा बौद्धिक अक्षमता होने के कारणों को जानने संबंधी प्रश्न।
- ❖ पारिवारिक तथा माता-पिता के जरूरतों के ऑकलन हेतु देश में राष्ट्रीयमानसिक दिव्यांग संस्थान पारिवारिक आवश्यकताओं की अनुसूची प्रमुख है। इसे रीता पेशावरिया तथा अन्य ने विकसित किया है। इसके तीन भाग हैं पहले भाग में माता-पिता, दूसरे भाग भाई-बहनों तथा तीसरा भाग दादा-दादी के व्यक्त किए गए जरूरतों को ऑकलन के लिए है।
- ❖ इस अनुसूची का प्रयोग करने हेतु दिशा-निर्देश का पालन आवश्यक है। स्कोरिंग हेतु तीन स्तर में अंक दिए जाते हैं – अगर जरूरत नहीं है – 0 अंक, कुछ हद तक जरूरत है – 1 अंक तथा बहुत अधिक जरूरत है – 3 अंक।
- ❖ राष्ट्रीयमानसिक दिव्यांग संस्थान पारिवारिक आवश्यकताओं की अनुसूची के अतिरिक्त कई अन्य टूल्स हैं जैसे फेमिली नीड सर्वे स्केल, पैरेन्ट नीड – इन्वेन्टरी।

13.7 शब्दावली

- ❖ नीड बेस्ड असेसमेन्ट – परिवार के सदस्यों का व्यक्त किए गए पुनर्वास संबंधी जरूरतों का ऑकलन।
- ❖ एन0आइ0एम0एच0 फेमिली नीड शीड्यूल – बौद्धिक अक्षम के परिवार के सदस्यों की व्यक्त की गई जरूरतों को ऑकलन हेतु विकसित किया गया शीड्यूल।

13.8 बोध प्रश्नों के आदर्श उत्तर

प्रश्न – बौद्धिक अक्षम बच्चों के माता-पिता तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों की जरूरतों के आँकलन हेतु दो टूल लिखें ?

उत्तर – बौद्धिक अक्षम बच्चों के माता-पिता तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों की जरूरतों के आँकलन हेतु एन0आइ0एम0एच0 फ़ैमिली नीड शीड्यूल, फ़ैमिली नीड सर्वे स्केल का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न – बौद्धिक अक्षम बच्चों के भाई-बहनों द्वारा व्यक्त की गयी जरूरतों को लिखें ?

उत्तर – बौद्धिक अक्षम बच्चों के भाई बहनों द्वारा व्यक्त किए गए जरूरतों में उनके हालत सम्बन्धी जानकारी, उनके प्रशिक्षण के सम्बन्ध में जानकारी तथा दिव्यांगता से सम्बन्धित कानून / विधान की जानकारी प्रमुख है।

13.9 संदर्भ

1. बेली, डी.वी. (1987) कालेबोरिटिव गोल सेटिंग विथ फेमिली रिजोलविंग इन वैल्युस एण्ड प्राइरोटिस फार सर्विसेज, टॉपिक इन अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन 7, 59–71.
2. बेली, डी.वी. तथा समऑनसन, आर. जे. (1988). असेसिंग नीड्स ऑफ फ़ैमिलीज विथ हैंडिकैप इनफ़ैन्ट्स. जर्नल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, 22.1, 117–117
3. मैकग्रा, के.एस. गिलमन, सी.जे एण्ड जॉनसन एस. (1992), अ रिव्यू ऑफ स्केल टू असेस फेमिली निड्स. जर्नल ऑफ साइको एजुकेशनल एसेसमेंट, 10,4–25.
4. पेशावरिया, आर एण्ड इटाल (1995). अंडरस्टैंडिंग इंडियन फ़ैमिलीज हैविंग पर्सन विथ मेंटल रिटार्डेशन सिकन्दराबाद : एन. आइ. एम. एच.
5. सहाय, ए, जय प्रकाश, खयकू अ तथा कुमार पी. (2013) पैरेन्ट्स ऑफ इन्टसेक्चुअल डिसेबुल्ड चिल्ड्रेन : अस्टडी आफ नीड्स एण्ड एक्सपेक्टेसन. इंटरनेशनल जॉर्नल ऑफ ह्यूमनिटिज एण्ड सोशल साइंस इन्वेंशन. 2, 7, 01–08.

13.10 अभ्यास प्रश्न

1. माता-पिता व पारिवारिक सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए जरूरतों का आँकलन क्यों महत्वपूर्ण है, लिखें
2. बौद्धिक अक्षम बच्चों के भाई-बहनों द्वारा व्यक्त किए गए जरूरतों की सूची तैयार करें।
3. एन आइ एम एच फेमिली एसेसमेंट शीड्यूल के बारे में विस्तार से लिखें।

इकाई-14 वकालत का संचालन करने हेतु आँकलन तथा कौशल विकास कार्यक्रम

संरचना

- 14.1 परिचय
- 14.2 उद्देश्य
- 14.3 स्ववकालत क्या है
- 14.4 बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों हेतु स्ववकालत की आवश्यकताएँ
- 14.5 बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों हेतु स्ववकालत आन्दोलन का इतिहास
- 14.6 स्ववकालत कौशलों का आँकलन
- 14.7 स्ववकालत कौशल में प्रशिक्षण
- 14.8 सारांश
- 14.9 शब्दावली
- 14.10 बोध प्रश्नों के आदर्श उत्तर
- 14.11 सन्दर्भ
- 14.12 अभ्यास प्रश्न

14.1 परिचय

वकालत बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के मानवाधिकार को संरक्षण प्राप्त करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। इससे उसकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है।

यह वकालत वैयक्तिक तथा व्यवस्था स्तर पर प्रभावी होनी चाहिए। वैयक्तिक स्तर पर प्रभावी होने हेतु यह आवश्यक है कि बौद्धिक अक्षम व्यक्ति अपने अधिकारों को जाने, समझें तथा अपने अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रयास करें। उन्हें स्ववकालत हेतु आवश्यक कौशलों को सीखना तथा विकसित करना होगा।

उसी भांति व्यवस्था परिवर्तन वकालत भी बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए लाभप्रद होगा। इसे प्राप्त करने के लिए जनता में उनके अधिकार, आवश्यकताएँ, रुचि तथा क्षमता से अवगत कराना होगा।

14.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप

- स्ववकालत क्या है? बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों हेतु स्ववकालत की आवश्यकता को जान सकेंगे।
- बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों हेतु स्ववकालत आंदोलन का इतिहास को जान सकेंगे।
- स्ववकालत से संबंधित कौशलों के आँकलन से अवगत होंगे।
- स्ववकालत से संबंधित कौशलों के प्रशिक्षण से बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को क्या लाभ होगा, यह समझ सकेंगे।

14.3 स्ववकालत क्या है ?

वकालत का अर्थ है किसी खास मुद्दे में स्वयं के लिए या दूसरों के लिए बोलना या कार्य करना। यह समुदाय में ध्यान खींचने का वह कौशल है जिससे निर्णय निर्माता (decision makers) उनके मुद्दों का हल निकाल सकें।

स्ववकालत वकालत का ही एक रूप है इसके अंतर्गत जब कभी व्यक्ति बोलता है या अपनी ओर से कार्यवाही करता है जिससे उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है, व्यक्तिगत परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है तथा असमानताओं को भी ठीक करता है। स्ववकालत अपनी आवश्यकताओं को मुखर करने की वह क्षमता है जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक सहायता लेने का निर्णय लिया जा सके।

विलियम व शूल्ट 1982 के अनुसार

“स्ववकालत का अर्थ है दिव्यांग व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर या समूह में अपने लिए या दूसरों के लिए दिव्यांगता से संबंधित मुद्दों पर बोले या प्रतिक्रिया करे। यह अक्सर दिव्यांग व्यक्तियों को मिलकर अपने हित के लिए बात करने के कौशलों के रूप में जाना जाता है। यह आत्मनिर्णय, आत्म सम्मान, अधिकारिता, उभोक्तावाद जैसे शब्दों से जुड़ा है।

14.4 बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों हेतु स्ववकालत की आवश्यकताएँ

- स्ववकालत कौशलों को सीखने से बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों में आत्म निर्णय के कौशलों का विकास होता है जो व्यक्तिगत संतुष्टि एवं खुशी प्रदान करती है।
- स्ववकालत कौशल युक्त होने से बौद्धिक अक्षम व्यक्ति अपने जीवन, कैरियर में सुधार ला सकता है।
- यह व्यक्ति को स्वावलंबन हेतु आवश्यक है।
- निर्भरता को जन्म देने से बेहतर है बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को भी व्यक्तिगत लक्ष्य चुनने, अपनी पसंद तय करने का अवसर मिले।

14.5 बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों हेतु स्ववकालत आंदोलन का इतिहास

1960 के दशक के शुरुआत में स्वीडन में स्ववकालत आंदोलन की शुरुआत हुई। बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को अपने मनोरंजन हेतु क्लब के संचालन हेतु प्रोत्साहित किया गया तथा संचालन की जिम्मेदारी दी गई। इन क्लबों के संचालन मंडल के बौद्धिक अक्षम सदस्यों का राष्ट्रीय स्तर का कान्फ्रेंस 1968, तथा 1970 में आयोजित किया गया।

1973 : संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दिव्यांग व्यक्तियों ने “पिपुल-फर्स्ट” नाम के एक समूह का गठन किया।

1973 : ब्रिटिश कोलंबिया एशोसिएसन फॉर मेंटली हैंडिकैप ने पहली बार डिसएबुल व्यक्तियों (दिव्यांग व्यक्तियों) हेतु कान्फ्रेंस का आयोजन किया।

1978 : संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्ववकालत समूह स्थापित करने हेतु सरकारी कोश बनाया गया। यह कोश टेक्निकल एसिस्टेंस फॉर सेल्स एडवोकेसी (TASA) के नाम से जाना जाता है।

1979 : कनाडा एसोसिएसन फॉर कम्युनिटी लिविंग ने स्ववकालत कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें सभी लेबुल व्यक्ति आमंत्रित थे।

1980 : टेक्निकल एसिस्टेंस फॉर सेल्फ एडवोकेसी (TASA) ने मार्च 1980 में कैनसास शहर में सेल्फ एडवोकेसी समूहों का कान्फ्रेंस आयोजित किया। इस कान्फ्रेंस में प्रतिभागियों ने मिल-जुल कर एक नई फोरम का गठन किया जिसे वे ‘यूनाइटेड टूगेदर’ का नाम दिया।

1. एक – दूसरे की मदद करना।
2. जो कार्य स्वयं कर सकते हो, उस कार्य के लिए दूसरों की सहायता नहीं लेना।
3. समूह/फोरम के निदेशक मंडल में प्रतिभागी होना।
4. राजनीति में प्रतिभाग करना तथा कानूनी बदलाव के लिए कार्य करना।
5. अपनी मददगार (Helper) का स्वयं चयन करना।
6. दिव्यांगों के लिए संचालित बड़ी संस्थाओं को बंद करवाना।
7. समान कार्य के लिए समान वेतन की वकालत करना।
8. दिव्यांगों के लिए अधिक नौकरियों की मांग करना।
9. दूसरों को स्वयं कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना।
10. धन एकत्रित करना।

1992 : स्ववकीलों का राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन का गठन किया गया जिसे सेल्फ एडवोकेट विकमिंग इम्पावर्ड (SABE) के नाम से जाना जाता है।

14.6 स्ववकालत कौशलों का आंकलन

आंकलन बौद्धिक अक्षम बच्चों का स्ववकालत कौशलों में वर्तमान स्तर को बताता है। यह शिक्षक को किस व्यवहार में प्रशिक्षण देना है, भविष्य में उसे किन

कौशलों की आवश्यकता होगी उसकी शैक्षिक प्रगति के निरंतर जाँच में सहायता प्रदान करता है।

स्वकालत कौशल आँकलन के अंतर्गत बौद्धिक अक्षम बच्चों का सम्प्रेषण कौशल, उसके निर्णय लेने संबंधी योग्यता, आत्म सम्मान कौशल तथा स्व जागरूकता कौशल क्षेत्र में विस्तार से सूचनाएँ एकत्रित की जाती हैं।

सम्प्रेषण कौशल बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए आवश्यक है जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को दूसरों को बता सके। उसी भाँति निर्णय लेने संबंधी योग्यता उसे कैरियर का चुनाव, दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान में मदद करेगी। स्वजागरूकता कौशल बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को उसकी रुचि ताकत तथा कमियों को जानने में मदद करता है।

आत्म सम्मान कौशल उसे अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने तथा अपनी आवश्यकताओं को बताने में मदद करता है।

बौद्धिक अक्षम बच्चों के स्वकालत कौशल आँकलन हेतु शिक्षक मानित टेस्ट के अतिरिक्त अनौपचारिक विधि के अंतर्गत निरीक्षण, साक्षात्कार विधि का भी प्रयोग करता है।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (USA) में विकसित तथा मानित आर्क सेल्फ डिटरमिनेशन स्केल, बौद्धिक अक्षम तथा लर्निंग डिसेबिलिटी व्यक्तियों का स्वकालत/सेल्फ डिटरमिनेशन ज्ञात करने का लोकप्रिय स्केल है। यह बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों में सेल्फ डिटरमिनेशन कौशल प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य तथा वस्तुनिष्ठ विकसित करने में मदद करता है। इस स्केल में स्वायत्तता (ऑटोनोमी), आत्म नियमन (सेल्फ रेगुलेशन), मनोवैज्ञानिक अधिकारिता (सायकोलोजिकल इम्पावमेंट) तथा स्व अहसास (सेल्फ रियालाइजेशन) क्षेत्रों में व्यक्तियों का कौशल प्रदर्शन स्कोर ज्ञात कर सकते हैं।

भारत में स्वकालत कौशल आँकलन हेतु मानित कोई टेस्ट विकसित नहीं है। परन्तु राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान सिकन्दराबाद ने बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के कार्य स्थानान्तरण हेतु पाठ्यक्रम विकसित किया है। इस पाठ्यक्रम में स्वकालत क्षेत्र में 30 पद हैं जिन्हें चार क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे बुनियादी अधिकार, जीने का अधिकार, निर्णय लेना तथा स्वकालत समूह स्थापित करना। बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों का स्वकालत क्षेत्र में आँकलन कर आवश्यकतानुसार कमी दर्शाने वाले कौशल में प्रशिक्षण हेतु वैयक्तिक व्यावसायिक स्थानान्तरण कार्यक्रम तैयार किया जाता है।

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों का स्वकालत कौशल आँकलन हेतु परीक्षक उपरोक्त टेस्ट/चेकलिस्ट का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण, साक्षात्कार विधि के द्वारा भी जानकारी एकत्रित किया जाता है।

1. चेक लिस्ट/टेस्ट का प्रयोग करना – परीक्षक स्वकालत कौशल के आँकलन हेतु विकसित टेस्ट/चेकलिस्ट का प्रयोग कर वर्तमान स्तर की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है क्योंकि इससे वांछनीय सूचनाएँ एकत्रित करना आसान होता है।

2. निरीक्षण विधि – इस विधि के आँकलनकर्ता बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के घर या समुदाय में जाकर स्वकालत कौशल के क्षेत्रों की जानकारी एकत्रित करता है जैसे बुनियादी अधिकार के बारे में जागरूकता का स्तर जाँचने हेतु

बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के घर जाकर उसके पसंद का खाना चयन करने, पसंद का वस्त्र पहनने खाली समय अपने पसंद का गीत/संगीत सुनने या TV का प्रोग्राम देखने जैसे गतिविधियों का निरीक्षण करता है।

3. साक्षात्कार विधि — इस विधि में आंकलनकर्ता को सर्वप्रथम बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के साथ रैपो स्थापित करना आवश्यक होता है। इससे आपसी विश्वास का भाव विकसित होता है। अधिकतर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह विषय केन्द्रित होता है तथा उसकी प्रतिक्रिया को विस्तार से लिखा जाता है।

14.7 स्वकालत कौशल में प्रशिक्षण

स्वकालत कौशल प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य निर्धारण आवश्यक है। यह लक्ष्य विशिष्ट, भाषण योग्य, हासिल योग्य, यथावत तथा समयबद्ध होना चाहिए। प्रत्येक बौद्धिक अक्षम व्यक्ति का स्वकालत कौशल सिखाने की रणनीति तैयार करना आवश्यक है। इसी रणनीति के अनुरूप उसे प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए छात्र के कार्यों का मूल्यांकन तथा पुननिरीक्षण शिक्षक के द्वारा निरंतर होना चाहिए।

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों में स्वकालत कौशल विकास हेतु निम्न प्रयास किए जा सकते हैं।

1. उन्हें विकल्प में से चुनने को बढ़ावा देना जैसे पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए भोजन, खेल-कूद के लिए पसंद का खेल, टी.वी. देखने के लिए पसंद का कार्यक्रम इत्यादि।
2. बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को पारिवारिक निर्णय में सम्मिलित करें तथा उनकी राय का सम्मान करें।
3. उसमें स्कूल में आयोजित अभिभावक – शिक्षक मीटिंग में प्रतिभागी के लिए प्रेरित करें।
4. उसमें समस्या समाधान के लिए कौशल विकसित करें, जोखिम लेने के लिए उचित बढ़ावा दें।
5. समस्या का हल निकालने के लिए प्रेरित करें समस्या को चुनौती के रूप में लेने के लिए कहें तथा चरणबद्ध पद्धति से सुलझाने की कोशिश करें।
6. परिवार में, समुदाय में समस्याओं की पहचान करने को सिखाएं तथा मिलजुल कर समस्या समाधान का प्रयास करना सिखायें।
7. उसी भाँति स्कूल कक्षा की समस्याओं का हल निकालने हेतु कक्षा शिक्षक के साथ मीटिंग करके उसका हल निकाल कर सिखायें।
8. स्कूल, घर तथा अन्य स्थल में दिव्यांगता के संदर्भ में बोलने का अवसर पैदा करें।
9. आत्म सम्मान के विकास के लिए सुविधा प्रदान करें।
10. अपनी आवश्यकताओं को विस्तार से उचित व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करने के लिए सिखायें।
11. स्कूल, घर में नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करें।

12. समुदाय में उपलब्ध विभिन्न उपक्रम जैसे पुलिस स्टेशन, पोस्ट आफिस, हास्पिटल, पुनर्वास केन्द्र, बैंक इत्यादि का आवश्यकतानुसार उपयोग करने का बढ़ावा दें।
13. अगर बौद्धिक अक्षम व्यक्ति कार्यरत हो तो उसे अपने मिलने वाली मजदूरी के लिए पूछ-ताछ, आवश्यकता होने पर छुट्टी के लिए आवेदन करना, कार्य स्थल की समस्या उचित प्रबंधन समिति/व्यक्ति तक पहुँचाना, जैसे – क्रिया– कलाप करने को बढ़ावा दें।

14.8 सारांश

- ❖ वकालत का अर्थ है किसी खास मुद्दे में स्वयं के लिए अथवा दूसरों के लिए बोलना या कार्य करना यह सम्बन्धित समुदाय का ध्यान खींचने का वह कौशल है जिससे मुद्दों का हल निकल सके।
- ❖ स्ववकालत अपनी आवश्यकताओं को मुखर करने की वह क्षमता है जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक सहायता लेने का निर्णय लिया जा सके।
- ❖ बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों हेतु स्ववकालत कौशल की जानकारी आवश्यक है। इससे आत्म निर्णय कौशल का विकास होता है। वह अपने जीवन/कैरियर में सुधार ला सकता है।
- ❖ बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों हेतु 1860 के दशक में स्ववकालत आंदोलन की शुरुआत स्वीडन में हुई। 1973 में यू.एस.ए में विकालंग व्यक्तियों ने पिपुल-फर्स्ट नाम का एक समूह गठित किया जो विकालांगों के अधिकार के लिए सजग थे। 1978 में स्ववकालत समूह स्थापित करने हेतु टेक्निकल एसिस्टेंस फार सेल्फ एडवोकेसी (TASA) का गठन किया जिसके फलस्वरूप 1980 में सेल्फ एडवोकेसी समूहों का कान्फ्रेंस कैनसास शहर में आयोजित किया जा सका।
- ❖ 1992 में स्ववकीलो का राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन का गठन किया गया जिसे सेल्फ एडवोकेट बिकमिंग इम्पावर्ड के नाम से जाना जाता है।
- ❖ स्ववकालत कौशलों के ऑकलन हेतु संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सेल्फ डिटरमिनेशन स्केल का प्रयोग किया जाता है। भारत में स्ववकालत कौशल प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान सिकन्दराबाद ने बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों हेतु कार्य स्थानान्तरण पाठ्यक्रम विकसित किया। इस पाठ्यक्रम में कई अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त स्ववकालत क्षेत्र भी हैं जिसमें 30 पद हैं। ये पद बुनियादी अधिकार, जीने का अधिकार, निर्णय लेना तथा स्ववकालत समूह स्थापित करने से संबंधित है।
- ❖ स्ववकालत कौशल प्रशिक्षण हेतु बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को अपनी पसंद चुनने का बढ़ावा देना, पारिवारिक निर्णय में उनके राय का सम्मान देना, स्कूल में आयोजित अभिभावक-शिक्षक मीटिंग में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करना, दिव्यांगता के संदर्भ में बोलने का अवसर प्रदान करना जैसे क्रिया-कलाप में भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

14.9 शब्दावली

स्ववकालत : दिव्यांग व्यक्ति का व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए या दूसरों के लिए दिव्यांगता से संबंधित मुद्दों पर बोलना या प्रतिक्रिया करना।

स्ववकालत कौशल : अपनी आवश्यकताओं को मुखर करना, आत्म सम्मान तथा आत्म विश्वास की भावना प्रस्तुत करना अपनी रुचि, ताकत की पहचान करना, समस्या समाधान हेतु प्रयास करना, इत्यादि।

14.10 बोध प्रश्नों के आदर्श उत्तर

प्रश्न : 1 स्ववकालत क्या है? बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों हेतु इसकी आवश्यकता को लिखें।

उत्तर : 1 स्ववकालत वकालत का ही एक रूप है इसके अंतर्गत जब कभी व्यक्ति बोलता है या अपनी ओर से कार्यवाही करता है, जिससे उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है, व्यक्तिगत परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है तथा असमानताओं को भी ठीक करता है।

यह अक्सर दिव्यांग व्यक्तियों को मिलकर अपने हित के लिए बात करने का कौशल है। यह आत्म-निर्णय, आत्म सम्मान, अधिकारिता जैसे शब्दों से जुड़ा है।

आवश्यकताएँ :- बौद्धिक अक्षम व्यक्ति हेतु स्ववकालत कौशल की आवश्यकताएँ:-

1. बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों में आत्म निर्णय कौशल का विकास होता है।
2. यह उनके स्वावलंबन हेतु आवश्यक है।
3. यह दूसरों पर निर्भरता को समाप्त करता है।
4. यह उनके जीवन, कैरियर में सुधार लाता है।

प्रश्न : 2 स्ववकालत कौशल आंकलन हेतु प्रयुक्त टेस्ट की चर्चा करें।

उत्तर : 2 स्ववकालत कौशल आंकलन हेतु मानित टेस्ट के अंतर्गत आर्क सेल्फ डिटरमिनेशन स्केल का प्रयोग किया गया है। यह टेस्ट यू.एस.ए में मायकल मेहमेयर के द्वारा 1995 में विकसित किया गया।

यह बौद्धिक अक्षम तथा लर्निंगडिसेबुलिटी व्यक्तियों का सेल्फ डिटरमिनेशन ज्ञात करने का लोकप्रिय स्केल है। इस स्केल से स्वायत्तता, आत्म नियमन, मनोवैज्ञानिक अधिकारिता तथा स्वअहसास क्षेत्रों में कौशल प्रदर्शन स्कोर (अंक) प्राप्त किया जाता है।

भारत में स्ववकालत कौशल आँकलन हेतु राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान सिकन्दराबाद द्वारा विकसित बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों हेतु कार्य स्थानान्तरण पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में स्ववकालत क्षेत्र में 30 पद

हैं जिन्हें बुनियादी अधिकार, जीने का अधिकार, निर्णय लेना तथा स्ववकालत समूह स्थापित करना जैसे क्षेत्रों में बांटा गया है।

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों का इन क्षेत्रों में आंकलन कर प्रशिक्षण हेतु लक्ष्य व्यवहार तय किया जाता है तथा प्रशिक्षण की रणनीति तय की जाती है।

14.11 संदर्भ

- शापिरो, जे.पी. (1994) नो पीटो : पिपुल विद् डिसेबिलिटीज फोर्जिंग अ न्यू सिविल राइट मूवमेंट देल्ही : यूनिवर्सल बुक ट्रेडर्स
- शर्मा, आर.एन. सिंग, एस, श्रेसिया कुट्टी, ए.टी. (2006) इम्पाइमेंट लीड्स टू इंडिपेंडेंट लिविंग एण्ड सेल्फ इडवोकेसी : ए कम्प्रेटिव स्टडी ऑफ इम्प्लाइड एण्ड अनइम्प्लाइड पर्सन कागनितिव डिसेबिलिटीज एसिया पेसिफिक डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेसन जर्नल 17,1, 50–57
- श्रेसिया कुट्टी ए.टी, एण्ड राव एल.जी (2001) ट्रान्जीशन ऑफ पर्सन विथ मेंटल रिटार्डेशन फ्रॉम स्कूल टू वर्क : अ गाइड सिकन्दराबाद : एन. आइ. एम. एच.

14.12 अभ्यास प्रश्न

1. स्ववकालत क्या है? बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए स्ववकालत अभियान के इतिहास को लिखें।
2. स्ववकालत कौशल क्या है? स्ववकालत कौशल विकसित करने की विभिन्न रणनीतियों को लिखें।
3. स्ववकालत कौशल आंकलन में प्रयुक्त विभिन्न टूल्स/उपकरण की चर्चा करें।

इकाई—15 परिवार तथा सामुदायिक संसाधनों का आँकलन

संरचना

- 15.1 परिचय
- 15.2 उद्देश्य
- 15.3 पारिवारिक तथा सामुदायिक संसाधन
- 15.4 बौद्धिक अक्षम व्यक्ति का परिवार व सामुदायिक संसाधन
- 15.5 समायोजन कौशल
- 15.6 पारिवारिक तथा सामुदायिक संसाधनों का आँकलन
 - 15.6.1 आँकलन के लिए उपकरण
- 15.7 सारांश
- 15.8 शब्दावली
- 15.9 बोध प्रश्नों के आदर्श उत्तर
- 15.10 सन्दर्भ
- 15.11 अभ्यास प्रश्न

15.1 प्रस्तावना

हर माता—पिता यह चाहता है कि उनके घर स्वस्थ बच्चे का जन्म हो परन्तु बौद्धिक अक्षम बच्चा होने की स्थिति में पारिवारिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। प्रत्येक परिवार पर इसका प्रभाव अलग—अलग होता है। यह परिवार विशेष के संसाधन, समस्या से जूझने के कौशल/समायोजन कौशल पर निर्भर करता है।

पारिवारिक संसाधन पर केन्द्रित कई अध्ययन यह संकेत करते हैं कि जिन परिवार में बेहतर समर्थन तंत्र (सपोर्ट—नेटवर्क) है और उसका बेहतर प्रयोग हो रहा हो, वहाँ अन्य परिवार के तुलना में पारिवारिक तनाव कम होता है।

15.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप

- बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के पारिवारिक तथा सामुदायिक संसाधनों के बारे में जान सकेंगे।
- तनाव पारिवारिक तथा सामुदायिक संसाधनों से कैसे संबंधित है, यह जान सकेंगे।

- समायोजन कौशल क्या है ? इसे बढ़ावा देने तथा बाधित करने वाले तत्वों को समझ सकेंगे।
- पारिवारिक व सामुदायिक संसाधनों के आँकलन हेतु विभिन्न टूल तथा विधि से परिचित हो सकेंगे।

15.3 पारिवारिक तथा सामुदायिक संसाधन

वह संसाधन जो परिवार में विभिन्न परिस्थितियों से उबरने में मदद पहुंचाता है पारिवारिक व सामुदायिक संसाधन कहलाता है निकेल (1976) के अनुसार पारिवारिक संसाधन वह है जो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

उसी भाँति मलोच व डेकन ने पारिवारिक संसाधन को वह माध्यम माना है जो परिवार में उपलब्ध हो तथा उसे आवश्यकता के अनुसार अपनी क्षमता के लिए पहचाना जाता हो।

पारिवारिक संसाधन के अंतर्गत वित्तीय, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक शैक्षिक संसाधन सम्मिलित हैं। वित्तीय संसाधन दैनिक जीवन की वस्तुओं तथा सेवाएं लेने के लिए वित्तीय सहयोग करता है। वहीं सामाजिक संसाधन परिवार के सदस्यों तथा समुदाय से मिलने वाला सहयोग है। मनोवैज्ञानिक संसाधन के अंतर्गत भावनात्मक तथा आत्म सम्मान सहयोग है।

पारिवारिक तथा सामुदायिक संसाधन परिवार के सदस्यों का जीवन के व्यवस्थित करने में, उसके लक्ष्य प्राप्त करने में, कठिन दौर में सहायक होता है।

15.4 बौद्धिक अक्षम व्यक्ति का परिवार व सामुदायिक संसाधन

बौद्धिक अक्षम बच्चे के जन्म के उपरान्त परिवार में तनाव तथा परिवर्तन का समय होता है। इन बच्चों का निदान परिवार तंत्र को बाधित करता है तथा नए स्तर के संगठन व संतुलन की माँग करता है।

एक परिवार बौद्धिक अक्षम बच्चे के साथ कैसा समायोजन करता है यह कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे माता-पिता का समर्थन, माता-पिता द्वारा स्थिति का आँकलन तथा उनके कार्य करने की क्षमता। ये सभी समस्याएँ विनाशकारी घटना के बजाय एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जाना चाहिए (स्टीनेट व डी फ्रोम 1985)। पारिवारिक तनाव को कम करने हेतु निजी संसाधन के अतिरिक्त पारिवारिक संसाधन की अहम भूमिका है।

निजी संसाधनों से एक व्यक्ति तनावपूर्ण स्थितियों को प्रभावी ढंग से सामना करने की क्षमता रखता है। जब परिवार के सदस्यों का व्यक्तिगत उपलब्ध संसाधन पर्याप्त मात्रा में हो तो तनावपूर्ण स्थिति को कम करना आसान हो जाता है। निजी संसाधन के चार बुनियादी घटक हैं –

वित्तीय, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक संसाधन

वित्तीय संसाधन (परिवार को आर्थिक रूप से), शैक्षिक संसाधन (व्यक्ति को समस्या समाधान में), मनोवैज्ञानिक संसाधन (व्यक्तित्व, आत्म सम्मान में) तथा शारीरिक स्वास्थ्य ये सभी तनावपूर्ण स्थिति के समायोजन में सहायक हैं।

उसी भांति पारिवारिक संसाधन के घटक हैं :- व्यक्तिगत, वित्तीय, तकनीकी मनोरंजनात्मक, भावनात्मक तथा सामग्री हैं।

व्यक्तिगत संसाधन :- व्यक्तिगत संसाधन से तात्पर्य है परिवार के सदस्य जैसे माता-पिता, दादा-दादी, चाचा-चाची के अतिरिक्त दोस्त, पड़ोसी, चिकित्सक, पुनर्वास व्यवसायी का बौद्धिक अक्षम बच्चों की देखभाल, प्रशिक्षण, चिकित्सीय आवश्यकताओं तथा अन्य आवश्यक कार्यों में मदद की उपलब्धता।

वित्तीय संसाधन :- जब एक परिवार बौद्धिक अक्षम बच्चे का पालन पोषण करता है तो उसे अस्पताल की चिकित्सीय बिल, दवाइयाँ, उपकरण आदि की खरीद से वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में परिवार को आर्थिक मदद हेतु परिवार के सदस्य के अतिरिक्त दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी की आवश्यकता हो सकती है। अतः वित्तीय संसाधन का अर्थ है वित्तीय मदद की उपलब्धता।

तकनीकी संसाधन :- तकनीकी संसाधन से तात्पर्य उन संसाधनों से है जो परिवार को बौद्धिक अक्षम बच्चे की स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करे, उपलब्ध आवश्यक सेवाओं के बारे में बतायें तथा समय-समय पर सरकार द्वारा उपलब्ध सहायता के बारे में सूचित करे। जो परिवार उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है वह तकनीकी संसाधन युक्त है।

मनोरंजन संसाधन :- बौद्धिक अक्षम बच्चों को मनोरंजनात्मक कौशलों में प्रशिक्षण आवश्यक है परन्तु इन कौशलों में प्रशिक्षण स्कूल तक सीमित न होकर परिवार के सदस्यों के द्वारा घर, पड़ोस, समुदाय में दिया जाता है। मनोरंजनात्मक संसाधन का अर्थ है परिवार के सदस्यों जैसे माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी या दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या अन्य सदस्यों की उपलब्धता जो बौद्धिक अक्षम बच्चे के साथ खेल सके, समय बिता सके, शाम को टहलने के लिए उसे ले जा सके।

भावनात्मक संसाधन :- वह उपलब्ध संसाधन जो परिवार के सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर जिससे अपनी गहरी भावनाओं, चिंताओं, विचारों को साझा कर सके तथा बिना शिक्षक के, सहायता की उम्मीद कर सके। जिन परिवारों में उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति माता-पिता, भाई-बहन, अन्य रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी या अन्य व्यक्ति करते हों वह भावनात्मक संसाधन युक्त है।

सामग्री संसाधन :- सामग्री संसाधन का अर्थ है परिवार के सदस्यों जैसे माता-पिता, भाई-बहन, दोस्त व अन्य की उपलब्धता जो बौद्धिक अक्षम बच्चे के लिए खेल सामग्री, उपकरण, सह उपकरण शिक्षण सामग्री जैसी चीजों को प्राप्त करने में सहायता करे या सूचित करे।

15.5 समायोजन कौशल

समायोजन कौशल पारिवारिक संसाधनों को सुदृढ़ या बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है जिससे परिवार को तनावपूर्ण स्थितियों से बचाया जा सके। माता-पिता की समायोजन युक्तियाँ अत्यधिक व्यक्तिगत होती हैं।

गैलेधर व अन्य (1983) ने बौद्धिक अक्षम बच्चों के अभिभावकों के लिए निम्न समायोजन युक्तियाँ सुझायी हैं।

1. अपेक्षाओं में बदलाव
2. दिव्यांगता के कारणों को देखने का माता-पिता की नजरिया
3. बौद्धिक अक्षम बच्चों के प्रति अभिवृत्ति में बदलाव
4. अपने स्वयं के प्रभाव के बारे में माता-पिता की धारणा
5. परिवार, समुदाय से मिलने वाला सामाजिक समर्थन
6. समस्या में सुधार लाने के लिए प्रयास
7. बच्चे से दैनिक मिलने-जुलने की प्रकृति व गुणवत्ता
8. परिवार का धार्मिक व नैतिक विश्वास
9. बौद्धिक अक्षम बच्चों के प्रति परिवार का दर्शन व विचारधारा
10. परिवार का जीवन क्रम
11. परिवार में सद्भाव की हद

संसाधन जो समायोजन में सहायक है उसे दो श्रेणियों में बाटा जा सकता है—

(1) आन्तरिक समायोजन संसाधन

(2) बाह्य समायोजन संसाधन

आन्तरिक समायोजन संसाधन निम्न है —

- ईश्वर में भरोसा
- गुरु की प्रेरणा
- आत्म दृढ़ता
- पति या पत्नी का जीवन के प्रति सकारात्मक सोच
- धर्म में विश्वास

बाह्य समायोजन संसाधन :-

- पति/पत्नी, बौद्धिक अक्षम बच्चे के भाई-बहन तथा अन्य परिवार के सदस्यों का समर्थन
- दादा/दादी, नाना/नानी, बौद्धिक अक्षम बच्चे का बड़ा भाई या धार्मिक संगठन से मिलने वाला आर्थिक समर्थन
- पुनर्वास, मेडिकल व्यवसायियों का सहयोग/समर्थन
- मजबूत संस्थागत समर्थन

समायोजन में बाधाएँ/अवरोधक

- ❖ परिवार के सदस्य जैसे माता, पति, बौद्धिक अक्षम बच्चा या मामा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहना

- ❖ पारिवारिक समस्याएँ जैसे दादा/दादी और माता के बीच अनबन रहना, शराबी पिता, अंति संवेदनशील पिता, बौद्धिक अक्षम बच्चे के लिए समय नहीं निकाल पाना इत्यादि
- ❖ सहायता की कमी जैसे पति या बड़ा बेटा या बौद्धिक अक्षम बच्चा के दादा जी की मृत्यु
- ❖ समुदाय, पड़ोस, दोस्तों, रिश्तेदार की स्वीकृति में कमी
- ❖ बाहर वालों का अत्यधिक हस्तक्षेप
- ❖ वित्तीय स्थिति में कमी
- ❖ पिता/माता का स्थानांतरणगत जाब
- ❖ व्यवसायिकों द्वारा गलत मार्गदर्शन
- ❖ मेडिकल, आवागमन सुविधा का अभाव
- ❖ उपलब्ध सेवाओं की सूचनाओं में कमी
- ❖ बौद्धिक अक्षम बच्चे में समस्या व्यवहार

पेशावरिया तथा अन्य (1995) ने प्रभावशाली समायोजन में सहायक तथा अवरोधक तत्वों का अध्ययन किया तथा पाया कि परिवार का समर्थन, व्यवसायिकों का समर्थन, वित्तीय समर्थन, ईश्वर में विश्वास, आत्म दृढ़ता का प्रयोग अधिकतर बौद्धिक अक्षम के माता-पिता द्वारा किया जाता है। उसी भाँति अवरोधक तत्वों में समस्या व्यवहार प्रबंधन, स्वीकृति में कमी, उपलब्ध सेवाओं में कमी, व्यवसायिकों द्वारा गलत मार्गदर्शन मुख्य था।

15.6 पारिवारिक तथा सामुदायिक संसाधनों का आँकलन

बौद्धिक अक्षम बच्चों के पारिवारिक तथा सामुदायिक संसाधन आँकलन का प्रमुख उद्देश्य निम्न है –

1. परिवार के सदस्यों और उसके बाहर के रिश्तों पर पड़ने वाले प्रभाव की प्रकृति व गंभीरता को जानना
2. परिवार में उपलब्ध समर्थन की मात्रा एवं गुणवत्ता को जानना
3. परिवार की ताकत व विशिष्टता की पहचान करने व उसके कामकाज तथा पारिवारिक वातावरण को समझने में
4. उपरोक्त सूचनाएँ एकत्रित कर पारिवारिक हस्तक्षेप हेतु उद्देश्य तथा उपचार की नीतियाँ निर्धारित करना

पारिवारिक तथा सामुदायिक संसाधन आँकलन हेतु अवलोकन, साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है।

15.6.1 आँकलन के लिए उपकरण

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के पारिवारिक तथा सामुदायिक आँकलन हेतु पश्चिमी देशों में कई उपकरण विकसित किए गए हैं। उसमें से अधिकतर संस्कृति विशिष्ट उपकरण हैं। कुछ उपकरण जैसे जे हॉलरायड द्वारा विकसित संसाधन व

तनाव पर प्रश्नावली, मूस व मूस द्वारा विकसित पारिवारिक वातावरण स्केल तथा डन्ट्स व लीड द्वारा विकसित पारिवारिक संसाधन स्केल पारिवारिक व सामुदायिक संसाधन आँकलन हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं।

1. संसाधन व तनाव पर प्रश्नावली (Questionnaire on Resource and Strees) :- इस प्रश्नावली को जे हॉलरायड ने 1974 में विकसित किया था जिससे विकासात्मक देरी, गंभीर बिमारी से ग्रसित दिव्यांग बच्चों के परिवार का अनुकूलन व समायोजन का आँकलन किया जा सके। यह परिवार पर बच्चे का सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों तरह के प्रभावों का मापन करता है। इस प्रश्नावली में 285 पद हैं जो तीन विभिन्न आयामों में मापन करता है जैसे —: माता-पिता की समस्याएँ, परिवार की काम-काज संबंधी समस्याएँ तथा वह समस्याएँ जो माता-पिता अपने बच्चों में देखते हैं।

2. संसाधन व तनाव पर संक्षिप्त प्रश्नावली (Questionnaire on Resources and stress Short Form) :- संसाधन व तनाव पर प्रश्नावली जिसे हालरॉयड ने विकसित किया था उसे संक्षिप्त प्रारूप में पुनः विकसित तथा मानित फ्राइडरिच, ग्रीनवर्ग तथा क्रीनिक ने 1983 में किया। इस प्रश्नावली से विकासात्मक देरी वाले, गंभीर बिमारी से ग्रसित दिव्यांग बच्चों के परिवार के सदस्यों पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इस संक्षिप्त प्रश्नावली में 52 पद हैं जिससे निम्न चार फैक्टर स्कोर इंगित किए जा सकते हैं :-

- ❖ माता-पिता और परिवार की समस्याएँ
- ❖ निराशावाद
- ❖ बच्चों की विशेषताओं से सम्बन्धित तनाव
- ❖ बच्चों की शारीरिक अशक्तता

इसके कुल प्राप्तांक से माता-पिता के तनाव का वैश्विक सूचकांक का पता लगाया जाता है

3. पारिवारिक वातावरण स्केल — इसका विकास आर0एच0मूस व मूस ने 1991 में किया। इस स्केल में 90 पद हैं जिसका उत्तर सही गलत पैमाने पर देना होता है। इस स्केल से परिवार की संरचना, काम-काज तथा सम्प्रेषण के तरीकों का आँकलन किया जाता है। इस स्केल में 10 विभिन्न सब स्केल हैं जो तीन अंतर्निहित क्षेत्रों जैसे रिश्ते, व्यक्तिगत विकास तथा प्रणाली रख-रखाव का मूल्यांकन करती हैं।

4. पारिवारिक संसाधन स्केल — इस स्केल का विकास डन्सट व लीट ने 1987 में किया। इस स्केल में 30 प्रश्न हैं जो भोजन, आवास, वित्तीय संसाधन, परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, स्वयं के लिए समय, बच्चों की देखभाल, परिवार के लिए समय जैसे क्षेत्रों में संसाधन की पर्याप्तता के बारे में पूछताछ करती है। प्रश्न इस प्रकार से तैयार किए गए हैं जिससे परिवार का आँकलन किया जा सके।

भारतीय बौद्धिक अक्षम बच्चों के पारिवारिक तथा सामुदायिक संसाधन आँकलन हेतु राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान ने डिसेबिलिटी इम्पेक्ट स्केल, फैमिली सपोर्ट स्केल तथा फैमिली एफिकेसी स्केल को विकसित किया। उपरोक्त तीनों स्केल वर्ष 2000 में डा0 रीता पेशावरिया, डा0 डी0के0 मेनन डान वेली तथा डेब्रा स्कनर द्वारा विकसित किया गया।

1. **डिसेबीलीटी इम्पैक्ट स्केल** :- यह संस्कृति विशिष्ट उपकरण है जो बौद्धिक अक्षम बच्चा के कारण माता-पिता पर पड़ने वाला प्रभाव की प्रकृति तथा गंभीरता का आँकलन करता है। इसके अतिरिक्त यह परिवार के सदस्यों और परिवार के बाहर के रिश्तों पर भी पड़ने वाले प्रभाव की प्रकृति तथा गंभीरता का आँकलन करता है। इस उपकरण को ग्यारह क्षेत्रों में बांटा गया है जैसे शारीरिक देखभाल, स्वास्थ्य, कैरियर, समर्थन, वित्त, सामाजिक शर्मिंदगी, भाई-बहनों पर प्रभाव, विशिष्ट विचार तथा सकारात्मक प्रभाव। अतः यह बच्चे का सकारात्मक तथा नाकारात्मक दोनों तरह के प्रभावों का मापन करता है। प्रत्येक पद का आँकलन तीन सूत्री पैमाने पर 0-2 पर किया जाता है।

2. **फैमिली सपोर्ट स्केल** :- फैमिली सपोर्ट स्केल परिवार में उपलब्ध समर्थन की मात्रा व गुणवत्ता दोनों का आँकलन करता है। साथ में परिवार के लिए और अधिक सहायता की जरूरतों का भी आँकलन करता है।

इसे छह विभिन्न क्षेत्रों में बाटा गया है - व्यक्तिगत, वित्तीय, तकनीकी, मनोरंजनात्मक, भावनात्मक व सामग्री। प्रत्येक क्षेत्र में मिल रहे समर्थन की विस्तृत जानकारी परिवार के पति, पत्नी, माता, पिता, भाई, बहन, दादा, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची से संबंधित होती है। स्कोरिंग के लिए एक से तीन तक का अंक माता-पिता से तीन आयामों में (जैसे उपयोग, संतोष का स्तर तथा और अधिक समर्थन) में प्राप्त किया जाता है।

3. **फैमिली एफिकेसी स्केल** :- इस स्केल का प्रयोग बौद्धिक अक्षम बच्चों के परिवार की ताकत उनकी विशिष्टता, विशेषताएँ, परिवार के कामकाज तथा वातावरण को जानने के लिए किया जाता है। इस स्केल को 15 क्षेत्रों में बांटा गया है जैसे- बलिदान, भगवान में विश्वास, वित्तीय, मूल्य, स्वास्थ्य विश्वास, स्वीकार्यता, संकट, सामाजिक समर्थन, सम्प्रेषण, भूमिका व जिम्मेदारी, आशावादी, निर्णय, समय तथा स्वतंत्रता।

प्रत्येक पद का आँकलन तीन सूत्री पैमाने पर 0 से 9 पर किया जाता है।

15.7 सारांश

- वह संसाधन जो परिवार में विभिन्न परिस्थितियों से उबरने में मदद पहुँचाता है, उसे पारिवारिक तथा सामुदायिक संसाधन कहते हैं। यह संसाधन परिवार के सदस्यों का जीवन व्यवस्थित करने, उसे बेहतर बनाने में सहायक होता है।
- बौद्धिक अक्षम बच्चे के जन्म के उपरान्त परिवार में तनाव तथा परिवर्तन का दौर शुरू होता है। बच्चे का निदान, बौद्धिक अक्षम होने से परिवार में सदमा, क्रोध विरोधीपन, निराशा इत्यादि स्थिति उत्पन्न होती है। एक परिवार इस बच्चे के साथ कैसा समायोजन करता है यह कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे माता-पिता को मिलने वाला समर्थन, पारिवारिक स्थिति।
- पारिवारिक तनाव को कम करने हेतु निजी संसाधन के अतिरिक्त पारिवारिक संसाधन की अहम भूमिका है। निजी संसाधन के अंतर्गत व्यक्ति की वित्तीय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक संसाधन संबंध रखते हैं।

जबकि पारिवारिक संसाधन में परिवार की वित्तीय, तकनीकी, मनोरंजनात्मक, भावनात्मक, सामग्री संसाधन के अतिरिक्त प्रत्येक पारिवारिक सदस्यों के व्यक्तिगत संसाधन भी सम्मिलित हैं।

- समायोजन कौशल पारिवारिक संसाधनों को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
- संसाधन जो समायोजन में सहायक हैं उसे कोपिंग फेसिलिटेटर कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है – आन्तरिक एवं बाह्य समायोजन संसाधन। आन्तरिक समायोजन संसाधन के अंतर्गत 'ईश्वर में विश्वास, गुरु की प्रेरणा, आत्म दृढ़ता, धैर्य में विश्वास' जैसे कारक आते हैं वहीं बाह्य समायोजन संसाधन में परिवार के सदस्यों का समर्थन, पुनर्वास, मेडिकल व्यवसायियों से मिलने वाला सहयोग, मजबूत संस्थागत समर्थन जैसे कारक महत्वपूर्ण हैं।

संसाधन जो समायोजन को प्रभावित करते हैं या अवरोध पहुँचाते हैं उसे कोपिंग इनहीवेटर कहते हैं जैसे पारिवारिक सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहना, सहायता की कमी, वित्तीय स्थिति में कमी, इत्यादि।

- पारिवारिक तथा सामुदायिक संसाधनों के आँकलन हेतु पश्चिमी देशों में कई उपकरण विकसित किए गए हैं जैसे संसाधन व तनाव पर प्रश्नावली (हालरायड 1974), संसाधन व तनाव पर संक्षिप्त प्रश्नावली (फ्राइड रिच, ग्रीनवर्ग तथा क्रीनिक 1983), पारिवारिक वातावरण स्केल (मूस व मूस 1991), पारिवारिक संसाधन स्केल (डन्टस् व लीट 1987) इत्यादि। ये सभी टेस्ट संस्कृति विशिष्ट उपकरण हैं।
- भारतीय बौद्धिक अक्षम बच्चों के पारिवारिक तथा सामुदायिक संसाधन आँकलन हेतु राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान सिकन्दराबाद ने डिसेबिलिटी इम्पैक्ट स्केल, फैमिली सपोर्ट स्केल तथा फैमिली एफिकेसी स्केल विकसित किया।
- डिसेबिलिटी इम्पैक्ट स्केल से परिवार के सदस्यों व रिश्तेदारों, तथा अन्य पर पड़ने वाले प्रभाव की प्रकृति तथा गंभीरता का आँकलन किया जाता है। जबकि फैमिली सपोर्ट स्केल से परिवार में उपलब्ध समर्थन की मात्रा उसकी गुणवत्ता का आँकलन किया जाता है।

फैमिली एफिकेसी स्केल से परिवार की ताकत, उसकी अपनी विशिष्टता, विशेषताएं, काम-काज का तरीका तथा वातावरण का आँकलन किया जाता है।

15.8 शब्द सूची

- **पारिवारिक संसाधन** : वह संसाधन जो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है या, वह संसाधन जो परिवार में उपलब्ध हो तथा उसे आवश्यकतानुसार अपनी क्षमता के लिए पहचाना जाता हो।
- **समायोजन सहायक (कोपिंग फेसिलिटेटर)** : संसाधन जो समायोजन में सहायक हो जैसे आन्तरिक संसाधन है – ईश्वर में भरोसा रखना, गुरु की

प्रेरणा, आत्म दृढ़ता, धर्म में विश्वास। उसी भाँति वाह्य संसाधन है – पति-पत्नी के बीच का समर्थन, दादा, दादी, बौद्धिक अक्षम बच्चे के बड़े भाई से मिलने वाला आर्थिक समर्थन इत्यादि।

- **समायोजन में अवरोधक (Coping inhibitors) :** वह स्थिति जो समायोजन में अवरोध करता हो उसे कोपिंग इनहीवीटर कहते हैं जैसे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहना, सहायता की कमी, वित्तीय स्थिति में कमी व्यवसायिकों का गलत मार्गदर्शन इत्यादि।

15.9 बोध प्रश्नों के आदर्श उत्तर

प्रश्न : बौद्धिक अक्षम बच्चों के माता-पिता के लिए समायोजन युक्तियों के बारे में लिखें।

उत्तर : समायोजन कौशल पारिवारिक संसाधनों को सुदृढ़ या बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रत्येक परिवार की समायोजन युक्तियाँ अत्यधिक व्यक्तिगत होती हैं। बौद्धिक अक्षम बच्चों के बेहतर समायोजन हेतु निम्न युक्तियों को अपना सकते हैं –

1. **अपेक्षाओं में बदलाव :-** बौद्धिक अक्षम बच्चों से कम अपेक्षा करना, छोटी-छोटी उपलब्धियों पर खुश होना इत्यादि बेहतर समायोजन कौशल है।
2. **दिव्यांगता के कारणों को देखने का माता-पिता का नजरिया :-** अगर माता-पिता यह समझ लें कि दिव्यांगता किसी भी परिवार में कई कारणों से हो सकती है तथा इसके लिए वे या उनके परिवार के सदस्य दोषी नहीं है। तो इस नजरिया में बदलाव उन्हें बेहतर समायोजन में मदद करेगा।
3. **बौद्धिक अक्षम बच्चों के प्रति अभिवृत्ति में बदलाव कर तनाव से बचा जा सकता है जैसे –** बौद्धिक अक्षम बच्चों को बेहतर प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाया जा सकता है।
4. **माता-पिता की यह धारणा, कि वह बौद्धिक अक्षम बच्चों की बेहतर देखभाल, प्रशिक्षण, चिकित्सा कार्य नहीं कर पायेंगे, समायोजन को प्रभावित करती है।** माता-पिता अगर इस धारणा को बदल कर अपनी योग्यता के अनुरूप स्वयं के प्रभाव, क्षमता से अवगत हो, तो यह उन्हें समायोजन में मदद करेगा।
5. **बौद्धिक अक्षम बच्चों की समस्याओं में सुधार लाने के लिए नियमित शिक्षण, प्रशिक्षण, देखभाल की आवश्यकता होती है।** अगर समस्या में सुधार लाने के लिए प्रयास सही दिशा में है तो वह बच्चे के साथ-साथ उनके माता-पिता के लिए भी सुखद होता है।
6. **जिन परिवारों को अपने समुदाय से समर्थन मिल रहा हो जैसे पुनर्वास व्यवसायियों से मदद, संस्थागत समर्थन, तो उस परिवार में समायोजन बेहतर होता है।**
7. **कई माता-पिता तथा परिवार के सदस्यों का धार्मिक विश्वास भी समायोजन में सहायक होता है।**

8. उपयोगितावादी संसाधन जैसे रोजगार, आवश्यकतानुसार वित्तीय उपलब्धता, घर में कार या अन्य वाहन, बौद्धिक अक्षम बच्चे के लिए पुनर्वास संस्थान भी उनके माता-पिता के समायोजन में सहायक होता है।
9. अन्य के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना जैसे 'मेरा बच्चा डा. शर्मा जी के बेटा से बेहतर है वह सही बोल भी नहीं सकता। इसे बोलने, चलने-फिरने में समस्या नहीं है' भी समायोजन में सहायक है।
10. अन्य परिवार जिनके घरों में बौद्धिक अक्षम बच्चे हों, उनसे दोस्ती कर मदद लेना भी समायोजन में सहायक है।
11. तनाव भरी स्थिति से बाहर निकलना – जैसे कुछ समय के लिए बच्चे की देखभाल किन्हीं अन्य रिश्तेदार को देकर छुट्टी मनाना।
12. बच्चे के शिक्षण-प्रशिक्षण, चिकित्सा से संबंधित अधिक से अधिक सूचनाएं एकत्रित करना, पुस्तकें पढ़ना, प्रश्न पूछना इत्यादि।

प्रश्न : बौद्धिक अक्षम बच्चों के पारिवारिक तथा सामुदायिक संसाधन आँकलन हेतु प्रयुक्त टूल की चर्चा करें।

उत्तर : बौद्धिक अक्षम बच्चों के पारिवारिक तथा सामुदायिक आँकलन हेतु कई टूल विकसित किए गए हैं। कुछ उपकरण जैसे संसाधन व तनाव पर प्रश्नावली (हालरायड 1974), संसाधन व तनाव पर संक्षिप्त प्रश्नावली (फ्राइड रिच, ग्रीनवर्ग तथा क्रीनिक 1983) पारिवारिक वातावरण स्केल (मूस व मूस 1991), पारिवारिक संसाधन स्केल (डन्सट व लीट 1987) पश्चिमी देशों में विकसित हुए हैं तथा ये संस्कृति विशिष्ट उपकरण हैं।

1. संसाधन व तनाव प्रश्नावली (Q.R.S) का विकास हालरायड ने विकासात्मक देरी, गंभीर बिमारी से ग्रसित दिव्यांग बच्चों के परिवार का सकारात्मक, नकारात्मक प्रभावों को मापने के लिए किया। इस प्रश्नावली में 285 पद हैं जो तीन आयामों में जैसे माता-पिता की समस्याएँ, परिवार का काम-काज संबंधी समस्याएँ तथा वे समस्याएँ जो माता-पिता अपने बच्चों में देखते हैं मापन करती है।

2. फ्राइडरिच, ग्रीनवर्ग तथा क्रीनिक ने संसाधन व तनाव पर संक्षिप्त प्रश्नावली (QRS-F) का विकास 1983 में किया। इस प्रश्नावली में 52 पद हैं जिसे चार क्षेत्रों में बाटा गया है जैसे – माता-पिता और परिवार की समस्याएँ, निराशावादी, बच्चे के विशेषताओं से संबंधित तनाव तथा बच्चे की शारीरिक अशक्तता। इस प्रश्नावली से माता-पिता के तनाव के वैश्विक सूचकांक का पता लगाया जाता है।

3. पारिवारिक वातावरण स्केल से परिवार की संरचना, कामकाज तथा परिवार में सम्प्रेषण के तरीकों का आँकलन किया जाता है। इस स्केल में 10 विभिन्न सब स्केल हैं जो रिश्ते, व्यक्तिगत विश्वास तथा प्रणाली रख-रखाव के क्षेत्रों में मूल्यांकन करती है।

4. पारिवारिक संसाधन स्केल के द्वारा परिवार के संसाधन की पर्याप्तता के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। ये भोजन, आवास, वित्तीय संसाधन, परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल स्वयं के लिए समय, बच्चे की देखभाल, परिवार के लिए समय जैसे क्षेत्रों में प्रत्येक सदस्य की जरूरतें तथा पूरे परिवार की जरूरतों का आँकलन करती है।

भारतीय बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पारिवारिक तथा सामुदायिक संसाधन आँकलन हेतु राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान सिकन्दराबाद ने डिसेबिलिटी इम्पैक्ट स्केल, फ़ैमिली सपोर्ट स्केल तथा फ़ैमिली एफिकेसी स्केल का विकास किया। ये तीनों स्केल डा0 रीता पेशावरिया तथा अन्य ने वर्ष 2000 में विकसित किया।

5. डिसेबिलिटी इम्पैक्ट स्केल :- यह बौद्धिक अक्षम बच्चों के कारण माता-पिता, परिवार के सदस्यों तथा परिवार के बाहर के रिश्तों पर पड़ने वाले प्रभाव की प्रकृति तथा गंभीरता का आँकलन करता है। इस स्केल से सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव का आँकलन होता है। इस स्केल के 10 क्षेत्र जो नकारात्मक प्रभाव का आँकलन करती हैं, वह हैं शारीरिक देखभाल, स्वास्थ्य, कैरियर, समर्थन, वित्त सामाजिक, शर्मिंदगी, भाई-बहनों पर प्रभाव विशिष्ट विचार। तथा एक क्षेत्र सकारात्मक प्रभाव का आँकलन के लिए है।

6. फ़ैमिली सपोर्ट स्केल :- इस स्केल से परिवार में उपलब्ध समर्थन की मात्रा व गुणवत्ता दोनों का आँकलन किया जाता है। साथ में परिवार के लिए और अधिक सहायता की जरूरतों का भी आँकलन करता है। इसे छह विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है – व्यक्तिगत, वित्तीय, तकनीकी, मनोरंजनात्मक भावनात्मक व सामग्री। प्रत्येक क्षेत्र में मिल रहे समर्थन की विस्तृत जानकारी परिवार के सदस्य जैसे पति-पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी, नाना-नानी, मामा-मामी, चाचा-चाची से संबंधित है।

7. फ़ैमिली एफिकेसी स्केल :- इस स्केल का प्रयोग बौद्धिक अक्षम बच्चों के परिवार की ताकत, उनकी विशिष्टता, विशेषताएँ, परिवार के काम-काज तथा वातावरण को जानने के लिए किया जाता है। इस स्केल को 15 क्षेत्रों में बांटा गया है।

प्रत्येक पद का आँकलन तीन सूत्री पैमाने पर 0 से 2 पर किया जाता है।

15.10 संदर्भ/उपयोगी पुस्तकें

डेल एन (1996) वर्किंग विथ फेमलीज आफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड : पार्टनरशिप एण्ड प्रेक्टिस. लंदन : राउटलेज।

पेशावरिया आर एण्ड अन्य (1995) अंडरस्टैंडिंग इंडियन फ़ैमिलीज हैविंग पर्सन विथ मेटल रिटार्डेशन. सिकन्दराबाद : एन. आर. एच. एच.

15.11 अभ्यास प्रश्न

1. बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के पारिवारिक तथा सामुदायिक संसाधनों को लिखिए।
2. समायोजन को बाधित करने वाले कारकों को लिखें।
3. पारिवारिक व सामुदायिक संसाधनों में प्रयुक्त भारतीय बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए कोई एक टूल की चर्चा करें।